

### कार्यालय ज्ञाप

प्रदेश में दशमोत्तर कक्षाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में कार्यालय उत्तर प्रदेश संख्या-106/2021/2499/26-3-2021-4(358)/07टी.सी.-11। दिनांक 21.09.2021 द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली (दशम संशोधन)-2021 जारी की गयी थी। प्रश्नगत नियमावली में अन्य कठियप संशोधनों को समिलित करते हुए नियमावली संशोधित की गयी है। निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-2382/स0क0/शिक्षा-अ/3/154-2/2023-24 दिनांक 09.08.2023 नियमावली संशोधित की गयी है। निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-2382/स0क0/शिक्षा-अ/3/154-2/2023-24 दिनांक 09.08.2023 नियमावली संशोधन की गयी है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली (एकादश संशोधन)-2023 निर्गत की जाती है:-

**उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (एकादश संशोधन) नियमावली-2023**

क्र०	नियम
1-	<b>नाम</b> यह नियमावली उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (एकादश संशोधन) नियमावली-2023 कहलायेगी।
2-	<b>उद्देश्य</b> ऐटिकोत्तर या सेकेन्डरी (केवल माध्यमिक शिक्षा परिषद ३०९०, सी०बी०एस०ई० बोर्ड, आई०सी०एस०ई० बोर्ड से उत्तीर्ण) के बाद की कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (रोकेणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की सुविधा प्रदान करना है।
3-	<b>प्रस्ताव/ विस्तार</b> इस नियमावली से सम्पूर्ण भारत दर्श में पढ़ने वाले वे छात्र/छात्राएं आच्छादित होंगे, जो उत्तर प्रदेश के राई निवासी/मूल निवासी हों।
4-	<b>प्रारम्भ होने की तिथि</b> इस नियमावली के प्रारम्भिक 2023-24 शिक्षण सत्र से लागू होंगे।
5-	<b>परिभाषा</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) <b>केन्द्र सरकार</b> “केन्द्र सरकार” का तात्पर्य भारत सरकार से है।</li> <li>(ii) <b>राज्य सरकार</b> “राज्य सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।</li> <li>(iii) <b>अभ्यर्थी</b> “अभ्यर्थी” का तात्पर्य किसी ऐसे विद्यार्थी से है जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो तथा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम में संस्थापित विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो।</li> <li>(iv) <b>निदेशालय</b> “निदेशालय” का तात्पर्य समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश से है।</li> <li>(v) <b>निदेशक</b> “निदेशक” का तात्पर्य निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश से है।</li> <li>(vi) <b>वित्त नियन्त्रक</b> “वित्त नियन्त्रक” का तात्पर्य समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश के वित्त नियन्त्रक से है।</li> <li>(vii) <b>नोडल अधिकारी</b> “नोडल अधिकारी” का तात्पर्य निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित दशमोत्तर छात्रवृत्ति/ शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के नोडल अधिकारी से है।</li> <li>(viii) <b>राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार</b> “राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार” का तात्पर्य जवाहर भवन, लखनऊ स्थित कोषागार से है।</li> <li>(ix) <b>शिक्षण संस्था व पाठ्यक्रम</b> “शिक्षण संस्था” का तात्पर्य विभि द्वारा स्थापित अध्यवसाय संस्थाम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त संस्थान से है व “पाठ्यक्रम” का तात्पर्य सम्बन्धित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में संचालित व संक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम से है।</li> <li>(x) <b>अनुसूचित जाति</b> “अनुसूचित जाति” का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद-३५ के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारी का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए जारी अनुसूचित जातियों की अधिसूचना में विकित जातियों से है।</li> </ul>

**राज्य मुख्यालय**

(xii) अनुसूचित जनजाति

“अनुसूचित जनजाति” का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 342 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए जारी अनुसूचित जनजातियों की अधिसूचना में अंकित जातियों से है।

(xiii) शैक्षणिक सत्र

“शैक्षणिक सत्र” का तात्पर्य कक्षा 11-12 में प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक तथा अन्य उच्चतर कक्षाओं हेतु 01 जुलाई से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष 30 जून तक के शिक्षण सत्र से है।

(xiv) छात्रवृत्ति का मूल्य

सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में छात्रवृत्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित देय धनराशियों समिलित होगी:-

(क) शैक्षणिक भत्ता

(ख) अनिवार्य वापस न होने वाला शुल्क जिसका निधरिण केन्द्र/राज्य सरकार अथवा प्रदेश की शुल्क नियमन समिति द्वारा तय किया गया हो।

(ग) दिव्यांग छात्रों के लिए निर्धारित शैक्षणिक भत्ता का 10 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता।

(xv) शुल्क

(क) “शुल्क” का तात्पर्य ऐसी अनिवार्य धनराशि से है, जो अध्यार्थियों द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड को भुगतान किया जाता है। तथापि जमानती जमा राशि जैसी वापस की जाने वाली धनराशि इसमें शामिल नहीं होगी। शुल्क के अन्तर्गत प्रवेश/पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, सेल, पूनियन, लाइब्रेरी, पत्रिका, चिकित्सा जांच और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क आदि, जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हो, शामिल होगी। छात्रावास/गेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें समिलित नहीं होगे।

नोट-1- राजकीय व निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में एक ही बार में सम्पूर्ण शुल्क की अनुमानित समस्त धनराशि भुगतान किये जाने पर छात्र/छात्राये इस योजना में अपाव नहीं।

नोट-2- किसी विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान में प्रवासीकीय कोटा सीट, स्पाट (Spot) प्रवेश सीट के सापेक्ष प्रवेशित छात्र/छात्राओं द्वारा दावा किये गये शैक्षणिक भत्ता/शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी। शिक्षण संस्थानों/पाठ्यक्रमों में एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा निर्धारित प्रवासीकीय कोटा (मैनेजमेंट कोटा) के साथ-साथ जिन निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में व्यवसायिक/ तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, ऐसी प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने वाले छात्रों को शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। प्रवेश परीक्षा में आवेदन न करने वाले छात्र/छात्राये मैनेजमेंट कोटा से आचारित होंगे, ऐसे छात्रों को शैक्षणिक भत्ता/शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।

(ख) जिन मान्यता प्राप्त संस्थानों में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में शुल्क संरचना निर्धारित करने की शक्ति केन्द्र या राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को है, उन मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में संचालित मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की अनुमोदित सीट के सापेक्ष राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना के अनुसार ली जाने वाली अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क की राशि, छात्र द्वारा भरी गयी शुल्क, विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा मास्टर डाटा में लाक की गयी शुल्क, शिक्षण संस्था द्वारा लाक की गयी शुल्क तथा जिता समाज कल्याण अधिकारी द्वारा लाक की गयी शुल्क में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(ग) जिन निजी क्षेत्र के संस्थानों में सक्षम प्राधिकारी स्तर से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में छात्रों से ली जाने वाली शुल्क के निर्धारण की शक्ति स्वयं शिक्षण संस्थान को प्राप्त है, उन पाठ्यक्रमों में अध्ययनस्त छात्रों को प्रदेश में स्थित राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित इसी प्रकार के स्वतंत्र पोषित पाठ्यक्रम में निर्धारित अधिकतम शुल्क अथवा संस्था द्वारा छात्रों से ली जाने वाली शुल्क जो भी न्यूनतम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी। निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में ऐसे पाठ्यक्रम जो राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित नहीं हैं, के अन्तर्गत प्रदेश के निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा छात्र द्वारा भरी गयी शुल्क की प्रतिपूर्ति जो कम हो, की जायेगी।

(घ) प्रदेश के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध जिन निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों के शुल्क सक्षम प्राधिकारी स्तर से निर्धारित नहीं हैं उन संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु प्रदेश के किसी भी राज्य विश्वविद्यालयों में संचालित उसी पाठ्यक्रम (स्वतंत्र पोषित पाठ्यक्रमों को छोड़ते हुए) में निर्धारित न्यूनतम शुल्क अथवा संस्था द्वारा छात्रों से जमा करायी गयी वास्तविक फीस में से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

## 6- अहंता

छात्रवृत्ति हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अध्यर्थी निम्नलिखित शर्तों/प्रतिक्रमों के अधीन पात्र होंगे:-

- (i) केवल वे ही अध्यर्थी इसके पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बद्धित हों अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य के स्थाई निवासी हों एवं जो उत्तर प्रदेश राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बद्धित हों और जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त (अ) आनलाइन आवेदन पत्र में कोई डाटा/विवरण, त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/संदिग्ध अंकित करने पर छात्र/छात्रा को दशमोत्तर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।
- (ii) यह छात्रवृत्तियां निम्नलिखित अपवादों को छोड़कर मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाये जाने वाले सभी मान्यता प्राप्त दशमोत्तर या सेकेण्ट्री के बाद के पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिये दी जायेगी।
- क- विमान अनुकूल इंजीनियर पाठ्यक्रम।
  - ख- निजी विमान चालक लाइसेंस पाठ्यक्रम।
  - ग- ट्रेनिंगशीप डफरिन (अब राजेन्द्र) के पाठ्यक्रम।
  - घ- सैनिक महाविद्यालय, दैहरादून के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।
  - च- अखिल भारतीय तथा राज्य स्तरीय पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों के पाठ्यक्रम।
  - छ- पत्राचार पाठ्यक्रम एवं सुदूर व अनुवर्ती योग्याकारी के पाठ्यक्रम। (केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों में सुविधा अनुमन्य रहेगी)

ज. निजी क्लॅब के शिक्षण संस्थानों में संचालित ऐसे पाठ्यक्रम जिनको किसी विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग बाड़ी/संकाम विभाग स्तर से सटीकीकेट/भक्तपत्र प्रदान नहीं किये जाते हैं तथा सक्षम स्तर से परीक्षा आयोजन हेतु ऐसी अधिकृत न हो अपर्ण ऐसे पाठ्यक्रम जो किसी सक्षम स्तर से नियंत्रित नहीं किये जाते।

इ. अन्य प्रदेश के विश्वविद्यालय/संकाम स्तर से सम्बद्धता प्राप्त प्रदेश में स्थित निजी शिक्षण संस्थान, जिनकी नियंत्रक बाड़ी उत्तर प्रदेश में नहीं है, के छात्र/छात्राएं छात्रवृत्ति हेतु अनहोगी।

(iii) ऐसे अधिकृत, जिनके माता-पिता अथवा अधिभावकों की समस्त खोतों से वार्षिक आप राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आय सीमा से अधिक न हो।

(iv) सटीकीकेट लेवल, स्नातक पूर्व डिप्लोमा लेवल, स्नातक टेवल, स्नातक पक्षात स्नातक लेवल, परायात्रके पक्षात रिसर्च लेवल एवं डॉक्टरेट लेवल के अन्तर्गत केवल दो पाठ्यक्रम क्रमशः एक प्रोफेशनल व एक नॉन प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमत्य होगी। शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु छात्र का सभी पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण/प्रोप्रेट होना अनिवार्य होगा।

(v) यदि विद्यार्थी इन्टर्नशिप अवधि के दौरान कुछ पारिश्रमिक अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान कुछ भत्ता या वजीफा पा रहे हैं तो ऐसे एम्बीबीएस/एसो पाठ्यक्रम में इन्टर्नशिप/हाऊस मेनशिप की अवधि के लिए अथवा अन्य पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(vi) चिकित्सा में छातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले छात्र इसके पात्र होंगे, यदि उनके पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान उन्हें प्रैक्टिस करने की अनुमति न दी गयी हो।

(vii) किसी भी मान्यता प्राप्त आतकोत्तर या इससे ऊपर के पाठ्यक्रम में सरकारी वृतिका (स्टाइपेन्ड) अथवा फेलोशिप पाने वाले छात्र/छात्राएं इसके लिए अई नहीं होंगे।

(viii) उन रोक्षार प्राप्त करने वालों को सभी अनिवार्य रूप से देय वापस न किये जाने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति की सीमा तक मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए पात्र बनाया गया है, जिनकी स्वयं की व उनके माता-पिता अथवा संरक्षकों की सभी खोतों से कुल वार्षिक आप अधिकृतम निर्धारित वार्षिक आय सीमा से अधिक न हो।

(ix) एक ही माता-पिता अथवा संरक्षक के सभी छात्रों योजना का लाभ प्राप्त करने के इकादार होंगे।

(x) इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति पाने वाला कोई भी छात्र अन्य छात्रवृत्ति/वजीफा प्रदान किया गया हो तो छात्र उक्त दोनों छात्रवृत्ति/वजीफा में से किसी एक के लिए जो भी उसके लिए अधिक लाभप्रद हो, अपना विकल्प दे सकता है और दिये गये विकल्प के बारे में सूचना संस्था प्रामुख के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदानकर्ता अधिकारी को देनी चाहिए। छात्र/छात्रा को उस लाईसेंस से, जिससे वह दूसरी छात्रवृत्ति/वजीफा स्वीकार करता/करती है, इस योजना के अधीन किसी भी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा तथापि, छात्र राज्य सरकार से या किसी अन्य जोति से पुस्तकों, उपकरण खरीदने या आवास तथा भोजन व्यवस्था पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए इस योजना के अधीन भुगतान की गयी छात्रवृत्ति की रकम के अतिरिक्त निःशुल्क भोजन या अनुदान या तदर्थ वार्षिक सहायता स्वीकार कर सकता है।

(xi) वे छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता, जो केन्द्र/राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के साथ किसी परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों में कोचिंग प्राप्त कर रहे हैं, कोचिंग कार्यक्रम की अवधि के लिए कोचिंग योजनाओं के अन्तर्गत वजीफे के पात्र नहीं होंगे।

(xii) जब तक माता-पिता में से कोई एक (अथवा विवाहित बेटेजामार के मामले में परि) जीवित है, तब तक माता-पिता/पति जैसी भी स्थित ही, की सभी खोतों से प्राप्त आय को ही लिया जायेगा, न कि अन्य सदस्यों की आय को, जो हेव करने वाले ही कर्त्ता न हों। आप घोषणा प्राप्त में इसी अधार पर आप की घोषणा करना अपेक्षित है। केवल उस मामले में जब माता-पिता दोनों (अथवा विवाहित किन्तु बेटेजामार मामले में परि) की मृत्यु हो जाती है तो उस संरक्षक की आय को लेना होगा, जो विद्यार्थी की पदार्थ में सहायता कर रहा है। ऐसे छात्र जिनके माता-पिता की आय दुर्भाग्यवश किसी एक की मृत्यु के कारण प्रभावित होती है और ऐसा प्रकार इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित आय-सीमा में आ जाती है तो ऐसी दुखद घटना होने वाले महीने से वह छात्रवृत्ति का पात्र बन जायेगा, बशर्ते वह छात्रवृत्ति की अन्य शर्तें पूरी करता हो, ऐसे छात्रों से छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन पर अनुकम्मा के अधार पर, आवेदन प्राप्ति की अनिम तारीख को समाप्त होने के पश्चात भी विचार किया जा सकता है।

(xiii) यदि कोई छात्र विवर वर्ष में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के उपरांत पाठ्यक्रम को अभूत छोड़कर किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है, तो वह नये पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनहोगा। छात्र के अभिभावक द्वारा शापथ पत्र से जीवित प्रमाणित होने तथा नये पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखने पर नये पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष से नये छात्र के रूप में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा। यदि छात्र किसी अखिल भारतीय अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयनित होकर रैकिंग के अधार पर नॉन प्रोफेशनल पाठ्यक्रम की छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उपरांत अभूत छोड़कर उच्च स्तर के प्रोफेशनल पाठ्यक्रम में प्रवेश लेता है तो जितन समाज कल्याण अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक समाज कल्याण द्वारा प्रदान की गयी अनुमति के क्रम में नवीन पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र होगा। पुनः पाठ्यक्रम परिवर्तन करने पर छात्र नये पाठ्यक्रम की शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अनहोगा।

(xiv) शैक्षणिक सत्र में 75 प्रतिशत या उससे ऊपर उपस्थित वाले छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमत्य होगी। समस्त शिक्षण संस्थानों में छात्र/छात्राओं की प्रतिदिन उपस्थिति की गणना आधार बेस बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली/फेशियल रिकन्सिलेशन प्रणाली (पोर्टिक रूप से कक्षाओं में संचालन होने पर) द्वारा की जायेगी। इस सम्बन्ध में समस्त शिक्षण संस्थानों में आधार बेस बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली/फेशियल रिकन्सिलेशन प्रणाली की व्यवस्था करके प्रत्येक माह प्रमाणित उपस्थिति की यथास्थान छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड करने का उत्तरदायित्व संस्था का होगा। इसमें प्रत्येक छात्र पर होने वाले व्ययपार का वहन सम्बन्धित शिक्षण संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष से दो वर्षों में चरणबद्ध तरीके से संलग्न परिवर्तन में निर्धारित विश्वविद्यालय न एफिलियेटिंग एजेंसी से सम्बद्ध शिक्षण संस्थानों में आधार बेस बायोमैट्रिक अटेंडेंस प्रणाली की व्यवस्था की जायेगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 से आधार बेस बायोमैट्रिक अटेंडेंस प्रणाली को लागू नहीं करने वाले शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों के छात्रों की शैक्षणिक भत्ता एवं

24

शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमत्या नहीं होगी। यदि किसी छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है तो ऐसे छात्र छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं होंगे तथा छात्र को यदि धनराशि भुगतान दुर्बी है तो भुगतानित धनराशि छात्र अध्ययन संस्था द्वारा वापस करनी होगी।

- (xv) यदि छात्र/छात्रा किसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत रह कर आनलाइन आवेदन करता है और धनराशि प्राप्त होती है किन्तु अगले वार्ष अध्ययन छोड़ दिया जाता है अथवा संस्था/ पाठ्यक्रम को सक्षम स्तर से अनुमति के बिना परिवर्तित कर दिया जाता है तो गत वर्ष की भुगतान की गयी धनराशि की संस्था द्वारा छात्र से प्राप्त कर विभाग को वापस करनी होगी।

किसी छात्र का एरियर अगामी वर्ष में भुगतान किये जाने से पूर्व यह देखा जायेगा कि छात्र द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में नवीनीकरण का आनलाइन आवेदन किया गया अथवा नहीं किया गया है अर्थात् उसने उस पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखा गया अथवा छोड़ दिया गया है। यदि अध्ययन को छोड़ दिया गया है तो सम्बन्धित छात्र को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क की एरियर की धनराशि अनुमत्य नहीं होगी तथा उस पाठ्यक्रम में विभाग वर्ष की धनराशि वापस करनी होगी।

- (xvi) शिक्षा सत्र के अन्तर्गत नवीनीकरण के सम्बन्ध में शिक्षण संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने वाले नवीन छात्रों के संपेश क्रम से क्रम 50 प्रतिशत छात्र नवीनीकरण का आवेदन करें। यदि 50 प्रतिशत से कम नवीनीकरण का आवेदन किया जाता है तो शिक्षण संस्था को वैध कारण बताने होंगे। वैध कारण के अन्तर्गत बाह्य/सूखा/अनदेखी घटनाओं/कानून व्यवस्था आदि सम्बलित होंगे। वैध कारण न बता पाने की स्थिति में नवीनीकरण न करने वाले छात्रों की धनराशि संस्था को वापस करनी होगी।

- (xvii)(क) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त केन्द्र/राज्य/निजी/डीम्ड आदि सभी विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं को NAAC (National Assessment & Accreditation Council- and Autonomous Institution of the University Grant Commission) से वर्ष 2024 तक ग्रेडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025-26 से उक्तानुसार ग्रेडिंग प्राप्त विश्वविद्यालयों/शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमत्य होगी।

(ल) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार) द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में वर्ष 2024 तक NBA (National Board of Accreditation) ग्रेडिंग प्राप्त संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को ही शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमत्य होगी।

- (xviii) निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों/ विश्वविद्यालयों में संचालित ऐसे मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता सापेक्ष है, के अन्तर्गत छात्रक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 50 प्रतिशत अध्या उससे अधिक अंक पाने वाले, किसी भी प्रवेश प्रक्रिया से प्रवेशित (मैनेजमेंट कोटा एवं स्पाट प्रवेश प्रक्रिया को छोड़कर) छात्र/छात्राओं छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह होंगी।

- (xix) आईआईआई या पाठ्यक्रम अध्या ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश की न्यूनतम योग्यता हाईस्कूल निर्धारित है, के अन्तर्गत हाईस्कूल उत्तीर्ण करने के 06 वर्ष के अन्दर निजी क्षेत्र के संस्थानों में उक्त प्रकार के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर ही शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमत्य होंगी।

- (xx) निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अधिकतम 40 वर्ष आगे की सीमा तक शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमत्य होंगी। आगे की गणना प्रायोग वर्ष 01 जुलाई को की जायेगी। रिसर्व एवं डाक्टरेट लेवल के पाठ्यक्रम में उक्त नियम प्रभावी नहीं होंगे।

## 7- मूल निवास का अनुमत्य साक्ष्य-

प्रदेश के अन्दर वितरित की जाने वाली दशमोत्तर छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र के साथ संलग्न जाति प्रमाण पत्र में छात्र/छात्रा के निवास का अंकन होने पर पृष्ठ से सामान्य निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश के बाहर की दशमोत्तर छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र के साथ सामान्य निवास प्रमाण पत्र (जो प्रवेश की तिथि से 05 वर्ष से अधिक पुराना न हो) संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो आवेदक के निवास की तहसील के उपजिलाधिकारी के स्तर से जारी किया गया ही एवं राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर उपलब्ध हो।

## 8- माता-पिता/ अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में अनुमत्य साक्ष्य-

माता-पिता अध्या अभिभावकों की आय के सम्बन्ध में निम्नलिखित साक्ष्य अनुमत्य होंगे:-

- (i) अध्यर्थी के माता-पिता या पति या सरकार, जैसा भी तात्पुर हो, की समस्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र, जो राजस्व परिषद की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो, मान्य होगा। यदि किसी भी प्रकार की जांच में यह पाया जाता है कि अध्यर्थी के माता-पिता/पति/संरक्षक नौकरी में हैं तथा उनके द्वारा अर्जित आय उपजिलाधिकारी/ तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र में सम्मिलित नहीं हैं तो आवेदन निरसा कर दिया जायेगा।
- (ii) अध्यर्थी के माता-पिता या पति या सरकार, जैसा भी तात्पुर हो, द्वारा लिये जाने वाले मकान किराये भत्ते को 'आय' में शामिल नहीं किया जायेगा, यदि इसे आपकर के प्रयोजन के लिए छुट की अनुमति दी गयी हो।
- (iii) आय प्रमाण-पत्र के बारे अर्थात् एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में दाखिले के सम्पर्क ही लिया जायेगा अर्थात् एक वर्ष से अधिक वर्ष के पाठ्यक्रम की समाप्ति तक पुनः आय-प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता न होगी। परन्तु यदि नये पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया जाता है तो पुनः आय प्रमाण-पत्र देना होगा।
- (iv) जमा किये जाने वाले आय प्रमाण पत्र की वैधता उस शैक्षणिक सत्र/वर्ष की पहली जुलाई को अवधारित की जायेगी।

## 9- मास्टर डाटाबेस एवं संस्थाओं का पंजीकरण तथा कोर्समास्टर-

- (क) प्रदेश के समस्त शासकीय शासकीय संस्थानों प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों तथा प्रदेश के बाहर समस्त शासकीय एवं शासकीय संस्थानों को शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित समस्त आवश्यक विवरण यथा- शिक्षण संस्थान का नाम, संचालित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की मान्यता, पाठ्यक्रम हेतु संक्षेप स्तर से खीकृत सीटों की संख्या, वार्षिक शिक्षण एवं परीक्षा शुल्क आदि निर्धारित ग्राहरूप पर स्वयं आनलाइन भरकर 'मास्टर डाटाबेस' में प्रत्येक वर्ष जारी समय-सारिणी में निर्धारित तिथि तक सम्मिलित होना।

होगा। प्रदेश के शिक्षण संस्थान स्वयं उपरोक्त अधिकारी में मास्टर डाटाबेस में नए पाठ्यक्रमों को शामिल कर सकेंगे एवं असचालित पाठ्यक्रमों को स्थग हटा सकेंगे। मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक शामिल होने वाले शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों (सी०पी०ए०७० पाठ्यक्रम एवं संस्थान की छोड़कर) में अध्ययनरत छात्र/छात्रा ही शैक्षणिक भता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। संस्था द्वारा मान्यता समर्पित किये जाने अथवा संस्था को बन्द किये जाने की सूचना दिये जाने पर शिक्षण संस्थान का नाम मास्टर डाटा से जिला समाज कल्याण अधिकारी/नोडल/प्रभारी अधिकारी, प्रदेश के बाहर दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना मुख्यालय द्वारा हटाया जायेगा।

(क्ष) मास्टर डाटा में नवीन व पुराने शिक्षण संस्थानों द्वारा भरे गये अनलाइन डाटा को विश्विद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी (जैसा लागू हो) द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

(ii) उक्त मास्टर डाटाबेस में प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थान शामिल हो सकेंगे जिनको एवं जिनमें संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता एवं सम्बद्धता 30 सितंबर तक सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी हो। 30 सितंबर के पश्चात मान्यता/सम्बद्धता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थान एवं पाठ्यक्रमों की आगामी वित्तीय वर्ष में मास्टर डाटाबेस में समर्पित किया जायेगा। पांदि किसी संस्था को मान्यता निर्धारित तिथि 30 सितंबर के पश्चात प्राप्त होती है तथा मास्टर डाटा में नाम शामिल किया जाता है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी/पटल सहायक का होगा।

(iii) मास्टर डाटाबेस में प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों, शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों, पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीटी की संख्या एवं पाठ्यक्रमों की संख्या स्तर से स्वीकृत वार्षिक अनिवार्य नाम-रिफाइल शुल्क (फीस), आदि का विवरण सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य दिक्षार्थी) स्तर से उपलब्ध कराये गये साप्टवेयर पर निर्धारित तिथि तक स्वयं अनलाइन भरा जायेगा। शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों की सक्षम स्तर से मान्यता एवं सम्बद्धता तथा सक्षम स्तर से अनुमत्य सीटों से सम्बन्धित अदेश/पत्र आदि पी०पी०ए०ए० फाइल के रूप में सम्बन्धित साप्टवेयर पर सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा उपलब्ध/अपलोड कराये जायेंगे। मास्टर डाटाबेस में शुद्ध डाटा अनलाइन भरने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्थान का होगा।

(iv) प्रदेश के अनन्दर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय एवं स्थलीय जांच तथा त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक जिला समाज कल्याण अधिकारी/मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण में संदेह की स्थिति उत्पन्न होने पर सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों से समर्पकी कर संदेह का निकारण कर लींग। अभिलेखीय एवं स्थलीय जांच में विद्या विभाग के अधिकारियों का आवश्यक सहयोग भी प्राप्त करेंगे।

प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय जांच एवं त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक प्रभारी/नोडल अधिकारी, दशमोत्तर शैक्षणिक भता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ के द्वारा किया जायेगा।

(v) मास्टर डाटाबेस में उत्तिष्ठित प्रदेश, जनपद के अनन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों उनमें वर्गीकरण स्वीकृत सीटों की संख्या आदि विवरण का सत्याग्रह जिला विद्यालय निरीक्षक, एफिलियेटिंग एजेंसियों के नोडल अधिकारियों एवं संबोधित विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा तदोपरांत उनके द्वारा अपने डिजिटल सिप्रेवर से निर्धारित तिथि को लॉक किया जायेगा।

प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय जांच सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की हाई कार्यों से प्रभारी/नोडल अधिकारी दशमोत्तर शैक्षणिक भता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ के द्वारा करके त्रुटियों का निराकरण निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। तदोपरांत प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण को प्रभारी/नोडल अधिकारी दशमोत्तर शैक्षणिक भता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, लखनऊ के द्वारा अपने डिजिटल सिप्रेवर से निर्धारित तिथि को लॉक किया जायेगा।

## 10- अनुरक्षण भता की निर्धारित दरे-

- दशमोत्तर छात्रवृत्ति नियमावली के अन्तर्गत समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित समूहवार पाठ्यक्रमवार शैक्षणिक भता की दर त विकलाग छात्रों के लिए अतिरिक्त सुविधा व अन्य दरों का जो प्राविधिक भता भी है, वह तदनुरूप तार्ग रहेगा।
- उन छात्रों को जो निःशुल्क भोजन और/या निःशुल्क आवास के पात्र हैं व सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं उनको शैक्षणिक भता की दरों का 1/3 शैक्षणिक भता/व्यय दिया जायेगा।

## 11- शिक्षण संस्थाओं की वरीयता क्रम -

- शैक्षणिक भता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अहं छात्र/ छात्राओं को राज्य सरकार के उपलब्ध बजट से शैक्षणिक भता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में आधार सीटेड व एन०पी०सी०आई० से मैट बैंक खाते में एकमुश्त भुगतान APBS (Aadhaar Payment Bridge System) प्रणाली के माध्यम से सीधे राज्य मुख्यालय स्थित बैंक/कोषाधार से सिंगल नोडल एकाउंट (SNA) के तहत PFMS (Public Financial Management System) से निर्धारित प्रक्रियामुक्त भोजन का जो प्राविधिक भता भी है, वह तदनुरूप तार्ग रहेगा। शैक्षणिक भता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का 40 प्रतिशत राज्यांश छात्रों को आधार सीटेड/एन०पी०सी०आई० से मैट बैंक खाते में भुगतानोपरांत शेष 60 प्रतिशत केन्द्रीय की धनराशि का भुगतान उन्हीं छात्रों के आधार सीटेड/एन०पी०सी०आई० से मैट बैंक खातों में भारत सरकार द्वारा सीधे किया जायेगा।
- शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को शैक्षणिक भता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का नवीनीकरण एवं तदोपरांत नये छात्रों को शैक्षणिक भता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि नियमित वरीयता क्रम में बजट की उपलब्धता की सीमा तक अधर्षण के आधार सीटेड व NPCI (National Payment Corporation Of India) से मैट बैंक खाते में सीधे अन्तरित करके दो बार में (40 प्रतिशत राज्यांश प्रदेश सरकार द्वारा एवं 60 प्रतिशत केन्द्रीय भारत सरकार द्वारा) भुगतान की जायेगी:-  
(क)- केन्द्र अधिकारी राज्य सरकार के विभागों/निकायों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्थानों व राजकीय स्वापतशासी शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं।

- (ख) केन्द्र अधिकारी सरकार से शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राएँ।
- (ग) निजी क्षेत्र के मानवता प्राप्त शिक्षण संस्थानों/निजी विश्वविद्यालयों के मानवता प्राप्त पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्र/छात्राएँ।
- (द) उपरोक्त वरीयता क्रम में ही बजट की उपलब्धता के अनुसार शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति घनराशि वितरित की जायेगी। एक नोट:- उपरोक्त वरीयता क्रम में ही बजट की उपलब्धता के अनुसार शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति घनराशि वितरित की जायेगी। एक वरीयता क्रम के समस्त छात्र/छात्राओं को वितरण के पक्षात् ही बजट की उपलब्धता की सीमा तक अगले वरीयता क्रम के छात्र/छात्राओं को घनराशि वितरित की जायेगी। यह क्रम उक्त वरीयता श्रेणी-‘क’ से ‘ग’ तक जारी रहेगा।
- (iii) उपरोक्त वरीयताक्रम के अनुरूप प्रत्येक वरीयताक्रम में पात्रता रखने वाले छात्रों को निम्नानुसार वेटेज अंक प्रदान किये जायेंगे।
- (च) शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं से हाईस्कूल अधिकारी इन्टर करने वाले छात्रों को।
- (छ) माता-पिता दोनों के अशिक्षित होने की दशा में छात्र की वरीयता।
- (ज) माता-पिता दोनों में से किसी एक के अशिक्षित होने की दशा में छात्र की वरीयता।
- (झ) SECC-2011 के अनुसार उक्त 02 विवितीकरण (Deprivations) होने पर वरीयता।

क्र०	प्राधिकरण हेतु निर्धारित विन्दु	वेटेज अंक
1	शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं से हाईस्कूल अधिकारी इन्टर करने वाले छात्र।	10
2	ऐसे छात्र जिनके माता-पिता दोनों अशिक्षित हों।	08
3	ऐसे छात्र जिनके माता-पिता में से कोई एक अशिक्षित हो।	06
4	SECC-2011 (Socio-Economic & Caste Census) के सर्वे में उक्त 02 विवितीकरण (Deprivations) होने पर।	04

- (iv) सर्वप्रथम सभी प्रकार के पाठ्यक्रमों में एक बार वितरित की गयी शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति, दिये जाने के प्रथम वर्ष से लेकर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक वर्षनुवर्ष निम्नलिखित शर्तों एवं प्रक्रिया के अनुसार कजट की उपलब्धता की सीमा तक नवीनीकृत की जायेगी। नवीनीकरण के पक्षात् अवशेष घनराशि ही नये अभ्यर्थियों को उपरोक्तानुसार वरीयता के क्रम में वितरित की जायेगी।
- (क) शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के नवीनीकरण हेतु प्रथमतः प्रस्तर-11 (ii) में वर्णित वरीयता श्रेणी के क्रम में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण किया जायेगा। किसी वरीयता श्रेणी में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न रहने पर विन्दु (iii) में वर्णित रीति से वेटेज अंक प्रदान कर संयुक्त वेटेज अंक प्राप्ति के अनुसार सभीसे अधिक वेटेज अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा को सर्वप्रथम शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की घनराशि का वितरण किया जायेगा। तदोपरान्त घटते हुये क्रम में वितरण किया जायेगा जबकि छात्र/छात्रा का आवरण अब्दा रहा ही एवं वह विगत कक्षा में उत्तीर्ण होकर पाठ्यक्रम की आगती कक्षा में प्रवेश ले लिया गया।
- (ख) छात्र/छात्राओं के कुल वेटेज अंक एक समान होने की दशा में सर्वप्रथम अभ्यर्थी की आयु को वरीयता दी जायेगी, जिसमें सभीसे अधिक आयु के छात्र/छात्रा को सभीसे पहले वितरण किया जायेगा। तत्पाक्षर छात्र/छात्रा की आयु के घटते हुये क्रम (अवरोही श्रम) में वितरण किया जायेगा।
- (ग) इसके पक्षात् भी यदि कई अभ्यर्थी कुल वेटेज अंक एवं आयु में एक समान होते हैं तो छात्र/छात्रा के नाम के अल्फाबेटिक (A to Z) क्रम में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की घनराशि का वितरण किया जायेगा।
- (घ) छात्र/छात्राओं के कुल वेटेज अंक, आयु एवं अल्फाबेटिक क्रम में एक समान होने की दशा में ‘प्रथम आगत प्रथम पावत’ के आधार पर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की घनराशि का वितरण किया जायेगा। प्रथम आगत का निर्धारण छात्र/छात्रा द्वारा अनलाइन आवेदन कार्ड भरने की तिथि व समय से किया जायेगा।
- नोट- (1) दशमोंतर छात्रवृत्ति योजनानार्तीत उक्त वरीयता श्रेणी, संपुक्त वेटेज अंक, आयु अल्फाबेटिक आधार अधिकारी ‘प्रथम आगत प्रथम पावत’ के आधार पर लाभान्वित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि समर्पण प्रदेश में लाभान्वित होने वाले छात्रों का वरीयता मानक एक समान रखा जाय।
- नोट- (2) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित तिथि तक उक्त समस्त विवरण की हस्ताक्षरित साप्टकार्डी (टीवीटी) निदेशालय समाज कल्याण, उ०४० लखनऊ द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
- नोट- (3) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ द्वारा उपलब्ध बजट के अनुरूप प्रतिवर्ष वरीयता क्रम के आधार पर नवीनीकरण एवं नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं की भलग-भलग सुजित ब्रैण्डीवार माला (जनपदवार/बैकवार) के विवरण की हस्ताक्षरित हार्ड एवं साप्ट कार्डी, छात्र/छात्राओं के बैंक छात्रों में घनराशि अंतरित किये जाने हेतु निदेशालय समाज कल्याण, उ०४० लखनऊ को उपलब्ध कराई जायेगी।

## 12- प्रक्रिया एवं अभिलेखों का रखरखाव-

- (i) इस योजना में अहं छात्रों को सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा निम्न शर्तों के अधीन निःशुल्क प्रवेश दिया जायेगा।
- (क) राजकीय एवं अनुदानित शिक्षण संस्थानों ने अनुमोदित पाठ्यक्रम में पात्र एवं सही डाटा वाले छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की सुविधा अनुमत्य दी है। छात्र द्वारा संस्था में प्रवेश तोते ही नियमावली में निर्धारित पात्रता में आने पर छात्रवृत्ति हेतु आनलाइन आवेदन करेगा तथा आधार प्रमाणीकरण (ई-कॉवाईडीसी)। एवं ३०टी०१०१० से संस्थान के उपरान्त आवेदन को फाइनल समिति करेगा। संस्था द्वारा आवेदन अप्रसारित करते ही छात्र निःशुल्क प्रवेश हेतु अहं ही जायेगा तथा उसे निर्धारित प्रारूप पर प्रीविशिप कार्ड छात्रवृत्ति पोर्टल से जनरेट ही जायेगा। आनलाइन आवेदन अप्रसारित करते समय छात्र की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी तथा वित्त विवाहालय निरीक्षक एवं संस्था का होगा। निःशुल्क प्रवेश की सुविधा निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं में अनुमत्य नहीं होगी।
- (ख) प्रीविशिप कार्ड की वैधता जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति स्तर से आवेदन निरस्त/पैडिंग होने, पी०एफ०एस०० स्तर पर रिस्पोस ऐडिंग होने व पी०एफ०एस००एस०० के माध्यम से निरस्त होने पर, छात्र/संस्थान द्वारा निर्धारित अधिक तिथि तक आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र (हार्ड कार्डी संहारको सहित) जनपद सारीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति को उपलब्ध न कराने पर अधिकारी किसी स्तर पर अपात्र पाये जाने

21467

पर तथा छात्र द्वारा आनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में अपूर्ण/ त्रुटिपूर्ण/सहीचय विवरण भरने पर उक्त निशुल्क प्रवेश की अनुमत्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी, ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम में शुल्क की धनराशि को छात्र द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

(iv) राज्यकारी एवं अनुदानित शिक्षण संस्थान में छात्रों को निशुल्क प्रवेश हेतु शैक्षणिक कार्ड निर्धारित प्रारूप पर जनरेट होने के उपरांत विभाग द्वारा छात्र के आधार सीडेड/ एन०पी०सी०भाई० से मैप्ल बैंक खाते में शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि आनलाइन अन्तरित होने पर संबंधित संस्था को छात्र द्वारा 07 दिन के भीतर शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि जमा करनी होगी।

(v) संस्थान में छात्र को निशुल्क प्रवेश गिलने के पध्या छात्र व संस्थान के मध्य शुल्क जमा करने के सम्बन्ध में अनुबच्च पत्र निष्पादित किया जायेगा।

(ii) छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in> पर आनलाइन आवेदन करना होगा।

(iii) अपर्णी द्वारा जमा किये गये आवेदन-पत्र में संलग्न प्रमाण पत्रों का मिलान मूल प्रमाण पत्र से शिक्षण संस्थान स्वर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए शिक्षण संस्था पूरी तरह से उत्तरदायी होगी। आवेदन-पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का मिलान किये जाने के उपरान्त सही एवं अहं पाये गये आवेदन-पत्रों पर शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु संस्थुति संस्था स्वर पर गठित निम्न समिति द्वारा की जायेगी।

1- संस्था प्रमुख/निदेशक/प्राचार्य/प्रधानाचार्य- अच्युत

2- संस्था के वरिष्ठतम् प्राचार्य- सदस्य

3- संस्था के वरिष्ठतम् अनुज्ञाति के प्राचार्य- सदस्य

#### अथवा

संस्था के वरिष्ठतम् अन्य पिछड़ा वर्ग के प्राचार्यापक (अनु० जाति का कोई भी प्राचार्यापक उपलब्ध न होने की दशा में)

#### अथवा

उस संस्था का जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित सामाज्य श्रेणी का कोई प्राचार्यापक (अनु० जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कोई भी प्राचार्यापक न होने की दशा में)

(iv) उपरोक्त समिति द्वारा संस्तुत छात्रों का विवरण आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित संस्था का ही होगा। छात्र/छात्राओं का डाटा त्रुटिपूर्ण, गलत या अपूर्ण पाया जाता है, ऐसे छात्र-छात्राओं की संस्था द्वारा समुचित कारण दर्शाते हुये छात्रवृत्ति हेतु संस्तुत नहीं की जायेगी और अपने स्तर से रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

(v) शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक जिला समाज कल्याण अधिकारी के हिजीट सिगनेचर से आनलाइन संस्तुत एवं लाभ किये गये विवरण छी तथा शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति विवरण सम्बन्धी व अन्य समस्त अभिलेखों का रखरखाव निष्पत्तिशित स्थान पर 10 वर्ष तक साफ्टकापी टीवीडी, हार्ड डिस्क एवं हार्ड कापी में सुरक्षित रखी जायेगी।

#### 1- शिक्षण संस्थान स्वर पर-

(अ) शिक्षण संस्थान द्वारा मास्टर डाटा हेतु आनलाइन भरे गये शिक्षण संस्थान एवं संचालित पाठ्यक्रमों की मान्यता, सम्बद्धता व सीटों की अनुमत्यता एवं सङ्क्षम स्वर पर स्वीकृत पाठ्यक्रमवार फौस सम्बन्धी पूर्ण विवरण की संलग्नकों सहित हस्ताक्षरित साफ्टकापी टीवीडी, हार्ड डिस्क में।

(ब) छात्र-छात्राओं के आनलाइन भरे गये छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों की संलग्नक आवेदन पत्रों की संलग्नक सहित हस्ताक्षरित साफ्टकापी टीवीडी में।

छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों से सम्बन्धित हस्ताक्षरित साफ्टकापी (टीवीडी) जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करायी जायेगी।

#### 2- जनपद स्वर पर-

क- जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय स्वर-

1- समस्त शिक्षण संस्थानों का मास्टर डाटाबेस का विवरण जिसमें संस्थानों/पाठ्यक्रमों की मान्यता व सम्बद्धता, अनुमत्य सीटों की संख्या एवं सङ्क्षम स्वर पर अनुमत्य शुल्क तथा संबन्धित समस्त शासनादेश/सङ्क्षम स्वर पर जारी आदेशों की हस्ताक्षरित हार्ड एवं साप्ट कापी टीवीडी, हार्ड डिस्क में।

2- शैक्षिक संस्थावार छात्र/छात्राओं द्वारा आनलाइन भरे गये छात्रवृत्ति विषयक आवेदन पत्रों के हस्ताक्षरित संख्यात्मक विवरण की हार्ड एवं साप्टकापी टीवीडी में।

3- जनपद स्वीप छात्रवृत्ति स्लीकृत/विवरण समिति द्वारा स्वीकृत शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति का शिक्षण संस्थावार संख्यात्मक हस्ताक्षरित विवरण (शैक्षणिक भत्ता व शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि सहित) हार्ड कापी में।

4- छात्रवृत्ति सर्वर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आनलाइन डिजिटल सिप्रेवर से लाभ किये गये शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति डाटा से युक्ति बैनीफिकेशनी एवं ट्रॉलेब्यान फाइल की हस्ताक्षरित हार्डकापी एवं साप्टकापी टीवीडी, हार्ड डिस्क में बैनीफिकेशनी एवं ट्रॉलेब्यान फाइल की हार्डकापी पर कम्प्यूटर आपरेटर, लेखाकार, पट्ट सहायक, नोडल अधिकारी योजना एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा हस्ताक्षरित।

5- शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित बंक एवं संसेक्ट डाटा की हस्ताक्षरित साप्ट एवं हार्डकापी, छात्र-छात्रा को छात्रवृत्ति न मिल पाने के कारण सहित।

6- शैक्षिक संस्थावार छात्र-छात्रा के खाते में धनराशि अन्तरण के उपरान्त लाभान्वित छात्र-छात्रा के डाटाबेस को सम्बन्धित वेबसाइट से डाउनलोड कर उसकी साप्टकापी टीवीडी, हार्ड डिस्क एवं हार्डकापी (कम्प्यूटर आपरेटर, लेखाकार, पट्ट सहायक, नोडल अधिकारी योजना एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा हस्ताक्षरित।

रूपरेखा

(vii) विश्वविद्यालय/दफिनियोडिंग एजेंसी के नोडल अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12) द्वारा शिक्षण संस्था की मान्यता, वैधता एवं वर्गीकार अनुमत्य सीटों के सापेक्ष आवेदकों की संख्या आदि का परीक्षण कर आनलाइन सत्यापन एवं डिजीटल हस्ताक्षर से लाक किया जायेगा। तदीपरान्त निदेशक, समाज कल्याण द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट/डिवीलाकर आदि के माध्यम से छात्रों के आवेदन में उल्लिखित आवश्यक बिन्दुओं पर परीक्षण कराकर शुद्ध एवं सन्देहास्पद डाटा सम्बन्धित जनपदीय छात्रवृत्ति समिति को निर्णयार्थ उपलब्ध कराया जायेगा।

(viii) जनपद स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दणमोत्तर शैक्षणिक भत्ता/यूल्क प्रतिफूर्ति की स्वीकृति समिति एवं वितरण हेतु निम्न समिति गठित की जाती है-

1-जिलाधिकारी	- अच्छाकृ
2-मुख्य विकास अधिकारी	- उपाध्यक्ष
3-मण्डलीय उच्चशिक्षाधिकारी/	
अपाव नामित प्रतिनिधि	- सदस्य
4-जिला विद्यालय निरीक्षक	- सदस्य
5-जिला सूचना विज्ञान अधिकारी	- तकनीकी सदस्य
6-मुख्य/वरिष्ठ कोषधारी	- सदस्य
7-जिला समाज कल्याण अधिकारी	- सदस्य सचिव

पह समिति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति/वितरण समिति कही जायेगी, जो इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिफूर्ति की स्वीकृति प्रदान करेगी एवं छात्रवृत्ति वितरण सुनिश्चित करायेगी। जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति वितरण में समय-समय पर आने वाली कठिनाइयों/ समस्याओं का निराकरण भी उक्त समिति द्वारा किया जायेगा।

(viii) (1) एन०आई०सी० से छात्रों के प्राप्त शुद्ध एवं सन्देहास्पद डाटा के आधार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रों का स्पलीय/अभिलेखीय सत्यापन छात्रवृत्ति आवेदन पक्ष का परीक्षण कर किया जायेगा। अपाव छात्रों के डाटा को बाहर किया जायेगा। सही व पाव छात्रों के डाटा पर जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत कर स्वीकृति/ अस्वीकृति का निर्णय कराकर डिजिट सिप्रेचर से प्रत्येक छात्र का डाटा निर्धारित समयावधि में लाक किया जायेगा। गलत/अपाव छात्र के डाटा स्वीकृत करने पर अपाव सही/पाव छात्र के डाटा को अस्वीकृत करने पर अपाव पेटिंग डाटा को छोड़ने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी/पटल सहायक/कम्प्यूटर आपरेटर का दायित्व निर्धारित किया जायेगा।

(2) जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा स्वीकृत/लाक डाटा के आधार पर निदेशालय द्वारा एन०आई०सी० के माध्यम से मांग जनरेट करायी जायेगी तथा पाव छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति की धनराशि बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्र/छात्रा के आधार सीडेड बचत बैंक स्राते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषधार से शिगल नोडल एकलउन्ट (Single Nodal Account) के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरित वीज जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय के वित्त नियन्त्रक, नोडल अधिकारी (दशभौतर छात्रवृत्ति योजना) का होगा। जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय के वित्त नियन्त्रक, नोडल अधिकारी (दशभौतर शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिफूर्ति योजना) व आहरण वितरण अधिकारी का होगा।

(3) जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिप्रेचर से आनलाइन संस्कृत एवं लॉक डाटा में किसी स्रात से बदलाव नहीं किया जायेगा। उक्तानुसार लॉक डाटा के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (स्टेट यूनिट) लखनऊ द्वारा नियमावली में वर्णित रीति से डाटा को प्रोसेस कराकर मांग जनरेट की जायेगी। आनलाइन लॉक किये गये डाटा की शुद्धता की पूर्ण जिम्मेदारी जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जनपदीय छात्रवृत्ति समिति की होगी व्याप्ति इसी लॉक डाटा के आधार पर ही नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत अधर्विष्यों को धनराशि का अन्तरण किया जायेगा।

(ix) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र राज्य इकाई लखनऊ के स्तर पर परीक्षण के बिन्दु-

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ के स्तर पर जनपदों से प्राप्त छात्र/छात्राओं के डाटा का परीक्षण (स्कूटनी) शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित बिन्दुओं पर की जायेगी।

(x) निदेशालय के वित्त नियन्त्रक एवं योजना हेतु नामित नोडल अधिकारी को एन०आई०सी० द्वारा पासवर्ड उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका उपयोग करके छात्रवृत्ति की कुल मांग का 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि की पेमेन्ट फाइल जनरेट की जायेगी। उक्त पेमेन्ट फाइल को PFMS (Public Financial Management System) साप्टवेयर पर PFMS कोड नम्बर द्वारा अपलोड कर पेमेन्ट फाइल का सत्यापन कराया जायेगा, जिसे PFMS द्वारा स्वीकृत किये जाने के पश्चात विभाग के योजनाधिकारी, वित्त नियन्त्रक तथा आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त ट्रांजिक्शन फाइल की धनराशि को कोषधार से SNA में हस्तांतरित की जायेगी। धनराशि हस्तांतरित होने के पश्चात योजनाधिकारी, छात्रवृत्ति द्वारा पेमेन्ट फाइल की अपलोड करने के पश्चात वित्त नियन्त्रक एवं आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। उक्त तीनों अधिकारीयों द्वारा अपने डिजिटल सिप्रेचर से समस्त कार्यवाही की जायेगी।

(xi) एन०आई०सी० (राज्य इकाई) द्वारा वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी के उपयोग हेतु छात्रवृत्ति साप्टवेयर में आवश्यकतानुसार ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे दोनों अधिकारियों को संयुक्त रूप से ट्रांजिक्शन फाइल को पीएफएमएस सर्वर पर ट्रान्सफर करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

(xii) दैवी से अवितरित वापस प्राप्त धनराशि का लेखा जोखा एवं तत्सम्बन्धी समस्त आवश्यक अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व वित्त नियन्त्रक/आहरण वितरण अधिकारी, मुख्यालय का होगा।



- 7- शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने हेतु अभिलेखों में कूटरचना/हेरोफेरी करके छात्र/शिक्षण संस्थान द्वारा गैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने एवं शिक्षण संस्थान द्वारा फर्जी आवेदन सत्यापित व अप्रसारित करने पर।
- 8- जिता समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय/शिक्षा विभाग या अन्य किसी व्यक्ति/विभाग द्वारा कूटरचना/हेरोफेरी कर छात्रों की बढ़ी हुई संख्या दर्शाकर शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि ऐसे छात्रों/व्यक्तियों के बैक खातों में अन्तरित कराने अथवा अन्तरित करने का प्रयास करने पर।
- 9- जिता मॉक्स्टेट/निदेशक/सासन के द्वारा जीव में गम्भीर अनियमितताओं पाए जाने पर।
- 10- शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने के उपरांत छात्र/छात्रा द्वारा अध्ययन छोड़ देने के उपरांत धनराशि वापस न करने पर।
- (iii) छात्र द्वारा यदि अध्ययन वर्ष के दौरान, वह अध्ययन जिसके लिए वह छात्रवृत्ति दी जानी है/दी गयी है, छोड़ दिया जाता है तो छात्र को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता व शुल्क) की धनराशि प्रदान नहीं की जायेगी/वापस करनी होगी। यदि छात्र दोनों सेमेस्टर की परीक्षा अथवा वार्षिक परीक्षा में सभी विषयों में अनुपस्थित रहता है या परीक्षा/विषयों में उपस्थिति दर्ज करता है, किन्तु सभी विषयों में शून्य अंक प्राप्त करता है तो शैक्षणिक भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमत्य नहीं होगी। यदि धनराशि भुगतान की गयी है तो छात्र/संस्था को धनराशि वापस करनी होगी।

#### **16(1)- छात्र-छात्राओं के दायित्व-**

- (i) शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आनलाइन आवेदन निर्धारित तिथि तक वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in> के माध्यम से ही भरा जायेगा। किसी अन्य माध्यम से भरे गये आवेदन पत्र मान्य नहीं होगे। अभ्यर्थी द्वारा आनलाइन भरा गया आवेदन पत्र निर्धारित तिथि के पश्चात एन०आई०सी० द्वारा लाक किये जाने के उपरांत छात्र/छात्रा द्वारा अध्ययन छोड़ देने के तहत सम्बन्धित कार्य दिक्षु के अन्दर संस्थान में आवेदन पत्र की हार्डकार्डी जमा करना आवश्यक है।
- (ii) आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त करना-  
छात्र/छात्राओं द्वारा अपने भरे गये आवेदन का प्रिन्ट-आउट को समस्त अन्य वाहित डाक्यूमेंट जैसे- आप प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पहचान पत्र की स्वप्रमाणित प्रतीक्षियों संलग्न करते हुये अपने अध्ययनरत शिक्षण संस्था में सम्बन्धित अधिकारी के पास जमा करके उसकी रसीद प्राप्त कर लें। आवेदन पत्र आनलाइन Submit करने के उपरांत समय-सारियी में निर्धारित कार्य दिक्षु के अन्दर संस्थान में आवेदन पत्र की हार्डकार्डी जमा करना आवश्यक है।
- (iii) आवेदन पत्र जमा की रसीद प्राप्त करना-  
1-संस्थान द्वारा दी जाने वाली प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के प्रिन्ट-आउट के साथ ही प्रिन्ट होगी। संस्थान द्वारा उसी रसीद पर संस्था की मुहर एवं हस्ताक्षर कर छात्र/छात्रा को प्रदान की जायेगी।  
2- निर्धारित वेबसाइट पर आवेदक अपने जमा किये गये कार्म की वर्गीकरण स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है जिसके लिये वेबसाइट पर दिये गए -आवेदन की स्थिति जाने का लिंक करना होगा एवं स्क्रीन पर अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भरना होगा।
- (iv) छात्र/छात्रा के मोबाइल नम्बर पर SMS प्रदान करना-  
छात्र/छात्रा के मोबाइल नम्बर पर SMS व ई०-मेल पर छात्रों को विवरण भेजने हेतु विभिन्न स्रोतों का चयन निदेशक समाज कल्याण द्वारा किया जायेगा।
- (v) छात्र/छात्राओं द्वारा आधार नम्बर आवेदन पत्र में अकिञ्चित करना-  
प्रत्येक छात्र/छात्रा को हाईस्कूल प्रमाण-पत्र पर अकिञ्चित नाम एवं जन्म तिथि के अनुसार आधार कार्ड बनवाना होगा। विवाहित पुरी की स्थिति में आधार कार्ड में पति का नाम व पता आदि अपडेट करना होगा। छात्रवृत्ति के आनलाइन आवेदन पत्र में आधार ई०-के०वाई०सी० के पश्चात छात्र/छात्रा का समस्त विवरण, बैंक विवरण आटोकेच होकर प्रदर्शित होगा।

#### **16(2)- शिक्षण संस्थान के दायित्व -**

- (i) शिक्षण संस्था का छात्रवृत्ति हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करना होगा। प्रत्येक शिक्षण संस्था के लिए अलग-अलग नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा। नामित नोडल अधिकारी का डिजिटल हस्ताक्षर उसी शिक्षण संस्था के लिए मान्य होगा। एन०आई०सी० द्वारा प्रत्येक संस्था में डिजिटल सिप्रेवर का प्रयोग करने वाले कार्मिक का लोग तिथि एवं समय के साथ सुरक्षित रखा जायेगा।
- (ii) शिक्षण संस्था को जिता समाज कल्याण अधिकारी से निर्धारित अवधि में लागिन आई०टी० एवं पासवर्ड प्राप्त करना तथा डिजिटल सिप्रेवर संरक्षित करना होगा।
- (iii) शिक्षण संस्था में डिजिटल सिप्रेवर प्रयोग करने वाले कार्मिकों की ई०-के०वाई०सी० छात्रवृत्ति की वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in> पर अपडेट करनी होगी।
- (iv) आनलाइन आवेदन हेतु कार्य शासन द्वारा निर्धारित तिथि से वेबसाइट <https://scholarship.up.gov.in> पर उपलब्ध होगा। अध्यार्थियों के द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र एवं संलग्नकों के आधार पर प्रविष्टियों के मिलान का कार्य जारी रखेंगे। किसी भी दशा में अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र एक साथ जमा होने का इन्तजार नहीं करेंगे। जितने अभ्यार्थियों का आवेदन पत्र प्राप्त होता रहेगा उतने की जात्र/मिलान करते रहेंगे।
- (v) जिन छात्र/छात्राओं का डाटा त्रुटीपूर्ण/अपूर्ण/गलत तथा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार अपात्र होगा, उनका डाटा संस्थान द्वारा अग्रसित नहीं किया जायेगा, संस्था उसको अपने स्टोर से reject कर देगी। शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक शिक्षण संस्थान के लागिन पर उपलब्ध सम्पूर्ण डाटा पर निर्णय लेकर अप्रसारित पा रिजेक्ट कर दिया जायेगा। किसी भी दशा में संस्थान द्वारा किसी भी छात्र का डाटा लम्बित नहीं रखा जायेगा।
- (vi) सभी छात्रों को योजना के प्राविधानों एवं शासन द्वारा कार्म भरने हेतु नियत की गयी अनियम तिथि की जानकारी संस्थान सभी कक्षाओं में उपलब्ध सूचना-संचार माध्यमों यथा- Public address System, Faculty members द्वारा एवं विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये हैंडबिल

- आदि के माध्यम से अवगत करायेगी।
- (vii) छात्र/छात्रा को आनलाइन आवेदन करने की सुविधा आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित शैक्षिक संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
- (viii) संस्था के अधिलेखों से अध्यर्थियों के विवरण का मिलान आनलाइन आवेदन पत्र से नहीं होने अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उनकी संस्तुति न करके संस्थान स्तर से रिजेक्ट किया जायेगा।
- (ix) शिक्षण संस्थान द्वारा पात्र छात्र/छात्रा का डाटा आनलाइन संत्यापित एवं अप्रसारित करने के बाद आनलाइन संत्यापित विवरण की हार्डकार्डी संस्तुति सहित जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना होगा।
- (x) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई तासनकु द्वारा छात्रों के हाईस्कूल के अनुक्रमांक के आधार पर संस्था के स्तर पर संत्यापन/अप्रसारण के समय प्रलेक छात्र के सम्मुख गत वर्षों में छात्र को विस पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति का भूमतान द्वारा है, उस कोर्स को प्रदर्शित किया जायेगा।
- (xi) शिक्षण संस्थान द्वारा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार पात्र छात्रों का आवेदन अप्रसारित किया जायेगा।
- (xii) शिक्षण संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रवृत्ति हेतु पात्र शिक्षण संस्थान द्वारा नियमावली का ही फार्म भरे एवं शिक्षण संस्थान उनके नवीनीकरण का ही फार्म संत्यापित एवं अप्रसारित अध्ययनरत छात्र अगती वर्ष नवीनीकरण का ही फार्म भरे एवं शिक्षण संस्थान उनके नवीनीकरण का ही फार्म संत्यापित एवं अप्रसारित करेगा। ये छात्र (पाठ्यक्रम के विसी एक वर्ष में असफल छात्र जो बाद में परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, को छोड़कर) के रूप में उनका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (xiii) शिक्षण संस्थान द्वारा नवीनीकरण का ही फार्म भरे एवं शिक्षण संस्थान के नवीनीकरण न कराये जाने के सम्बन्ध में प्रत्येक छात्रवार स्पष्ट कारण स्कॉरिंगरिप पोर्टफॉली एवं आवेदन अकित किया जायेगा यथा छात्र परीक्षा में असफल हुआ या शिक्षण संस्थान छोड़कर चला गया आदि।
- (xiv) शिक्षण संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि एक वर्ष से अधिक अवधि वाले पाठ्यक्रमों में आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रवृत्ति हेतु पात्र शिक्षण संस्थान द्वारा नियमावली के अनुसार आवेदन पत्र आनलाइन अप्रसारित किया जायेगा। भौतिक रूप से कक्षाओं के संचालन होने पर छात्र की बायोमेट्रिक उपस्थिति को प्रत्येक माह संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति पौर्ण पर दिये गये लिंक के माध्यम से अपलोड भी करना होगा।

#### 16(3)- जिला समाज कल्याण अधिकारी के दायित्व-

- (i) शिक्षण संस्थानों द्वारा भरे गये मास्टर डाटा से सम्बन्धित अधिलेख छात्रों की सूची छात्रों के आवेदन पत्र की हार्डकार्डी एवं समस्त संलग्नकों को पीडीएफ़ काइल की साफ्ट कार्डी के रूप में संस्थाओं से प्राप्त कर वर्षावार/संस्थावार 10 वर्षों तक सुरक्षित रखना।
- (ii) अध्यर्थी के आप प्रमाण पत्र, जहाँ प्रमाण पत्र तथा निवास प्रमाण पत्र का मिलान राजस्व परिषद् की वेबसाइट से रेण्डम आधार पर स्वीकृति से पूर्व करना/करना।
- (iii) अध्यर्थी के आवेदन पत्र की हार्डकार्डी आवश्यकता पड़ने पर संलग्नकों सहित छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समझ प्रस्तुत करना।
- (iv) संक्षम एजेन्सी से डिजीटल सिग्नेचर (Digital Signature) प्राप्त कर छात्र/छात्राओं के डाटा को निर्धारित अवधि के अन्दर आनलाइन संत्यापित एवं लाल करना। इसके अतिरिक्त डिजिटल सिग्नेचर बनाने वाली एजेंसी/कार्मिक का विस्तृत विवरण सुरक्षित रखना होगा।
- (v) आनलाइन डाटा की मानीटरिंग हेतु आयुक्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में शिक्षण संस्थाओं के साथ मासिक बैठक कराते रहना। यदि किसी शिक्षण संस्था द्वारा निर्धारित तिथि तक डाटा यथा अप्रसारण नहीं प्राप्त हो रहा है अथवा उसके द्वारा छात्रों के आवेदन पत्रों की हार्डकार्डी नहीं उपलब्ध करायी जा रही है तो उक्त संस्थान के प्राचार्य/प्रधानाचार्यों की बैठक में बुताकर निर्धारित अवधि के अन्दर सभी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे, जिन जनपदों में विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी स्थित हैं उनके छात्रवृत्ति नोड्स अधिकारियों को भी बैठक में अनिवार्य रूप से बुलाया जायेगा।
- (vi) छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आहूत कराना एवं कार्यवृत्त तैयार कर जारी कराना। निर्धारित समयावधि में यदि किसी शिक्षण संस्था द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो उसके विरुद्ध जिलाधिकारी के माध्यम से कठोर कार्यवाही कराने का उत्तरदायित विलाप समाज कल्याण अधिकारी का ही होगा।
- (vii) जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी के साथ-साथ छात्रवृत्ति योजना का कार्य देख रहे सम्बन्धित पटल सहायक के डिजिटल सिग्नेचर से संयुक्त रूप से मास्टर डाटा एवं अन्य डाटा को लाल करने आदि की कार्यवाही की जायेगी।

#### 16(4)- सम्बन्धित शिक्षण विभागों का दायित्व-

- (i) आनलाइन डाटा अप्रसारण की मानीटरिंग हेतु जनपद में अपोवित बैठकों में शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य/प्रधानाचार्य के साथ उपस्थित रहकर कार्यवाही समयान्तरात सुनिश्चित कराना। शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में यदि किसी शिक्षण संस्था द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति कराना।
- (ii) शिक्षण अधिकारी/सम्बन्धित विश्वविद्यालयों तथा एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारियों द्वारा मास्टर डाटाबेस में शिक्षण संस्थानों की मान्यता, वैधता तिथि, वर्गवार स्वीकृत सूची की संख्या एवं उसके सापेक्ष प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं की वार्ताविक संख्या आदि का संत्यापन कर डिजीटल सिग्नेचर से लाल किया जाना।
- (iii) जिला विद्यालय निरीक्षक/सम्बन्धित विश्वविद्यालयों तथा एफिलियेटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारियों द्वारा मास्टर डाटा संत्यापन/लाल (जैसा लाल हो) के उपरान्त शिक्षण संस्था के विवरण की हार्डकार्डी निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जायेगा।
- (iv) शिक्षण संस्था द्वारा मिसिंग छात्रों के संबंध में आनलाइन अकित किये गये कारणों के आधार पर संबंधित शिक्षण संस्थाओं की रेण्डम जांच कराना तथा अनियमितता पाये जाने पर संबंधित शिक्षण संस्था की मान्यता निरस्त करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना।

*[Signature]*

### 16(5)- शिक्षा विभागों के विभागाध्यक्ष का दायित्व-

- 1- मानवता प्राप्ति पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाले शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की नियंत्रक बॉर्डी प्रदेश के अन्दर न होकर स्वयं स्वायपत्रशासी संस्थान है, उनमें अपना मास्टर डाटा, फीस, सीट आदि स्वयं संतापित/तांक किया जायेगा।
- 2- भारतीय पुनर्जीवन विश्वविद्यालय, लखनऊ से सत्यापन एवं विभागाध्यक्ष, दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों आदि का डॉ शकुन्तला मिश्र राष्ट्रीय पुनर्जीवन विश्वविद्यालय, लखनऊ से सत्यापन एवं विभागाध्यक्ष, दिल्ली द्वारा तांगिन संशोधित करण विभाग से संस्तुत प्राप्त संस्थानों को भूगतान की कार्यवाही की जायेगी।

### 16(6)- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के दायित्व-

- (i) शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं प्रक्रिया के अनुसार अनलाइन साप्टवेयर तैयार कराना।
- (ii) शिक्षण संस्थाओं के उपयोगार्थ समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उनके लागिन के माध्यम से राज्याभ्यां के डिए लागिन आईडी०
- (iii) एवं पासवर्ड उपलब्ध कराने हेतु सुविधा प्रदान करना।
- (iv) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ एवं निदेशालय, समाज कल्याण द्वारा तांगिन आईडी० एवं पासवर्ड जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
- (v) एन०आई०सी० द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारियों के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक को तथा निदेशालय के माध्यम से विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी को लागिन पासवर्ड प्राप्त कराना तथा डिजिटल सिप्रेवर रिसेट/सत्यापित करना।
- (vi) आवेदन वी अंतिम तिथि समाप्त होने के 15 दिनों के अन्दर नवीनीकरण हेतु अहं छात्रों के सापेक्ष मिलिंग छात्रों की जानकारी स्कॉलरशिप पीटैल पर अनलाइन प्रकाशित करना।
- (vii) राज्य स्तर पर आय, जाति, आधार नम्बर, बोर्ड रोल नम्बर व वर्ष, परीक्षाफल आदि के लाइब चेक करने की व्यवस्था करना तथा स्कूटनी में निदेशक, समाज कल्याण विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- (viii) अनलाइन आवेदन भरने से लेकर धनराशी अनुरोध तक में आने वाली समस्त तकनीकी समस्याओं का निराकरण करना।

### 16(7)- विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी/ परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी के उत्तरदायित्व-

- (i) दशमोत्तर छात्रवृत्ति कार्य हेतु सभी विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा नामित नोडल अधिकारी, सम्बन्धित अधिकृत संस्था से डिजिटल सिप्रेवर प्राप्त कराने के लाल लाइब चेक करने की व्यवस्था करना तथा स्कूटनी में सुरक्षित रखना होगा।
- (ii) सभी विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी एवं परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा परीक्षाप्राप्त छोक्षित होने के उपरात यथाशीघ्र छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए डिजिटल सिप्रेवर से लाल किया जायेगा।
- (iii) मास्टर डाटा में भरे गये विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के सम्बन्धित अधिकारी, छात्रों की सूची, समस्त संतापकों को पी०डी०एफ० फाइल की साप्ट कापी के रूप में संस्थाओं से प्राप्त कर वर्षवार/संस्थावार 10 वर्षों तक सुरक्षित रखना।
- (iv) छात्रवृत्ति की वेबसाइट पर अपलोड किये गये परीक्षाकाल को विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के डिजिटल सिप्रेवर से लाल भी किया जायेगा।
- (v) विश्वविद्यालय/परीक्षा प्राधिकारी द्वारा नामित अधिकारी के डिजिटल सिप्रेवर से लाल डाटा से विद्यार्थियों द्वारा भरे गये प्राप्तांक का मिलान स्कूटनी के समय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।
- (vi) विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक छात्र को पंजीकरण क्रमांक निर्गत किया जायेगा तथा नवीनीकरण के प्रत्येक छात्र के लिये विश्वविद्यालय द्वारा दिया गया पंजीकरण क्रमांक भरना अनिवार्य होगा।
- (vii) विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम, कोर्स का प्रकार (नियमित/ स्ववित पोषित), स्वीकृत छात्र संख्या, निर्धारित फीस की आधिकारिक पुष्टि नामित अधिकारी द्वारा अपने डिजिटल सिप्रेवर से किया जायेगा।
- (viii) सभी विश्वविद्यालय अपने से सम्बद्ध महाविद्यालयों की सूची एकसेल सीट में स्कूटनी आदि के समय उपयोग हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ की उपलब्ध करायेंगे।
- (ix) जिन महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों से संस्थानों के विस्तृत अनियमिताओं के प्रमाणित होने पर उनको काली सूची में डालने की कार्यवाही की जाती है, ऐसे विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता/ मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही प्रत्येक विश्वविद्यालय/मान्यता प्रदाता संस्थान द्वारा एक निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण की जायेगी।

### 17- जनपद स्तर पर अनुशङ्ख-

- (i) उत्तरवृत्ति योजना के अनुशङ्ख व पर्यवेक्षण किये जाने हेतु जनपद लाल पर नियमित समिति गठित की जाती है-
 

(1) जिलाधिकारी -	अध्यक्ष
(2) मुख्य विकास अधिकारी -	उपाध्यक्ष
(3) सेवीय उच्च विकास अधिकारी -	सदस्य
(4) जनपद में स्थित राज्य विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि, विदि कोई हो -	सदस्य
(5) जनपद में स्थित राज्य मेडिकल कालेज के प्राचार्य, विदि कोई हो-	सदस्य
(6) जनपद में स्थित राज्य इंजीनियरिंग कालेज के प्राचार्य, विदि कोई हो-	सदस्य
(7) जनपद में स्थित एक राजकीय पालीटेक्निक के प्राचार्य, विदि कोई हो-	सदस्य
(8) जिला विद्यालय निरीक्षक -	सदस्य
(9) जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC)-	सदस्य
(10) जिला समाज कल्याण अधिकारी-	सदस्य/सचिव
- (ii) उक्त समिति अनुशङ्ख भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के मास्टर डाटा में संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों तथा उनके शुल्क सरचना व शुल्क निर्धारण का

214

स्वविवेक से सत्यापन कराएगी तथा व्यवस्थित, तकनीकी एवं विकित्सा आदि के किसी भी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों का सम्बन्धित विश्वविद्यालय/कालेज में हुआ नामांकन तथा पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष में परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों की संख्या एवं परीक्षाफल आदि का सत्यापन करेगी। अध्यक्ष की अनुमति से समिति की बैठक तीन माह के निच्छीरित अन्तराल पर की जाएगी तथा कृत कार्यवाही वी प्रगति रिपोर्ट निदेशक, समाज कल्याण को उपलब्ध करायी जाएगी।

किया जायेगा।

- (11)- अन्य प्रदेशों में अध्ययनरत नवीनीकरण वाले एवं नये छात्र/छात्राओं को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि वितरण हेतु चयन की प्रक्रिया, वरीयता क्षम निर्धारण, PFMS प्रजाली से धनराशि के अन्तरण की प्रक्रिया, फेल्ड ट्रॉबक्शन एवं अविलरित धनराशि के रिसीट हेठ में जमा करने के नियम व प्रक्रिया आदि प्रदेश में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं हेतु निर्धारित नियम व प्रक्रिया के अनुसार ही रहेगी।
- (ii) प्रदेश के बाहर स्थित संस्थानों उनमें संचालित पाठ्यक्रमों तथा छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्रों का अलग विवरण तैयार किया जायेगा। शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिमेबर से आनलाइन संस्कृत एवं लाक किये गये विवरण तथा शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण सम्बन्धी विवरण की सूची की हार्डकापी एवं साप्टकापी (डीवीडी)/ हार्डडिस्क में नियमावली के नियम-12 (v) में वर्णित व्यवस्थानुसार उनके द्वारा 10 वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी।
- 19- संशोधन का अधिकार-
- इस नियमावली के प्राविधानों में याधावशक संशोधन करने एवं किसी भी कठिनाई का निवारण करने की शक्ति मा० मुख्यमंत्री जी में निहित होगी।
- 20- न्यायालय परिक्षेत्र-
- किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय परिक्षेत्र मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश होगा।
- 21- (क) निदेशालय समाज कल्याण/राज्य स्तर पर छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु पौजनाधिकारी, छात्रवृत्ति, मुख्यालय (संयुक्त निदेशक अधिकारी उप निदेशक स्तर का अधिकारी) को स्टेट ग्रेवान्स रिडेसल आफीसर नामित किया जाता है।
- (ख) मण्डल स्तर पर छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु मण्डलीय उप निदेशक को मण्डलीय ग्रेवान्स रिडेसल आफीसर नामित किया जाता है।
- (ग) जनपद स्तर पर छात्रों की शिकायतों पर सुनवाई हेतु जिला समाज कल्याण अधिकारी को जनपदीय ग्रेवान्स रिडेसल आफीसर नामित किया जाता है।
- 22- प्रतिवर्ष 31 मार्च तक छात्रों के लिए आनलाइन आवेदन का पोर्टल खोला जायेगा। 31 दिसम्बर तक आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों को माह मार्च तक छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। दिनांक 1 जनवरी से 31 मार्च तक आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों को अगले वित्तीय वर्ष के बजाए से प्रतिवर्ष 30 जून तक धनराशि भुगतान की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। छात्रवृत्ति की प्रक्रियान्तर्गत पी०एफ०एम०एस० द्वारा रिजेक्ट किये गये छात्रों के आधार सीढ़े बैंक खाते के डाटा को 30 जून तक की अवधि में पुनः समिलित किया जायेगा।

कृपया तदनुसार कठाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

३० हरिओम् ११/८  
प्रमुख सचिव।

#### सुलभ एवं दिनांक तदेव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन।
- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री (स्व०प्र०) समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन।
- प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/मार्यादिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/ चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा/वेसिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०.उ०प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इसकी प्रतियां समस्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को ई-मेल के माध्यम से भेजे तथा समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
- निदेशक, समाज कल्याण विभाग, लखनऊ उ०प्र०।
- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र०।
- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-४, उ०प्र० शासन।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
राज कुमार शर्मा

(राज कुमार शर्मा)  
अनु सचिव।

# आधार बेस्ड बायोमैट्रिक अटेण्डेंस लागू किये जाने हेतु दो चरणों का विवरण

## प्रथम चरण (वित्तीय वर्ष 2023–24)

- डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, लखनऊ से सम्बद्ध संस्थान।
- स्टेट मेडिकल फैकल्टी से सम्बद्ध संस्थान।
- उत्तर प्रदेश होमियोपैथिक मेडिसन बोर्ड से सम्बद्ध संस्थान।
- उत्तर प्रदेश आयुर्वेद योगा, यूनानी, तिब्बी बोर्ड से सम्बद्ध संस्थान।
- समस्त राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध बी०ए८० पाठ्यक्रम वाले संस्थान।
- समस्त निजी विश्वविद्यालय।

## द्वितीय चरण (वित्तीय वर्ष 2024–25)

- राज्य / केन्द्रीय विश्वविद्यालय के कैम्पस व सम्बद्ध संस्थान।
- परीक्षा नियामक प्राधिकारी से सम्बद्ध संस्थान।
- प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध संस्थान।
- समस्त राजकीय आठोनौमस विश्वविद्यालय / शिक्षण संस्थान।
- समस्त डीम्ड विश्वविद्यालय।
- शेष अन्य शिक्षण संस्थान।

राज्यपाल

उत्तर प्रदेश शासन  
 समाज कल्याण अनुभाग-3  
 संख्या-221/2019/4119/26-3-2019-रिट(23)/2011  
 लखनऊ: दिनांक:- 14 अक्टूबर, 2019  
 कार्यालय-ज्ञाप

समाज कल्याण अनुभाग-3, 30प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-85/2016/आर-1214/26-3-2016-रिट(23)/2011, दिनांक-24.07.2017 द्वारा प्रख्यापित “उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 (यथा संशोधन)-2016” पर सम्यक्विचारोपरांत तात्कालिक प्रभाव से उक्त नियमावली के कतिपय प्रस्तरों में संशोधन/नवीन नियम को जोड़ते हुये सुसंगत नियमावली का (अष्ठम संशोधन)-2019 निम्नवत् किया जाता है:-

वर्तमान नियम	संशोधित नियम
<p>5 (xv) (क) ”शुल्क” का तात्पर्य ऐसी अनिवार्य धनराशि से है, जो अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड को भुगतान किया जाता है, तथापि जमानती जमा राशि जैसी वापस की जाने वाली धनराशि इसमें शामिल नहीं होगी। शुल्क के अन्तर्गत प्रवेश/ पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, खेल, यूनियन, लाइब्रेरी, पत्रिका, चिकित्सा जांच और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क आदि, जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हों, शामिल होगी। छात्रावास/मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।</p>	<p>5 (xv) (क) ”शुल्क” का तात्पर्य ऐसी अनिवार्य धनराशि से है, जो अभ्यर्थियों द्वारा संस्थान या विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड को भुगतान किया जाता है, तथापि जमानती जमा राशि जैसी वापस की जाने वाली धनराशि इसमें शामिल नहीं होगी। शुल्क के अन्तर्गत प्रवेश/ पंजीकरण, परीक्षा, शिक्षा, खेल, यूनियन, लाइब्रेरी, पत्रिका, चिकित्सा जांच और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापस न की जाने वाली शुल्क आदि, जो सक्षम स्तर से अनुमन्य हों, शामिल होगी। छात्रावास/ मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।</p> <p>नोट:-1 राजकीय व निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में एक पाठ्यक्रम में एक ही बार में सम्पूर्ण शुल्क की अनुमानित समस्त धनराशि भुगतान किये जाने पर छात्र/छात्राएं इस योजना में अपात्र होंगे।</p> <p>नोट:-2 किसी विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थान में प्रबन्धकीय कोटा सीट, स्पॉट (spot) प्रवेश सीट के सापेक्ष प्रवेशित छात्र/छात्राओं द्वारा दावा किये गये शुल्क की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।</p> <p>नोट:-3 शिक्षण संस्थानों/पाठ्यक्रमों में एफलियेटिंग एजेंसी द्वारा निर्धारित मैनेजमेन्ट कोटा के अतिरिक्त जिन निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में व्यवसायिक/ तकनीकी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा में आवेदित छात्रों से इतर बिना काउन्सिलिंग के सीधे शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रवेश दिये गये छात्र मैनेजमेन्ट कोटा से आच्छादित होंगे।</p>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।



<p>रतर रो अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य नान-रिक्षाघृत सूलक अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की वास्तविक घनताशि अथवा ₹०-५०,०००/- में से, जो भी न्यूनतम घनताशि होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे प्रतिपूर्ति की जायेगी।</p>	<p>(४) शिक्षण संस्थानों में फीस निर्धारण के लिये अधिकृत दायर सरकार के सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों यथा— राजनीती शिक्षा, नेडिकल शिक्षा, एवं शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा आदि के प्रशुल्क संघिय/ संघिय/ महानिदेशक/ निदेशक द्वारा प्रत्येक शिक्षण संस्थान में सहान स्तर से निर्धारित पाठ्यक्रमयार फीस निर्धारण सम्बन्धी आदेशों की प्रति प्रत्येक वर्ष निदेशक समाज वन्यजाग को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसकी एक प्रति निदेशालय स्तर पर सुचित रखी जायेगी एवं छायाप्रति सत्यापित कर सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों के जनपदों के जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रशासनिक विभागों द्वारा पाठ्यक्रम में वर्ष विशेष के लिये शुल्क निर्धारित किया जाता है, किसी वर्ष विशेष में एकिलिंगटिंग एजेंसी/ विश्वविद्यालय स्तर से फीस सत्यापित करने की अंतिम तिथि तक यदि फीस निर्धारण नहीं की जाती है तो पाठ्यक्रम में फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित सामान्य फीस अथवा समूह-१ में ₹०-५०,०००/-, समूह-२ में ₹० ३०,०००/-, समूह-३ में ₹० २०,०००/- व समूह-४ में ₹० १०,०००/- में से जो भी न्यूनतम हो, की प्रतिपूर्ति की जायेगी।</p>
<p>6.(i) (अ) प्राइवेट संस्थानों में परिशिष्ट “अ” में अकित प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में जहा कक्षा-12 के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश दिया जाता है, वहां छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु बैंकमार्क कक्षा-12 की परीक्षा में ₹० प्रतीक्षा न्यूनतम प्राप्तांक होगा। यह प्राविधिक गैर प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों पर लागू नहीं होगे।</p>	<p>6.(i) (स) ₹०० ए०पी०००० अब्दुल कलमा प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से राबड़ी ईकाइयक संस्थानों के उन्हीं छात्र/छात्राओं को दशभीतार छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय होगी, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश प्रक्रिया के महान से नामांकित किया गया हो अथवा जिन्होंने निवेशमेंट कोटा के अन्तर्गत ईकाइयक संस्थान में प्रवेश विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर विवरण औनलाइन अंकित करने के बाद विश्वविद्यालय के माध्यम से प्राप्त किया हो।</p>

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

6.(v) ऐसे छात्र इसके पात्र नहीं होगे, जो किसी एक व्यवसायिक पाठ्यक्रम में शैक्षिक अर्हता प्राप्त कर लेने के पश्चात किसी दूसरे व्यवसायिक पाठ्यक्रम में शैक्षिक अर्हता प्राप्त करने के लिये अध्ययन करने लगे, जैसे बी0टी0 / बी0एड0 के बाद एल0एल0बी0 करने लगे।	6.(v) सर्टिफिकेट लेवल, स्नातक पूर्व डिप्लोमा लेवल, स्नातक पश्चात डिप्लोमा लेवल, स्नातक लेवल, परास्नातक लेवल एवं डाक्टरेट लेवल के अन्तर्गत केवल एक पाठ्यक्रम में अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य होगी। एक ही लेवल के अन्तर्गत दूसरे पाठ्यक्रम में सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।
	6.(xviii) यदि छात्र/छात्रा किसी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत रह कर आनलाइन आवेदन करता है और धनराशि प्राप्त होती है किन्तु अगले वर्ष नवीनीकरण का आवेदन नहीं किया जाता है तो भुगतान की गयी धनराशि को संस्था द्वारा छात्र से प्राप्त कर विभाग को वापस करनी होगी। किसी छात्र का एरियर आगामी वर्ष में भुगतान किये जाने से पूर्व यह देखा जायेगा कि छात्र द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में नवीनीकरण का आनलाइन आवेदन किया गया अथवा नहीं किया गया है अर्थात् उसने उस पाठ्यक्रम में अध्ययन जारी रखा गया अथवा छोड़ दिया गया है। यदि अध्ययन को छोड़ दिया गया है तो सम्बन्धित छात्र को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क की एरियर की धनराशि अनुमन्य नहीं होगी तथा उस पाठ्यक्रम में विगत वर्ष की धनराशि वापस करनी होगी।
	6.(xix) शिक्षा सत्र के अन्तर्गत नवीनीकरण के सम्बन्ध में शिक्षण संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुरक्षण भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने वाले नवीन छात्रों के सापेक्ष कम से कम 50 प्रतिशत छात्र नवीनीकरण का आवेदन करें। यदि 50 प्रतिशत से कम नवीनीकरण का आवेदन किया जाता है तो शिक्षण संस्था को वैध कारण के अन्तर्गत बाढ़/सूखा/अनदेखी घटनाएं/ कानून व्यवस्था आदि सम्मिलित होंगे। वैध कारण न बता पाने की स्थिति में नवीनीकरण न करने वाले छात्रों की धनराशि संस्था को वापस करनी होगी तथा नवप्रवेशित छात्रों के लिए संस्था छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए अनर्ह होगी। संस्था में नवप्रवेशित छात्रों में से अगले वर्ष यदि 50 प्रतिशत से अधिक छात्रों द्वारा नवीनीकरण किया जाता है तो संस्था व छात्र छात्रवृत्ति हेतु अर्ह होंगे।
	6.(xx) (d) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय जिनको NAAC (National Assessment & Accreditation Council- and Autonomous Institution of the University Grant Commission) ने मूल्यांकन के उपरांत B या उससे ऊपर की ग्रेडिंग लेवल प्रदान की गयी है, में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। (ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों जिन्हे NBA (National Board of Accreditation) से ग्रेडिंग लेबल प्रदान की गयी है, में अध्ययनरत छात्र/ छात्राओं को अनुरक्षण भरता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।
	16(1) शिक्षण संस्थान के दायित्व )xxix-( सख्त द्वारा छात्र के अधार नम्बर एवं 75 प्रतिशत उपरिख्ति का अनिवार्य रूप से सत्यापन करने के उपरांत ही आवेदन पत्र आनलाइन जग्गसारित किया जायेगा।
	16(1) जिला समाज कल्याण अधिकारी के दायित्व )xiii-( जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी के साथ-साथ छात्रवृत्ति योजना वा कार्य देख रहे सम्बन्धित पट्टन सहायक के डिजिटल सिनेचर से संयुक्त रूप से मास्टर डाटा एवं अन्य डाटा को लॉक करने आदि की कार्यवाही की जायेगी।
16(1) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के दायित्व (ii)	16(1) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के दायित्व (ii) शिक्षण संस्थाओं के उपयोगार्थ समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को जिला सूचना विज्ञान अधिकारी के माध्यम से लागिन आईडी० एवं पासवर्ड उपलब्ध कराना।
(iii) जिला सूचना विज्ञान अधिकारी उक्त लागिन आईडी० एवं पासवर्ड जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे जो सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं को उपलब्ध करायेंगे।	विलोपित

2— उक्त संशोधन वर्ष 2020-21 से लागू होंगे एवं उत्तर प्रदेश सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 (यथा संशोधन)-2016 व 2017 एवं तदोपरांत अन्य संशोधित नियमावली/ शासनादेश के शेष प्राविधान पूर्वत प्रभावी रहेंगे।

(सुधा श्रीवास्तव)  
विशेष सचिव

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**पृष्ठा 0 सं-221/2019/4119(1)/26-3-2019 तददिनांक-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उम्प्र०, इलाहाबाद।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुखसचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मार्शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उम्प्र०शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उम्प्र०।
- 4- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास, उम्प्र० लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त संशोधित नियमावली को सम्बन्धित जनपदों को ई-मेल के माध्यम से तत्काल प्रेषित कराते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उम्प्र०, लखनऊ।
- 6- निदेशक, कोषागार, उम्प्र०लखनऊ।
- 7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उम्प्र०लखनऊ।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- निदेशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उम्प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
सतीश कुमार  
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन  
पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2  
संख्या-960/2021/22/2021/64-2003/7/2019  
लेखनक्रम : दिनांक : 23 नवम्बर, 2021

कार्यालय जाप

30 प्र० के अन्य पिछड़ा वर्ग के दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान किये जाने हेतु शासन के कार्यालय जाप संख्या-11-1(छात्रवृत्ति)/ 2013/ 64-2-2013, दिनांक 08 जनवरी, 2013 द्वारा 30 प्र० अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली-2012 प्रख्यापित की गयी है, जो शैक्षिक सत्र 2012-13 से प्रभावी है। उक्त नियमावली के संगत प्रावधानों में प्रथम संशोधन शासनादेश सं0-61-1(छात्रवृत्ति)/ 2013/64-2-2013, दिनांक 14 फरवरी, 2013 द्वारा द्वितीय संशोधन कार्यालय जाप संख्या-637/64-2-2013-1(छात्रवृत्ति)/ 2013, दिनांक 20 नवम्बर, 2013 द्वारा तृतीय संशोधन कार्यालय जाप सं0-492/64-2-2014-1(छात्रवृत्ति)/ 2013, दिनांक 23 सितम्बर, 2014 द्वारा, चतुर्थ संशोधन कार्यालय जाप सं0-22/2016/536/64-2-2016-1(छात्रवृत्ति)/2013, दिनांक 19 अगस्त, 2016 द्वारा एवं पंचम संशोधन कार्यालय जाप संख्या-20/2017/902/ 64-2-2017-1(छात्रवृत्ति)/2013, दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 द्वारा किया गया है।

2- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पत्र संख्या-1068/पि0व0क0/2021-22, दिनांक 06 सितम्बर, 2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपानत 30 प्र० अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली-2012 यथा संशोधित नियमावली-2017 के नियम-5(xi) 2 (iii) में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

**30 प्र० अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (षष्ठम संशोधन)**

नियमावली-2021

वर्तमान नियम			प्रस्तावित नियम		
5 शुल्क/फीस ( xi )	2(iii)- समूह-3 व 4 के पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की निर्धारित धनराशि अथवा ₹ 20000/- में से, जो भी न्यूनतम धनराशि होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जाएगी।	5 शुल्क/फीस (xi )	2(iii)- समूह-3 के पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की निर्धारित धनराशि अथवा ₹ 20000/- में से, जो भी न्यूनतम धनराशि होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जाएगी।		
		-			2(iv)- समूह-4 के पाठ्यक्रमों हेतु ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में छात्र द्वारा भरी गयी वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क की धनराशि अथवा पाठ्यक्रम हेतु सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित वार्षिक अनिवार्य नॉन-रिफण्डेबुल शुल्क अथवा शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जमा करायी गयी शुल्क की निर्धारित धनराशि अथवा ₹ 10000/- में से, जो भी न्यूनतम धनराशि होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्र के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जाएगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- उपरोक्त के अतिरिक्त शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-11-1(छात्रवृत्ति)/2013/64-2-2013, दिनांक 08 जनवरी, 2013, शासनादेश सं0-61-1(छात्रवृत्ति)/2013/64-2-2013, दिनांक 14 फरवरी, 2013, कार्यालय ज्ञाप संख्या-637/64-2-2013-1(छात्रवृत्ति)/ 2013, दिनांक 20 नवम्बर, 2013, कार्यालय ज्ञाप सं0-492/64-2-2014-1(छात्रवृत्ति)/ 2013, दिनांक 23 सितम्बर, 2014, कार्यालय ज्ञाप सं0-22/2016/536/64-2-2016-1(छात्रवृत्ति)/2013, दिनांक 19 अगस्त, 2016 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-20/2017/902/64-2-2017-1(छात्रवृत्ति)/2013, दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 द्वारा प्रख्यापित/संशोधित नियमावली के शीर्ष प्रावधान यथावत् लागू रहेंगे।

हेमन्त राव,  
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तटैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त विभाग/नियोजन/न्याय/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा विभाग, ३०प्र० शासन।
- 2- महालेखाकार, ३० प्र०, इलाहाबाद।
- 3- निदेशक, एन०आई०सी०, ३० प्र० योजना भवन, लखनऊ।
- 4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5- निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि इसकी प्रतियां समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी तथा अन्य संबंधित समस्त अधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से भेजते हुए अनुपालन सुनिश्चित करायें।
- 6- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- मुख्य महाप्रबन्धक, स्टेट बैंक, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- नोडल अधिकारी, पी०एफ०एम०एस० प्रणाली, ३० प्र० लखनऊ।
- 9- समस्त उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, ३०प्र०।
- 10- समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, ३० प्र०।
- 11- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-४, ३० प्र० शासन।
- 12- गार्ड फाइल।

(रिपुंजय गुप्ता)  
अनु सचिव।

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन  
समाज कल्याण अनुभाग-3  
संख्या-108 / 2021 / 2499 / 26-3-2021-4(358) / 07 टी.सी.-111  
लखनऊ : दिनांक:- 21 सितम्बर, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

समाज कल्याण अनुभाग-3 उम्मीद शासन के शासनादेश संख्या-84 / 2016 / आर-755 / 26-3-2016-4 (358) / 07, टी.सी.-111, दिनांक-14.04.2016 एवं अन्य संसोधनों के द्वारा प्रख्यापित “उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति / जनजाति दरमातार छात्रवृत्ति योजना नियमावली” को सम्यक् प्रिचारोपरांत समेकित एवं संरचित करते हुये निम्नानुसार प्रख्यापित किया जाता है:-

क्र.सं.	वर्तमान नियम	प्रतिस्थापित नियम		
1	नाम	यह नियमावली उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति योजनातार छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2016 (नाम नकाशन सहित) कहलायेगी।	नाम	यह नियमावली उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति दरमातार छात्रवृत्ति योजना (दरमातार नियमावली-2021 रहनावधी)
2	उद्देश्य	इस योजना का मुख्य उद्देश्य केंद्रीकृतर या लोकनीय के शब्द की क्षमता में विभिन्न मानवता इन सेवण संस्थानों में विद्या उठाने पर रहे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के नीचे याता-याती अथवा अभिभावकों के अधिकार छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (अनुकूल भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) ही मुद्दिया प्रदान करना है।	उद्देश्य	इस योजना का मुख्य उद्देश्य केंद्रीकृतर या लोकनीय के शब्द की क्षमता में विभिन्न मानवता प्राप्ति सेवण संस्थानों में विद्या उठाने का रहे अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के नीचे याता-याती अभिभावकों के अधिकार छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शैक्षणिक मत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) ही सुनिया प्रदान करना है।
3	प्रसार/ विस्तार	इस नियमावली से जम्मूर भत्ता वर्ष में यहां वाले वे प्राप्त/छात्राएं आशावित होंगे तो उत्तर प्रदेश के स्थाई नियार्थी/मूल नियार्थी हों।	प्रसार/ विस्तार	प्रधानमंत्री
4	प्रारम्भ होने की तिथि	इस नियमावली के प्रारंभिक 2016-17 विकास सत्र से तार्ग होने।	प्रारम्भ होने की तिथि	उत्तर प्रदेश 2021-22 विकास सत्र से तार्ग होगा।
5	परिणाम		परिणाम	
	I- केन्द्र सरकार	“केन्द्र सरकार” का तात्पर्य भारत सरकार से है।	केन्द्र सरकार	प्रधानमंत्री
	II- राज्य सरकार	“राज्य सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।	राज्य सरकार	प्रधानमंत्री
	III-अन्यर्थी	‘अन्यर्थी’ का तात्पर्य किसी ऐसे विद्यार्थी से है जो उत्तर प्रदेश का मूल नियार्थी हो तथा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्याग संस्था में संबलित मायदा प्राप्त याटवक्तम में सम्बद्धत विद्यार्थी के लिए में विद्या उठाने कर रहा हो।	अन्यर्थी	प्रधानमंत्री
	(IV) नियोजित	नियोजित का तात्पर्य सम्बल कल्याण नियोजित, उत्तर प्रदेश से है।		प्रधानमंत्री
	(V) नियोजक	“नियोजक” का तात्पर्य नियोजक समाज कल्याण उत्तर प्रदेश से है।		प्रधानमंत्री
	(VI) वित्त नियन्त्रक	वित्त नियन्त्रक का तात्पर्य सम्बल कल्याण नियोजित, उत्तर प्रदेश के वित्त नियन्त्रक से है।		प्रधानमंत्री
	(VII) नोडल अधिकारी	“नोडल अधिकारी” का तात्पर्य नियोजित समाज कल्याण नियोजित उत्तर प्रदेश द्वारा नियित दामोदार छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के नोडल अधिकारी से है।		प्रधानमंत्री

<b>(VIII)</b> राज्य मुद्रालय सिविल कोषारार	‘राज्य मुद्रालय सिविल कोषारार’ का तात्पर्य जाहाज भास्तु लखनऊ सिविल कोषारार से है।		प्रधानमंत्री
<b>IX-</b> शिक्षण संस्था व पाठ्यक्रम	‘शिक्षण संस्था’ का तात्पर्य ऐसे द्वारा लापित जगहा तथा संस्था प्राधिकारी तार से मन्याया प्राप्ता संस्थान से है व ‘पाठ्यक्रम’ का तात्पर्य सम्बद्धीया मन्यजा प्राप्त शिक्षण संस्थान में जबालित व सभल प्राधिकारी सहर से मन्याया प्राप्त पाठ्यक्रम से है।	शिक्षण संस्था व पाठ्यक्रम	प्रधानमंत्री
<b>X- अनुसूचित जाति</b>	‘अनुसूचित जाति’ का तात्पर्य जनजीवन के उन्नती-341 के अन्तर्गत प्राची अधिकारी का प्रयोग करते हुए भास्तु के राष्ट्रपति द्वारा तार प्रटीक के तिर जारी अनुसूचित जातियों की अधिनृत्या में अकित जातियों से है।	अनुसूचित जाति	प्रधानमंत्री
<b>XI- अनुसूचित जनजाति</b>	‘अनुसूचित जनजाति’ का तात्पर्य सकिवन के उन्नती-342 के अन्तर्गत प्राची अधिकारी का प्रयोग करते हुए भास्तु के राष्ट्रपति द्वारा तार प्रटीक के तिर जारी अनुसूचित जनजातियों की अधिनृत्या में अकित जातियों से है।	अनुसूचित जनजाति	प्रधानमंत्री
<b>XII - बैंक</b>	‘बैंक’ का तात्पर्य बैंकिंग राज्यव्यवस्था एवं 1949 द्वारा विनियोगित ऐसे अनुसूचित व्यवसायिक बैंक से है जिसमें कोर बैंकिंग एवं NEFT/RTGS के माध्यम से प्रसारित अन्तर्णा की सुविधा उपलब्ध है तथा साफ्टवेर बैंक प्रौद्योगिकी एवं प्रौद्योगिकी से है।	बैंक	प्रधानमंत्री
<b>XIII- रीक्षणिक सत्र</b>	‘रीक्षणिक सत्र’ का तात्पर्य प्रारंभिक वर्ष 01 जुलाई से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष 30 जून तक के शिक्षण सत्र से है।	रीक्षणिक सत्र	प्रधानमंत्री
<b>XIV-छात्रवृत्ति का शुल्क</b>	सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अधिकृत के छात्रवृत्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित देश प्रगतिशीली समिक्षित होगी-  (क) उन्नत संस्कृत भास्तु (ख) अनेकार्थ वापस न होने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति (ग) अध्यापन दोता शुल्क (घ) होम कार्य का टक्का/दूसरा छात्र (ङ) विकलाग छात्रों के लिए अतिरिक्त बताता।	छात्रवृत्ति का शुल्क	सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अधिकृत के अन्तर्गत निम्नलिखित देश प्रगतिशीली लिखित होगी- (क) <b>रीक्षणिक सत्र</b> (ख) अनेकार्थ वापस न होने वाला शुल्क जिसका नियोग कंचन/राज्य सत्रावधार वाला प्रटीक की शुल्क नियमन समिति द्वारा नक्श किया जाए हो। (ग) दिवान छात्रों के लिए नियमित रीक्षणिक शुल्क का 10 प्रतीकृत अतिरिक्त बताता।
<b>XVII- शुल्क</b>	(क) शुल्क का सातवां ऐसी इनियरिंग प्रणाली है जो लभ्यतावाद द्वारा संस्थान वा विश्वविद्यालय जगहा बोर्ड को मुआवान किया जाता है तथापि जमानती जमा राहिले जाने वाली प्रवाली इसमें शामिल नहीं होगी। शुल्क के अन्तर्गत प्रयोग/परीक्षा, रिक्षा, खेत, वृगेन्द्र लाइसेंसी, परिवार विविदता जाप और ऐसे अन्य अनिवार्य व वापर न की जाने वाली शुल्क बदलि, जो सकम लार से अनुभव्य हो रामिल होनी। छात्रवार/मेस शुल्क जैसे शुल्क इसमें शामिल नहीं होगी। नोट-1- राजकीय व निजी शेत्र के शिक्षण संस्थानों ने एक पाठ्यक्रम में एक ही बार में सभूत शुल्क की अनुमानित रामसा बनावटी अप्राप्ति किये जाने पर छात्र/छात्राएं इस	शुल्क	प्रधानमंत्री
<b>शासनादेश संख्या-148/2018 /2033/26-3-2 018-4(356)/07 टीडी०-III वित्तक 26 जून, 2018 [संपादन संसोधन] द्वारा संशोधित</b>			

		<p>योजना में ज्ञात होगे।</p> <p>नोट-२- किसी विश्विद्यालय या विहार संस्थान में प्रश्नपत्रीय कोटा लीट, स्पॉट (Spot) प्रवेश लीट के साथें प्रवैश धात्र/आत्राली द्वारा दावा किए गए शुल्क की प्रतिष्ठित अनुमत्य नहीं होती।</p>	
		<p>(ब) जिन मानवात् प्राप्त संस्थानों में मानवात् प्राप्त पाठ्यपत्रों में शुल्क सरलगता नियोगित करने की शरियत निम्न वा राज्य सरकार के सभी प्राधिकारी की है, उन मानवात् प्राप्त विश्विद्यालय संस्थानों में सरलगता बन्धात् प्राप्त पाठ्यपत्रों की अनुमोदित सीट के साथा राज्य उच्चाया कम्ब उपकार के लक्ष्य विधिकारी द्वारा अनुमोदित शुल्क सरलगता के अनुसार ली जान याती अनिवार्य व यात्रा न की जान याती शुल्क की रकम में से जो भी कम हो की प्रतिष्ठित ली जाएगी।</p>	व्यापार
	<p>शासनादेश संख्या-10/2017 /आठ-५६६९/२६ -३-२०१६-४(३५६) /०७ टी०सी०-II दिनांक १० जनवरी, २०१७ (निम्नलिखि त संरोक्त) द्वारा संरोक्ति</p>	<p>(ग) जिन निम्न लेख के संस्थानों में लक्ष्य प्राधिकारी लात् से मानवात् प्राप्त पाठ्यपत्रों में छात्रों ने तो जान याती शुल्क के नियंत्रण की शक्ति स्वयं विहार संस्थान को प्राप्त है, उन पाठ्यपत्रों ने अध्ययनरात् छात्रों का प्रदेश में स्थित राज्य विश्विद्यालयों में जापाली इन्हीं प्रदेश के स्वयंता परिवेश पाठ्यपत्र ने नियोगित अधिकार शुल्क प्रधान सभ्या द्वारा छात्रों से तो जान याती शुल्क जो भी चूनडम हो, की प्रतिष्ठित की जाएगी। निम्न लेख के विश्विद्यालयों में ऐसे पाठ्यपत्र जो तात्पर विश्विद्यालयों में सरलगता नहीं है के बचाना प्रदेश के निम्न लेख के विश्विद्यालयों में नियोगित चूनडम शुल्क उच्चाया धात्र द्वारा भी याती शुल्क की प्रतिष्ठित जो कम हो, की जाएगी।</p>	व्यापार
		<p>(घ) प्रदेश के विश्विद्यालयों से जब्द जिन निम्न लेख के संस्थान प्राप्त संस्थानों में सरलगता पाठ्यपत्रों के शुल्क लक्ष्य प्राधिकारी सत्र में नियोगित नहीं हैं उन संस्थानों में सरलगता पाठ्यपत्रों हेतु प्रवेश के किसी भी राज्य विश्विद्यालयों में सरलगता उसी पाठ्यपत्र (स्वयंता परिवेश पाठ्यपत्रों को छोड़कर दूर) में नियोगित चूनडम शुल्क उच्चाया सभ्या द्वारा छात्रों से जान याती याती वस्त्रविक फीस में से जो भी कम हो, ली प्रतिष्ठित की जाएगी।</p>	व्यापार
	<p>शासनादेश संख्या-101/2017 /आठ-१८१४/२६ -३-२०१७-४(३५६) /०७ टी०सी०-III दिनांक २३ जून, २०१७ (पद्धति संरोक्त) द्वारा संरोक्ति</p>	<p>नियम-५ (ह) तकनीकी/इन्वेन्चन से उपयोगिता ऐसे जापालीय पाठ्यपत्र जिनकी फीस प्रवेश एवं फीस नियमन समिति नियोगित नहीं करती है उन पाठ्यपत्रों में उसी प्रकार के समझा पाठ्यपत्र ने फीस नियमन समिति द्वारा नियोगित शुल्क की प्रतिष्ठित की जाएगी।</p>	वित्ताधिकार

		<p>(३) आगलाहन ब्राज़ील अवेदन पत्र के सम्बन्धित जातम में छात्र द्वारा भी गवीं पर्सिक अनियार्थ नाम-रिफ़ाइबुल शुल्क की परतारि अथवा पाठ्यक्रम हेतु राज्य प्रशिकारी लात्र से अनुसारित पर्सिक अनियार्थ नाम-रिफ़ाइबुल शुल्क अध्ययन शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र से जगा करायी गयी शुल्क की वासाविक वनसारी में ने, जो नी न्युनाल घनसारी होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के सर ने छात्र के बैंक खाते में सीधे प्रतिपूर्ति की जावेगी।</p>	<p>(३) आगलाहन ब्राज़ील अवेदन पत्र के सम्बन्धित कातम में छात्र द्वारा भी गवीं पर्सिक अनियार्थ नाम-रिफ़ाइबुल शुल्क की वनसारी उभया बाट्याक्रम हेतु स्वाम प्रतिकारी सर ने अनुसारित पर्सिक अनियार्थ नाम-रिफ़ाइबुल शुल्क अथवा विकाश तंत्रज्ञान द्वारा छात्र से जगा करायी गयी शुल्क की वासाविक वनसारी में ने, जो नी न्युनाल घनसारी होगी, शुल्क प्रतिपूर्ति के स्वप्न में छात्र के आदार रेक बैंक खाते में सीधे प्रतिपूर्ति की जावेगी।</p>
	<p>शालनावेदा तात्पा-10/2017 /आर-6959/26 -3-2016-4(358) /07 टी०८०-11 दिनांक 10 जनवरी, 2017 (प्रार्थी तंत्रज्ञान) द्वारा संशोधित</p>	<p>(४) शिक्षण संस्थानों में फैल निर्धारण ये तिवं अधिकृत राज्य तत्काल औ सम्बन्धित प्रशासनीय विभागों यथा-तात्पीकी विभा, नियोजित विभा, चल विभा, वर्वासायिक विभा, कल्याणीक विभा आदि के प्रमुख सचिव/सचिव/महानिदेशक/निदेशक द्वारा प्रत्येक विकाश संस्थान में लक्ष्य सर ते विद्यारित पद्धतिकालीन भीस निर्धारण सम्बन्धी आदारों की प्रति इत्येक वर्व निदेशक समाज वालों को उपलब्ध करायी जाएगी। जिसकी एक प्रति निदेशालय स्तर पर सुनिश्चित रूपी जाएगी एवं जावाप्री लक्षातित कर सम्बन्धित विकाश संस्थानों के जनपटों के जिला सभ्या काल्यान अधिकारियों को उपलब्ध करायी जाएगी।</p>	<p>(४) विकाश लक्ष्यानों में भीस निर्धारण ये तिवं अधिकृत राज्य तत्काल औ सम्बन्धित प्रशासनीय विभागों यथा-तात्पीकी विभा, महानिदेशक विभा, उच्च विभा, व्यवसायिक विभा, नायमित विभा आदि के प्रमुख सचिव/सचिव/महानिदेशक/निदेशक द्वारा प्रत्येक विकाश संस्थान में लक्ष्य सर ते विद्यारित पद्धतिकालीन भीस निर्धारण सम्बन्धी आदारों की प्रति इत्येक वर्व निदेशक समाज वालों को उपलब्ध करायी जाएगी। जिसकी एक प्रति निदेशालय स्तर पर सुनिश्चित रूपी जाएगी एवं जावाप्री लक्षातित कर सम्बन्धित विकाश संस्थानों के जनपटों के जिला सभ्या काल्यान अधिकारियों को उपलब्ध करायी जाएगी।</p>
	<p>बनुमत्य शुल्क के अनियों का एकत्रीकरण व संख्याकरण</p>	<p>(५) किनी नी जगपद में संचालित गाड़ीय सम्बन्धी सम्बन्धानों सामाजीय सहायता द्वारा संख्यानों राज्य/डेंटीय विश्वविद्यालयों, निवीं क्षेत्र ते विश्वविद्यालयों तथा निवीं क्षेत्र के मानवता द्वारा विकाश संस्थानों ने स्वाम स्तर से नियारित अनुमत्य शुल्क के विवरण का एकत्रीकरण व संख्याकरण जनपद स्तर पर जिला समाज कल्यान अधिकारी द्वारा व अपहल स्तर पर उन्नीदेशक, समाज कल्यान द्वारा किया जावेगा।</p>	<p>यथाया</p>
6	अंडा	<p>ब्राज़ील द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाती के अन्यर्थी निम्नलिखित जाति/प्रतिवन्दी के अधीन पात्र होंगे-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(१) केवल ये ही अन्यर्थी इसके पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश नगर से सम्बन्धित हों अर्थात् उत्तर प्रदेश नगर के स्थाई निवासी ही एवं जो उत्तर प्रदेश नगर के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ते उन्मत्यित हो और जिन्होंने किसी मानवता प्रारं विश्वविद्यालय या नायमित विभा बोर्ड की मैट्रिकुलेशन वा हावर सेल्यूलर या इससे जोड़ उपलब्ध परीक्षा जातीर्थ कर ली हो तथापि-</li> <li>(२) आगलाहन अवेदन पत्र में कोई दाटा/विवरण त्रुटिपूर्ण/बर्पूर्ण/सदिय अकेत करने पर छात्र/छात्रा को दण्डनालार</li> </ul>	<p>अंडा</p> <p>एउटी द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधीन पात्र होंगे-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(१) केवल ये ही अन्यर्थी इसके पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश नगर से सम्बन्धित हों अर्थात् उत्तर प्रदेश नगर के स्थाई निवासी ही एवं जो उत्तर प्रदेश नगर के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति ते उन्मत्यित हो और जिन्होंने किसी मानवता प्रारं विश्वविद्यालय या नायमित विभा बोर्ड की मैट्रिकुलेशन वा हावर सेल्यूलर या इससे जोड़ उपलब्ध परीक्षा जातीर्थ कर ली हो तथापि-</li> <li>(२) आगलाहन अवेदन पत्र में कोई दाटा/विवरण त्रुटिपूर्ण/बर्पूर्ण/सदिय अकेत करने पर छात्र/छात्रा को दण्डनालार</li> </ul>

		प्राप्तिः एव शुल्क प्रतिवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।		
राजनारेश संख्या-148/2018 /2063/26-3-2 018-4(358)/07 टीजी०-III दिनांक 26 जून, 2018 (लकड़म संशोधन) द्वारा संशोधित	(ii) यह छात्रसंघिया लिमिटेड अध्यादी को उठाकर मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ायी जाने गाएं सभी बन्धुता प्राप्त दाखिलाएँ वा संबोधित के बाद के पाठ्यक्रमों में अन्यथा के तिवरी भी जाएंगी। क- विषय अनुसार इंजीनियर पाठ्यक्रम। ख- निजी विषय अनुसार लाइसेंस पाठ्यक्रम। ग- ट्रेनिंगसेस उपर्याप्ति (अब राजनदा) के पाठ्यक्रम। घ- सैनिक महाविद्यालय, देहानुस के प्राचीन पाठ्यक्रम। ङ- अधित भारतीय तथा राष्ट्र सतीष पूर्ण परीक्षा प्रतिक्रिया केन्द्रों के पाठ्यक्रम। च- उत्तरांश चार्टर्स के नुसार अनुवाती विज्ञानों में संचालित ऐसे पाठ्यक्रम जिनको किसी विश्वविद्यालय/एफिलिपेटिंग शाली/संस्था विभाग लेव से लाईफिंक्ट/अकादम प्रशान नहीं किये जाते हैं तथा सभी संस्थानों में परीक्षा आयोजित नहीं होती अधिकृत व फै अवैत ऐसे पाठ्यक्रम जो जिसी सभी संस्थान में निरचित नहीं किये जाते।		प्रधान	
	(iii) ऐसे अध्यर्थी जिनको नाम-पिता आदा अधिनायकी भी समस्त राज्यों से विषयिक आव याव तत्कार द्वारा नियांरित आव रीमा से अधिक न हो।			प्रधान
	(iv) ऐसे अध्यर्थी पाव नहीं होंगे जो विक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पारपाता विक्षा के दूसी चरण से किसी दूरारे विक्षा में विषयक छासे लगें। उदाहरणार्थ-इण्टर आर्ट्स करने के बाद इण्टर लाईस करने की या दैशुषु करने के बाद बीकूल करने लगे या एक विषय में एम्प्लॉ करने के बाद किसी दूसरे विषय में एम्प्लॉ करने लगे।		प्रधान	
शासनादेश संख्या-148/2018 /2063/26-3-2 018-4(358)/07 टीजी०-III दिनांक 26 जून, 2018 (लकड़म संशोधन) द्वारा संशोधित	(v) स्टार्टिप्केट लेवल, स्नातक पूर्व डिप्लोमा लेवल स्नातक पाठ्याता डिप्लोमा लेवल, स्नातक लेवल व परास्नातक लेवल इन छाक्टरेट लेवल के अन्तर्गत केवल एक पाठ्यक्रम में अनुसन्धान भला एवं शुल्क प्रतिवृद्धि की सुविधा अनुमन्य होगी। एक ही लेवल के अन्तर्गत दूसरे पाठ्यक्रम में सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।	(v) स्टार्टिप्केट लेवल, स्नातक दूसरे डिप्लोमा लेवल, स्नातक लेवल, स्नातक उपरात स्नातक लेवल परास्नातक लेवल, परास्नातक के उपरात डिप्लॉ लेवल एवं डाक्टोरेट लेवल के अन्तर्गत केवल एक पाठ्यक्रम में रैकार्डिक भला एवं शुल्क प्रतिवृद्धि की सुविधा अनुमन्य होगी। एक ही लेवल के अन्तर्गत दूसरे पाठ्यक्रम में सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।		प्रधान
	(vi) तत्तत सरक पाठ्यक्रम हन के कारण कट्टरातीय डाइम्ब्ल की 12वीं ज्ञा के हावर सेक्षन्डी स्कूल पाठ्यक्रमों की 11वीं कक्ष के छाव इसके पाव नहीं होग विधायि, उन यामलों में ज्ञा ऐसे पाठ्यक्रमों की 10वीं कक्ष की परीक्षा में लिया जाता है और 10वीं ज्ञा प्रार्थीन करने के इवात छाव ने शुल्क पाठ्यक्रमों में प्रयोग ते लिया हो। ऐसे छावों को मैट्रिक्सात छाव समझा जाएगा।			प्रधान
	(vii) नदि विकासी इन्टर्नशिप अधिकों के द्वारा कुछ परिश्रमिक अध्या करना			प्रधान

	<p>पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण के दौरान कुछ भला या छोड़ा या रहे हैं तो एम्बेडीडीएसडी पाठ्यक्रम में इन्हें प्रति/हाल सेनारिय वी जारी के लिए उच्चांश पाठ्यक्रमों में व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा।</p>		
	(viii) प्रिक्सिल ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में यहने वाले छात्र इसके पात्र होने यदि उन्होंने पाठ्यक्रम की अवधि के दौरान उन्हें डिप्लोमा जारी करने की अनुमति न दी गयी हो।		व्यापार
	(ix) किसी भी साथक प्राप्त स्नातकोत्तर या इससे ऊपर के पाठ्यक्रम के नवाचारी दूटिला (स्टाइफेन्ड) उच्चांश संलालिष याने वाले छात्र/छात्राएं इसके लिए जहाँ नहीं हैं।		व्यापार
	(x) ऐसे छात्रों की छात्रवृत्ति दी जानी विनाम्र गता/पिछान/ परिणय में स्नातक पूर्ण/स्नातक/ स्नातकोत्तर परीक्षा अनुरीण या तरीके करने के बाद जिसी गतापात्र व्यवसायिक पा तकनीकी इन्हें-पत्र/ डिप्लोमा/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्राप्त लिया हो बजाए कि वह अन्यथा इसके पात्र हो। छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिवृत्ति प्राप्त करने हेतु छात्र का सभी पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।		(x) ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति दी जानी विनाम्र गता/पिछान/ परिणय में स्नातक पूर्ण/स्नातक/ स्नातकोत्तर परीक्षा अनुरीण या उत्तीर्ण करने के बाद जिसी गतापात्र व्यवसायिक पा तकनीकी इन्हें-पत्र/ डिप्लोमा/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्राप्त लिया हो, बजाए कि वह अन्यथा इसके पात्र हो। छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिवृत्ति प्राप्त करने हेतु छात्र का सभी पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण/ प्रोनाम होना अनिवार्य होगा।
	(xi) जन रोजगार पाल छात्रों को सभी अधिकारी रूप से देय वाइस न किये जाने वाले शुल्क की प्रतिवृत्ति की तीव्र तब मेट्रिकोलर शास्त्रज्ञता के लिए पात्र बनवा गया है, जिसकी स्वतंत्रता की व उनके गता-प्रिय उच्चांश संलग्नों की जीवी चोटों ने कुत वार्षिक आव अधिकारम निर्धारित गतिशील आप जीवा से अधिक न हो।		व्यापार
	(xii) एक ही मात्र-विता द्वारा संख्या के सभी बच्चे जारी का लाभ प्राप्त करने के हकदार होंगे।		व्यापार
	(xiii) इस शोजना के अधीन छात्रवृत्ति प्राप्त याता कंट्रै भी छात्र अन्य छात्रवृत्ति/प्रतिवृत्ति नहीं होता। यदि कंट्रै अन्य छात्रवृत्ति/प्रतिवृत्ति प्रदान किया गया हो तो छात्र उक्त दोनों छात्रवृत्ति/ प्रतिवृत्ति में से किसी एक के लिए जो भी उपाय लिए अधिक लाभदार हो, अपना विकास दे सकता है और दिये गये फिक्स्ड हो जाने में सूचना संख्या अनुच्छेद के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रदानकारी अधिकारी को देनी चाहिए। छात्र/छात्रा को उत्त तारीख से, जिसके वह दूसरी छात्रवृत्ति/प्रतिवृत्ति सहेकार लेता/ करता है, इस योजना के अधीन जिसी भी छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जायेगा ताकी, छात्र सभी संख्याओं से वा जिसी अन्य चोटों से प्रुलाक उपकरण सहीदारों वा आवास तब भेजन आवश्यक पर होने वाले बयों को पूरा करने के लिए इस योजना के अधीन भुगतान की गयी छात्रवृत्ति की रकम के अधीनिक नियुक्त भाग वा अनुदान या उत्तर्य आविष्क रहावता-संविकार कर लेता है।		व्यापार

	(xiv) ये छात्रवृत्ति ड्रापाकर्ता, जो केन्द्र/राज्य सरकार से विभीषण सहायता के साथ किसी परीक्षा-पूर्व प्रतीक्षण केंद्रों में कठिनी प्राप्त कर रहे हैं, कठिनी कल्याकम की व्यवस्था के लिए जांचिंग योजनाओं के अनुरूप वर्णनों के पात्र नहीं होते।	सरकारी
	(XV) यह तक सार-वित्त में से कोई एक (अधिक विवाहित बेटोजगार के सामने में पर्ति) जीवित है, तब तक सार-वित्त/वित्त जैसी भी स्थिति हो, की सभी ज्ञातों से प्राप्त आप को दी लिया जायेगा न कि अन्य सदस्यों की आप को बहु छनने याते ही बचों न हो। आप घोषणा इत्य से हसी बालक पर आप की घोषणा बहुल वर्पेशी है। केवल उस समाज में यह सार-वित्त दोनों (अधिक विवाहित विन्यु बेटोजगार समाज में पर्ति) की मृत्यु ही जाती है तो उस सदस्य की आप को लेना होगा, जो विद्यार्थी की बढ़ाई में जहाजवल कर रहा है। ऐसे छात्र विनके माता-पिता की आए दुमायदाक किसी एक की मृत्यु के कारण फ्रेगित होती है और इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत विवाहित बाल-सीम में आ जाती है तो ऐसी दुखद घटना होने वाले रहने से वह छात्रवृत्ति का पात्र बन जाएगा, बहरे वह छात्रवृत्ति की अन्य सही पूरी कलता हो, ऐसे छात्रों से छात्रवृत्तियों के लिए आवेदन पर अनुकम्भा के आधार पर, आवेदन ड्राप्ट की अनिम तारीख को समाप्त होने के पश्चात भी विचार किया जा सकता है।	सरकारी
<b>शासनादेश</b> <b>संख्या-10/2017</b> <b>/आर-5859/26</b> <b>-3-2016-4(356)</b> <b>/07 दीप्ती-II</b> <b>दिनांक 10</b> <b>जनवरी, 2017</b> <b>(वर्तुर्ध लोकसभा)</b> <b>द्वारा संशोधित</b>	(XVI) यदि कोई छात्र विभग वर्ष छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतीपूर्ति ड्राप्ट करने के उपरान्त पाठ्यक्रम को अपूरा छांडाकर किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रोत्तो लेता है, तो वह नये पाठ्यक्रम के पहले वर्ष में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतीपूर्ति हेतु उन्हें होता। छात्र के अनियापक द्वारा लाभ वर्ष पर से जीवित प्रमाणित होने तथा नवे पाठ्यक्रम में अव्यवहार जारी रखने पर नये पाठ्यक्रम में दूसरे वर्ष से नये छात्र के लागे व छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतीपूर्ति हेतु पात्र होता। पुनः पाठ्यक्रम परिवर्तन करने पर छात्र नये पाठ्यक्रम की छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतीपूर्ति हेतु बदल होता।	(XVII) यदि कोई छात्र विभत वर्ष रीक्षणिक भला एवं शुल्क प्रतीपूर्ति प्राप्त करने के उपरान्त पाठ्यक्रम को अपूरा छांडाकर किसी दूसरे पाठ्यक्रम में प्रोत्तो लेता है तो वह नये पाठ्यक्रम के वहले वर्ष में रीक्षणिक भला व शुल्क प्रतीपूर्ति हेतु अवहो द्वारा। छात्र के अनियापक द्वारा लाभ वर्ष पर से जीवित प्रमाणित होने तक नये पाठ्यक्रम में अव्यवहार जारी रखने पर नवे पाठ्यक्रम में दूसरे वर्ष से नये छात्र के लागे व रीक्षणिक भला एवं शुल्क प्रतीपूर्ति हेतु पात्र होता। पुनः पाठ्यक्रम परिवर्तन करने पर छात्र नये पाठ्यक्रम की रीक्षणिक भला व शुल्क प्रतीपूर्ति हेतु अवहो द्वारा।
<b>शासनादेश</b> <b>संख्या-101/2017</b> <b>/आर-1614/26</b> <b>-3-2017-4(356)</b> <b>/07 दीप्ती-III</b> <b>दिनांक 23 जून,</b> <b>2017 (बृद्धम</b> <b>संशोधन) द्वारा</b> <b>संशोधित</b>	(XVIII) रीक्षणिक सत्र में 75 प्रीतिशत या उससे ऊपर उपरिलिख वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतीपूर्ति द्वारा अनुमत्य होती। उसके उपरिलिख द्वारा उत्तरदायित्व संस्था का होता। यदि किसी छात्र की उपरिलिख 75 प्रीतिशत से कम है तो छात्र को मुक्तालित शुल्क की प्रवरालि व्यवस्था करनी होती।	(XVII) रीक्षणिक सत्र में 75 प्रीतिशत या उससे ऊपर उपरिलिख वाले छात्र/छात्राओं को रीक्षणिक भला एवं शुल्क प्रतीपूर्ति सुधारा अनुमत्य होती। उसके उपरिलिख आधार वेस उपरिलिख द्वारा किसी भीतिक रूप से कलालोकों के संचालन होने पर को स्पष्टित करके प्राप्तेक मह उपरिलिख प्राप्तिशत करने एवं उपरिलिख छात्रवृत्ति घोटाल पर अल्लोड करने का उत्तरदायित्व संस्था का होता। यदि किसी छात्र की उपरिलिख 75 प्रीतिशत से कम है तो ऐसे छात्र छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं होते तथा छात्र को यदि मुक्तालित हो याता है तो मुक्तालित घनतात्त्वी छात्र अथवा संस्था को वापस करनी होती।
<b>शासनादेश</b> <b>संख्या-148/2018</b> <b>/2063-26-3-2</b> <b>018-4(356)/07</b> <b>दीप्ती-III</b> <b>दिनांक 26 जून,</b>	(XIX) यदि छात्र/छात्रा किसी पाठ्यक्रम में अव्यवहार रह कर आनलाइन अवेदन करता है और घनतात्त्वी प्राप्त होती है किन्तु अगले वर्ष उपर्याप्त छांडा दिया जाता है अथवा संस्था/पाठ्यक्रम को संशम सहर से अनुमति के दिन परिवर्तित कर दिया जाता है तो यह वर्ष की मुक्तालित घनतात्त्वी को संस्था द्वारा छात्र से द्वारा कर दिया जाना	(XVIII) यदि छात्र/छात्रा किसी पाठ्यक्रम में अव्यवहार रह कर आनलाइन अवेदन करता है और घनतात्त्वी प्राप्त होती है किन्तु अगले वर्ष उपर्याप्त छांडा दिया जाता है अथवा संस्था/पाठ्यक्रम को संशम सहर से अनुमति के दिन परिवर्तित कर दिया जाता है तो यह वर्ष की मुक्तालित घनतात्त्वी को संस्था द्वारा छात्र से द्वारा कर दिया जाना

	<p><b>2018 (कल्पना संशोधन) द्वारा संशोधित</b></p>	<p>है तो गहरी की मुद्रालाल की गयी धनराशि को संख्या द्वारा छात्र से प्राप्त कर विभाग को वापस करनी होगी। विनीत छात्र का एरियर आगामी वर्ष में द्वारालाल किये जाने से पूर्व वह देखा जायेगा कि छात्र द्वारा सम्बन्धित पाठ्यक्रम में नवीनीकरण का फ़ासलझून आवंटन किया गया अथवा नहीं किया गया है जबकि उसने उस पाठ्यक्रम में अध्ययन यारी रखा गया है यदि अध्ययन की छोड़ दिया गया है तो सम्बन्धित छात्र की अनुसंधान मत्ता एवं शुल्क की एरियर की धनराशि प्राप्तमत्ता नहीं होगी तथा उस पाठ्यक्रम में विगत वर्ष की धनराशि वापस करनी होगी।</p>	
	<p><b>कल्पनादेवा संभा-148/2018 /2063/26-3-2 019-4(358)/07 टीकारी-III दिनांक 28 जून 2018 (उत्तरान संशोधन) द्वारा संशोधित</b></p>	<p>[XXX] विभाग सत्र के अन्तर्गत नवीनीकरण के सम्बन्ध में विभाग संख्या द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुसंधान भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने वाले नवीन छात्रों के सारें सभी तम से कम 50 प्रतिशत छात्र नवीनीकरण का आवंटन करे। यदि 50 प्रतिशत से कम नवीनीकरण का आवंटन किया जाता है तो विभाग संख्या को वेद कारण भत्ता नहीं होगे। किंतु कारण के अन्तर्गत बाड़/सूखा/झनदेली/बहनाई/कलून व्यवस्था आदि सम्बन्धित छात्रों की स्थिति में नवीनीकरण न करने वाले छात्रों की धनराशि संख्या हो वापस करनी होगी।</p>	<p>(XIX) विभाग सत्र के अन्तर्गत नवीनीकरण के सम्बन्ध में विभाग संख्या द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि रीकार्ड भत्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि प्राप्त करने वाले नवीन छात्रों के सारें सभी तम से कम 50 प्रतिशत छात्र नवीनीकरण का आवंटन करे। यदि 50 प्रतिशत से कम नवीनीकरण का आवंटन किया जाता है तो विभाग संख्या को वेद कारण के अन्तर्गत बाड़/सूखा/झनदेली/पठनाई/कानून व्यवस्था आदि सम्बन्धित होंगे। वेद कारण न बढ़ाये वाले छात्रों की स्थिति में नवीनीकरण न करने वाले छात्रों की धनराशि संख्या हो वापस करनी होगी।</p>
	<p><b>कल्पनादेवा संभा-222/2019 /4138/26-3-2 019-4(358)/07 टीकारी-III दिनांक 14 अक्टूबर 2019 (उत्तरान संशोधन) द्वारा संशोधित</b></p>	<p>e-(xxi)(क) केन्द्र/राज्य नरसंकार द्वारा मान्यता प्राप्त निवी कंत्र से विश्वविद्यालय जिनको NAAC (National Assessment &amp; Accreditation Council- and Autonomous Institution of the University Grant Commission) से नवृत्तान के उपरान्त B वा उससे ऊपर की श्रेणी तंत्र से प्रदान की गयी है वे अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अनुसंधान भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमत्य होगी। (ख) अधिकल भारतीय तकनीकी विभाग पाइएट नई दिल्ली (नामव संसाधन विकास नियंत्रण संस्थान संस्थानी में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में वर्ष 2024 तक NBA (National Board of Accreditation) बैंडिंग प्राप्त करी होगी। वर्ष 2025-26 विभाग सत्र ने NBA (National Board of Accreditation) बैंडिंग ग्राह संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को ही रीकार्ड भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमत्य होगी।</p>	<p>e-(xx)(क) केन्द्र/राज्य नरसंकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंन्या/राज्य/निवी/दीस्ट आदि तनी विश्वविद्यालयों एवं विभाग संख्याओं को NAAC (National Assessment &amp; Accreditation Council- and Autonomous Institution of the University Grant Commission) से वर्ष 2024 तक बैंडिंग प्राप्त करनी होगी। वर्ष 2025-26 से उक्तानुसार बैंडिंग प्राप्त विश्वविद्यालयों/विभाग संख्याओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को रीकार्ड भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमत्य होगी। (ख) अधिकल भारतीय तकनीकी विभाग पाइएट, नई दिल्ली (नामव संसाधन विकास नियंत्रण संस्थान संस्थानी में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में वर्ष 2024 तक NBA (National Board of Accreditation) बैंडिंग प्राप्त करी होगी। वर्ष 2025-26 विभाग सत्र ने NBA (National Board of Accreditation) बैंडिंग ग्राह संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को ही रीकार्ड भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमत्य होगी।</p>
	<p><b>कासानादेवा संभा-222/2019 /4138/26-3-2 019-4(358)/07 टीकारी-III दिनांक 14 अक्टूबर 2019 (उत्तरान संशोधन) द्वारा संशोधित</b></p>	<p>e-(xxii) निवी कंत्र के विभाग संख्यानों/विश्वविद्यालयों में संचालित ऐसे मान्यता प्राप्त दीक्षिणात्म पाठ्यक्रम जिनमें प्रयोग शुभ न्यूनतम वार्षिका लातारफ है के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 55 प्रतिशत अध्ययन उसके दीक्षिण तक पाने वाले किसी भी विभाग विकास से प्रयोगित (निवेशनेट कोटा) एवं स्पाट प्रवेश विकास को छात्रकर्म छात्र/छात्रावे छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह होगे।</p>	<p>e-(xxi) कंत्र के विभाग संख्यानों/विश्वविद्यालयों में संचालित ऐसे मान्यता प्राप्त दीक्षिणात्म पाठ्यक्रम जिनमें प्रयोग शुभ न्यूनतम 55 प्रतिशत अध्ययन उसके दीक्षिण तक पाने वाले किसी भी विभाग विकास से प्रयोगित (निवेशनेट कोटा) एवं स्पाट प्रवेश विकास को छात्रकर्म छात्र/छात्रावे छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह होगे।</p>

			(xxii) जाईटीजाई पाठ्यक्रम अवधा ऐसे पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश की बूनदाम दोषता हाईकूल अपवा कक्ष-४ निर्धारित है। इसका करने के ०६ वर्ष के बन्दर निजी होते हैं जहाँ जन्मानों में उक्त प्रकार के पाठ्यक्रम ने प्रवेश लेने कर ही शैक्षणिक भला एवं कुल्प प्रतिष्ठानों अनुमत्य होती।	
7	मूल नियाल का अनुमत्य साहचर्य	प्रदेश के बन्दर नियाल की जाने वाली दशमोत्तम छात्रावृत्ति के आवेदन पत्र के साथ संलग्न जिन विवरों का अकेले होने पर पृष्ठफल से सम्बन्धित विवर प्रमाण वत्र की डब्बावकाता नहीं होती। प्रदेश के बहार की दशमोत्तम छात्रावृत्ति के आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित विवर प्रमाण पत्र (जो प्रवेश की तिथि से ०५ वर्ष से अधिक पुराना न हो) सलग्न करना अनिवार्य होता, जो आगामी के नियाल की तहतीत के उपयोगितावारी के स्तर से जारी किया गया हो एवं जाजर परिषद् उत्तर प्रदेश को विसाइट पर उपलब्ध हो।	मूल नियाल का अनुमत्य साहचर्य	विधायिका
8	माता-पिता / अभिभावकों की आवे के सम्बन्ध में कुल्पन्य साहचर्य	माता-पिता अवधा अभिभावकों वाले द्वारा की सम्बन्ध में नियन्त्रितिया साहचर्य अनुमत्य होता है।  [i] माता-पिता या पति या सरकार जैसा भी नीकीरी में होने की दशा में उनके नियोक्ता द्वारा जारी आप प्रमाण-पत्र तथा अवे आवों से प्राप्त जिविरित आवे का दोषावली पत्र होता होगा।  [ii] अभ्यर्थी के माता-पिता या पति या सरकार जैसा भी लागू हो द्वारा लिये जाने वाले नियाल भलों को "आप" से हासिल नहीं हिया जाता। परं इसे आवेदन के इच्छान के लिए पूछ की अनुमति दी गयी हो।	माता-पिता / अभिभावकों की आवे के सम्बन्ध में कुल्पन्य साहचर्य	विधायिका
		[iii] अभ्यर्थी के माता-पिता या पति या सरकार जैसा भी लागू हो द्वारा लिये जाने वाले नियाल भलों को "आप" से हासिल नहीं हिया जाता। परं इसे आवेदन के इच्छान के लिए पूछ की अनुमति दी गयी हो।		विधायिका
		[iv] जब प्रमाण-पत्र के बारे अधिक एक वर्ष तक अधिक आवधि वसे पाठ्यक्रमों में दाखिल हो जाता है तिया जाईगा अध्योत्तम एक वर्ष से अधिक वर्ष के पाठ्यक्रम की नियाल तक पुनः आवे-प्रमाण-पत्र देने ही आवश्यकता न होती। परन्तु यदि नियाल पाठ्यक्रम में प्राप्त लिया जाता है तो पुनः आवे-प्रमाण-पत्र देना होता।		विधायिका
		[v] जब किये जाने वाले आवे-प्रमाण-पत्र की विधा उस शैक्षणिक सत्र/वर्ष की फौरी जल्दी जो अकाउटिंग की जाएगी।		विधायिका

<p><b>९</b></p> <p><b>शासनादेश</b> संख्या-101/2017 /आर-1614/26 -3-2017-4(358) /07 टी०सी०-III दिनांक 23 जून, 2017 (कट्टम संस्थान) द्वारा संशोधित</p> <p><b>मास्टर डाटाबेस</b> एवं संस्थानों का पंजीकरण तथा कोर्स मास्टर</p>	<p>(i) प्रदेश के समस्त शासकीय शासकीय महापत्रा प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों तथा प्रदेश के बाहर समस्त शासकीय एवं शासकीय महापत्रा प्राप्त शिक्षण संस्थानों को शिक्षण संस्थान से सम्बन्धित समस्त अंतर्राष्ट्रीय विषय विषय- शिक्षण संस्थान का नाम, संचालित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम की मान्यता, पाठ्यक्रम हेतु स्तरम स्तर से स्वीकृत सीटों की संख्या विषय रिक्षण एवं रोड्डा गुरुत्व अधि- कारियों पर स्वयं आनलाइन भरकर 'मास्टर डाटाबेस' में प्रत्येक वर्ष जारी सम्पर्क-तारीखी में नियमित तिथि तक समिलित होना होगा। प्रत्येक शिक्षण संस्थान चाव उपरोक्त अधिकारी ने मास्टर डाटाबेस में नए पाठ्यक्रमों को जामिल कर सकेंगे एवं असंबोधित पाठ्यक्रमों को स्वयं हटा सकेंगे। मास्टर डाटाबेस में नियमित तिथि तक शामिल होने वाले शिक्षण संस्थानों एवं पाठ्यक्रमों (सी०पी०ए०) पाठ्यक्रम एवं संस्थान को छोड़कर) में अवश्यनकता उपरोक्त उपरोक्त अधिकारी ने मास्टर डाटा विषय- शिक्षण संस्थान तथा नाम मास्टर डाटा से जिता तमाज़ कल्याण अधिकारी/ गोपक/ प्रमाणी अधिकारी, प्रदेश के बाहर दरमानातर छात्रशुल्क द्वारा हटाया जावेगा। (iii) मास्टर डाटा में नामीन व सूचने विषय संस्थानों द्वारा मरे गये आनलाइन डाटा को विषयविद्यालय/ एकाडमिक एजेंसी (जैसा लागू हो) द्वारा संतुष्टि किया जाएगा। (iv) विषयविद्यालय/एकाडमिक एजेंसी के लाल से मास्टर डाटा के संस्थाननेपान्त सम्बन्धित शिक्षा विभाग विषय- शिक्षण संस्थान विभाग, व्यावसायिक विभाग अधिकारी के विभागान्वय द्वारा मास्टर डाटा का स्तरावान उपरोक्त स्वीकृती की जाएगी। विभागान्वय स्तर से संतुष्टि की उपरात ही सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के छात्रों को विषयित भता एवं शुल्क प्रतिशुल्क प्रदान की जाएगी।</p>
<p><b>शासनादेश</b> संख्या-101/2017 /आर-1614/26 -3-2017-4(358) /07 टी०सी०-III दिनांक 23 जून, 2017 (कट्टम संस्थान) द्वारा संशोधित</p>	<p><b>विषयविद्यालय</b></p>
<p><b>शासनादेश</b> संख्या-101/2017 /आर-1614/26 -3-2017-4(358) /07 टी०सी०-III दिनांक 23 जून, 2017 (कट्टम संस्थान) द्वारा संशोधित</p>	<p><b>विषयविद्यालय/एकाडमिक एजेंसी</b></p>

		<p>उपलब्ध/अपलोड करावे जायेगा। मास्टर डाटाबेस में शुद्ध डाटा मानविक भरने का पूर्ण उत्तरदायीय रूपचित्र स्लिप तस्थान का होगा।</p>	
		<p>(iv) जननद में संबंधित वैक, ऐक शायामी तथा उनके आईएफएस कोड का शुद्ध विवरण मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक समिक्षित किया जायेगा। वैक, ऐक शायामी के नाम व उनके जाह्नाइएस कोड को नास्टर डाटाबेस में जामिन करने पर आईएफएस कोड की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायीय जननद के जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा।</p>	प्रियंकित
		<p>(v) प्रदेश के अन्दर स्थित सिल्हाण संस्थानों द्वारा नास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय एवं स्थानीय जांच तथा शुटियों का निरकरण निर्धारित तिथि तक जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी मास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण के संदर्भ की रिपोर्ट उपलब्ध होने पर स्थानीय शुटियों से सम्पर्क कर संदर्भ का निवारण कर लें। अभिलेखीय एवं स्थानीय जांच में सिल्हा विभाग के अधिकारियों का आवश्यक लहज़ोग भी प्राप्त करें। प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित सिल्हाण संस्थानों द्वारा नास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय जांच एवं शुटियों का निरकरण निर्धारित तिथि तक प्रामाणी/नोडल अधिकारी, दरमोत्तर शाक्तियां भला एवं शुल्क प्रतिष्ठृति पोजना (प्रदेश के बाहर समाज कल्याण निवेशालय, लखनऊ द्वारा किया जायेगा)।</p>	<p>(v) प्रदेश के अन्दर स्थित सिल्हाण संस्थानों द्वारा नास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय एवं स्थानीय जांच तथा शुटियों का निरकरण निर्धारित तिथि तक जिला समाज कल्याण अधिकारी ने सम्पर्क कर संदर्भ का निवारण कर लें। अभिलेखीय एवं स्थानीय जांच में सिल्हा विभाग के अधिकारियों का आवश्यक लहज़ोग भी प्राप्त करें। प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित सिल्हाण संस्थानों द्वारा नास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय जांच एवं शुटियों का निरकरण निर्धारित तिथि तक प्रामाणी/नोडल अधिकारी, दरमोत्तर शाक्तियां भला एवं शुल्क प्रतिष्ठृति पोजना (प्रदेश के बाहर समाज कल्याण निवेशालय, लखनऊ किया जायेगा)।</p>
		<p>(vi) मास्टर डाटाबेस में उल्लिखित प्रदेश/जननद के अन्दर स्थित सिल्हाण संस्थानों उनमें पार्वाती स्थीर्ण की साथ्या जाइ विवरण को साथापन किया जायेगा तथा उनके द्वारा आदि विवरण की साथापन किया जायेगा तथा उनके द्वारा आदि विवरण के नोडल अधिकारियों के नोडल अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा उनके द्वारा आदि विवरण के नोडल अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा उनके द्वारा आदि विवरण के नोडल अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा उनके द्वारा आदि विवरण के नोडल अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित सिल्हाण संस्थानों द्वारा नास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण की अभिलेखीय जांच सम्बन्धित सिल्हाण संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की छाड़ करी तो प्रामाणी/नोडल अधिकारी दरमोत्तर शाक्तियां भला एवं शुल्क प्रतिष्ठृति पोजना (प्रदेश के बाहर समाज कल्याण निवेशालय, लखनऊ द्वारा किया जायेगा)। तदोपनाना प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित सिल्हाण संस्थानों द्वारा नास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण को प्रामाणी/नोडल अधिकारी दरमोत्तर शाक्तियां भला एवं शुल्क प्रतिष्ठृति पोजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निवेशालय, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।</p>	<p>(vi) मास्टर डाटाबेस में उल्लिखित प्रदेश/जननद के अन्दर स्थित सिल्हाण संस्थानों उनमें पार्वाती स्थीर्ण की साथ्या जाइ विवरण का साथापन किया जायेगा निरीक्षक, एकिलिंबिटिंग एक्सेसों के नोडल अधिकारियों एवं संबंधित विवरणियां तो नोडल अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा उनके द्वारा आदि विवरण के नोडल अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा उनके द्वारा आदि विवरण के नोडल अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा उनके द्वारा आदि विवरण के नोडल अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। तथा स्तर से नास्टर डाटा लॉक होने पर उपरान्त उनके द्वारा आदि विवरण के नोडल अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। तदोपनाना प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में स्थित सिल्हाण संस्थानों द्वारा नास्टर डाटाबेस में भरे गये विवरण को प्रामाणी/नोडल अधिकारी दरमोत्तर शाक्तियां भला एवं शुल्क प्रतिष्ठृति पोजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निवेशालय, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।</p>

		<p>नास्टर लाटाप्रेस मेरे गवे विकल्प को प्रभारी/ नोडल अधिकारी दशमोहल छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिष्ठाति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशकलय, लखनऊ द्वारा अपने डिजिटल सिमोवर से निर्धारित तिथि को लाल किए जावेगा।</p>		
10	अनुस्थान भत्ता की निर्धारित दरे।	<p>(i) दशमोहल छात्रवृत्ति नियमबद्धी के अन्तर्गत स्थग्य पर निर्धारित सम्मुखावार पाठ्यक्रमवार अनुस्थान भत्ता की दर एवं विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त सुविधा व इच्छा दरों का जो प्रतिधित किया गया है, वह लटनुलम लाभ रहेगा जो संलग्नक परिसीट 'क' में अंकित है।</p>	अनुस्थान भत्ता की निर्धारित दरे।	<p>दशमोहल छात्रवृत्ति नियमबद्धी के अन्तर्गत स्थग्य-सम्बन्ध पर नास्टर लाटाप्रेस द्वारा निर्धारित सम्मुखावार पाठ्यक्रमवार शैक्षणिक भत्ता की दर एवं विकलांग छात्रों के लिए अतिरिक्त सुविधा व इच्छा दरों का जो प्रतिधित किया गया है, वह लटनुलम लाभ रहेगा, जो संलग्नक परिसीट 'क' में अंकित है।</p>
		<p>(ii) उन छात्रों को जो निशुल्क योजना और/या निशुल्क आवास के पावे हैं वह सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं उनको अनुस्थान भत्ता की दरों का 1/3 अनुस्थान व्यव दिया जायेगा।</p>		<p>(ii) उन छात्रों को जो निशुल्क योजना और/या निशुल्क आवास के पावे हैं वह सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं उनको शैक्षणिक भत्ता/व्यव दिया जायेगा।</p>
11	छात्र को अनुस्थान भत्ता व शुल्क प्रतिष्ठाति के मुण्डान हेतु रिक्षांच संस्थानों की वरीयता कम का निर्धारण।	<p>(i) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिष्ठाति हेतु अहे छात्र/छात्राओं को अनुस्थान भत्ता एवं शुल्क प्रतिष्ठाति परनामि का एकमुश्त मुगाजान किया जायेगा।</p> <p>(ii) प्रिवेशिं</p> <p>(iii) विलोपिता</p> <p>(iv) सीमित वित्तीय समाजानों को दृष्टिगत रखने हुये रिक्षांच संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को अनुस्थान भत्ता एवं शुल्क प्रतिष्ठाति यी व्यवसायी का नवीनीकरण एवं तदीयताना नये छात्रों को अनुस्थान भत्ता एवं शुल्क प्रतिष्ठाति की व्यवसायी निम्नाकित वरीयता कम में बहुत की उपलब्धता की सीमा तक निर्धारित जरूरी में अवलम्बन भरे गवे आवेदन पत्रों में से छात्र यावे गये छात्र-छात्राओं को उनका द्वारा ईक में खोले गवे बहुत द्वारा गे तो ये अन्तरित करके मुगाजान यी जावेगी।-</p> <p>(v)-केन्द्र अध्यक राज्य सरकार के विभागों/निकायों द्वारा संवित्तिय विद्यालय संस्थानों व राजकीय स्वायत्तशासी विद्यालय संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राएं।</p> <p>(vi)-केन्द्र अध्यक राज्य सरकार मे शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के रिक्षांच संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राएं।</p> <p>(vii)-निजी क्षेत्र के व्यवसायी द्वारा रिक्षांच संस्थानों के व्यवसायी द्वारा प्राप्त व्यवकलानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राएं तथा राज्य विश्वविद्यालयों एवं केन्द्र व राज्य सरकार से शासकीय स्वायत्तशासी विद्यालय निजी क्षेत्र के रिक्षांच संस्थानों (Aided Institutions) के स्ववित्त पालित व्यवकलानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राएं।</p> <p>नोट- उपरोक्त कीरीबता कम मे दी बहुत की उपलब्धता के अनुसार शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिष्ठाति व्यवसीत की जावेगी। एक कीरीबता कम के सबस्त छात्र/छात्राओं को वितरण के पश्चात ही बहुत की उपलब्धता की सीमा तक अगले वरीयता कम के छात्र/छात्राओं को व्यवसायी वितरण की जावेगी। वह कम उक्त वरीयता श्रेणी-‘क’ से ‘ग’ तक जारी रहेगा।</p>	छात्र को अनुस्थान भत्ता व शुल्क प्रतिष्ठाति के मुण्डान हेतु रिक्षांच संस्थानों की वरीयता कम का निर्धारण।	<p>(i) शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिष्ठाति की व्यवसायी द्वारा एकमुश्त मुगाजान किया जायेगा। शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिष्ठाति की व्यवसायी का 40 प्रतिशत राज्यांश प्रदेश सरकार द्वारा एवं 60 प्रतिशत केन्द्रांश की व्यवसायी का मुगाजान उन्हीं छात्रों के अधार परिक ईक छात्रों में भास्त सरकार द्वारा सीधे किया जायेगा।</p> <p>(ii) रिक्षांच संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिष्ठाति की व्यवसायी व्यवसायी निम्नाकित वरीयता कम में बहुत की उपलब्धता की सीमा तक वर्षाई को अवलम्बन किए बहुत छात्रों में तीव्र वर्षारित करके दी जाते हैं (40 प्रतिशत राज्यांश प्रदेश सरकार द्वारा एवं 60 प्रतिशत केन्द्रांश की व्यवसायी का मुगाजान उन्हीं छात्रों के अधार परिक ईक छात्रों में भास्त सरकार द्वारा सीधे किया जायेगा)।</p> <p>(iii)-केन्द्र अध्यक राज्य सरकार के विभागों/निकायों द्वारा उपलब्धित राजकीय विद्यालय संस्थानों व राजकीय स्वायत्तशासी विद्यालय संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राएं।</p> <p>(iv)-केन्द्र अध्यक राज्य सरकार के उत्तरवैय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के विद्यालय संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राएं।</p> <p>(v)- निजी क्षेत्र के मानवता प्राप्त रिक्षांच संस्थानों के मानवता प्राप्त व्यवकलानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राएं तथा राज्य विश्वविद्यालयों एवं केन्द्र व राज्य सरकार से शासकीय स्वायत्तशासी विद्यालय निजी क्षेत्र के रिक्षांच संस्थानों (Aided Institutions) के स्ववित्त पालित व्यवकलानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राएं।</p> <p>नोट- उपरोक्त कीरीबता कम मे दी बहुत की उपलब्धता के अनुसार शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिष्ठाति व्यवसीत की जावेगी। एक कीरीबता कम के सबस्त छात्र/छात्राओं को वितरण के पश्चात ही बहुत की उपलब्धता की सीमा तक अगले वरीयता कम के छात्र/छात्राओं को व्यवसायी वितरण की जावेगी। वह कम उक्त वरीयता श्रेणी-‘क’ से ‘ग’ तक जारी रहेगा।</p> <p>(vi)- उपरोक्त कीरीबता कम के अन्तर्गत व्यवकलान में पात्रता रखने वाले छात्रों को विमानावाह एटेज अंक प्रदान किये जायेंगे।</p> <p>(vii)- शासकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त संस्थानों से हाईस्कूल अध्यक इन्स्ट्र करने वाले छात्रों को।</p> <p>(viii)- माता-पिता दोनों अध्यक एक के अतिरिक्त होने की दशा मे छात्र को वरीयता।</p>

	<p>सुल्क प्रतिपूर्ति प्रवासीको किसिरित की जायेगी। एक वरीयता कम के समस्त छात्र-छात्राओं को वितरण के लक्ष्य ही बहुत की उपलब्धता की सीमा तक उगले वरीयता कम के छात्र-छात्राओं को घनराजि वितरित की जायेगी। वह इन उक्त वरीयता लोगों के लिए तक नहीं रहेगा।</p> <p>(V) प्रथम वरीयता कम के अन्दर छात्रों को यद्यपि लक्ष्य के प्राप्ताक प्रतिशत एवं समृद्धार पाठ्यक्रम के बन्दुकार वेटेज उक्त प्रदान कर निम्नलिखित रोनि से किया जाएगा—</p> <p>i)- (i) विवरण</p> <p>ii) विवरण कक्षा के प्राप्ताक प्रतिशत के अनुक</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रम संख्या</th> <th>विवरण कक्षा के प्राप्ताक प्रतिशत</th> <th>वेटेज अंक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>35% तक</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>35% से अधिक 45% तक</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>45% से अधिक 60% तक</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>60% से अधिक 75% तक</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>75% से अधिक</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p>iii) समृद्धार पाठ्यक्रम के अंक</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रम संख्या</th> <th>समृद्धार पाठ्यक्रम</th> <th>वेटेज अंक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>समृद्ध-1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>समृद्ध-2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>समृद्ध-3</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>समृद्ध-4</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table> <p>प्रत्येक छात्र/छात्रा को उसके विवरण कक्षा के प्राप्ताक प्रतिशत एवं समृद्धार पाठ्यक्रम के अनुसार डिसोक्यानुसार वेटेज अंक प्रदान किया जायेगा। छात्र/छात्रा के विवरण कक्षा के प्राप्ताक प्रतिशत एवं समृद्धार पाठ्यक्रम दोनों के लंबूस्त वेटेज अंक प्राप्ति के अनुसार सबसे अधिक वेटेज अंक प्राप्त वर्णन मात्र उत्तर/उत्तरा को संभिर्यम छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की घनराजि का विवरण किया जावेगा। तदोपरान्त घटते हुए कम में बहुत की उपलब्धता ताक विवरण किया जायेगा।</p> <p>2- छात्र/छात्राओं के चुल वेटेज अंक एक जनान हानि की दशा ने अन्यर्थी की आपु को वरीयता दी जायेगी। जिसमें जबसे अधिक आपु के छात्र/छात्रा को सबसे घटते विवरण किया जायेगा। नवाचारां छात्र/छात्रा की आपु के घटते दुब कम (अलेही कम) से विवरण किया जायेगा।</p> <p>3- इसके पश्चात मैं गढ़ गढ़ अध्यार्थी जूल वेटेज अंक एवं जायु से एक समान होते हैं तो छात्र/छात्रा के नाम के अल्फार्बेटिक (A to Z) कम में डाक्टर्यूलि एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की घनराजि का विवरण किया जायेगा।</p> <p>4- छात्र/छात्राओं के घेटेज अंक आपु</p>	क्रम संख्या	विवरण कक्षा के प्राप्ताक प्रतिशत	वेटेज अंक	1	35% तक	2	2	35% से अधिक 45% तक	4	3	45% से अधिक 60% तक	6	4	60% से अधिक 75% तक	8	5	75% से अधिक	10	क्रम संख्या	समृद्धार पाठ्यक्रम	वेटेज अंक	1	समृद्ध-1	1	2	समृद्ध-2	4	3	समृद्ध-3	7	4	समृद्ध-4	10	<p>(ii)- SECC-2011 के अनुसार 03 या उससे अधिक वरीयता (Deprivations) होने पर वरीयता।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्रम संख्या</th> <th>प्रथमप्रियत हेतु विवरण किन्तु वेटेज अंक</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त लक्ष्यों से हाइकूल अथवा इंस्ट्र करने वाले छात्र।</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ऐसे छात्र जिनके माता-पिता दोनों अविवित हों।</td> <td>08</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ऐसे छात्र जिनके माता-पिता ने से कोई एक अविवित हो।</td> <td>06</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>SECC-2011 {Socio-Economic &amp; Caste Census} के सर्वे में 03 या उससे अधिक वरीयता (Deprivations) होने पर।</td> <td>04</td> </tr> </tbody> </table>	क्रम संख्या	प्रथमप्रियत हेतु विवरण किन्तु वेटेज अंक	1	शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त लक्ष्यों से हाइकूल अथवा इंस्ट्र करने वाले छात्र।	10	2	ऐसे छात्र जिनके माता-पिता दोनों अविवित हों।	08	3	ऐसे छात्र जिनके माता-पिता ने से कोई एक अविवित हो।	06	4	SECC-2011 {Socio-Economic & Caste Census} के सर्वे में 03 या उससे अधिक वरीयता (Deprivations) होने पर।	04
क्रम संख्या	विवरण कक्षा के प्राप्ताक प्रतिशत	वेटेज अंक																																															
1	35% तक	2																																															
2	35% से अधिक 45% तक	4																																															
3	45% से अधिक 60% तक	6																																															
4	60% से अधिक 75% तक	8																																															
5	75% से अधिक	10																																															
क्रम संख्या	समृद्धार पाठ्यक्रम	वेटेज अंक																																															
1	समृद्ध-1	1																																															
2	समृद्ध-2	4																																															
3	समृद्ध-3	7																																															
4	समृद्ध-4	10																																															
क्रम संख्या	प्रथमप्रियत हेतु विवरण किन्तु वेटेज अंक																																																
1	शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त लक्ष्यों से हाइकूल अथवा इंस्ट्र करने वाले छात्र।	10																																															
2	ऐसे छात्र जिनके माता-पिता दोनों अविवित हों।	08																																															
3	ऐसे छात्र जिनके माता-पिता ने से कोई एक अविवित हो।	06																																															
4	SECC-2011 {Socio-Economic & Caste Census} के सर्वे में 03 या उससे अधिक वरीयता (Deprivations) होने पर।	04																																															

एवं अत्याकृतिक छम में एक समान होने की दशा में 'प्रधम आगत प्रधम पात्र' के आधार पर धाराशृंखला एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की घनराशि का वितरण किया जावेगा। प्रधम आगत का निर्वाचन छात्र/छात्रा हारा आनलाइन आवेदन फार्म में भरने की लिंपि व समय से किया जावेगा।

(vi) सर्वेषम तभी प्रवाहर एवं पाठ्यक्रमों में एक बात विलिम की गयी अनुस्खण भला एवं शुल्क प्रतिपूर्ति दिये जाने के प्रधम वर्ष से लेकर बैठकम की समर्पित तक वर्षानुचर्त निम्नलिखित जटी एवं प्रक्रिया के अनुसार भजट की उपलब्धता की सीमा तक नवीनीकरण के प्रवाहर अवशेष अनुस्खण ही नये अन्यथीयों का वितरित की जावेगी।

(i) अनुसार भला एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की घनराशि नवीनीकरण हेतु प्रत्येक छात्र/छात्रा को विगत कक्षा के प्राप्तक्रम वितरण एवं तकनीकार पाठ्यक्रम के अनुसार बैठक एवं प्रदान किया जावेगा। अनुक्रम भला एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के नवीनीकरण हेतु प्रधमता-ii। (iv) में वर्णित वर्षाना श्रेणी के कम में अनुस्खण भला एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का वितरण किया जावेगा। किसी वर्षाना श्रेणी में पर्याप्त घनराशि उपलब्ध न रहने पर विन्दु (iii) में वर्णित वैति से बैठेज अंक प्रदान कर सम्पूर्ण बैठेज उक्त प्राप्ति के अनुसार सबसे अधिक बैठेज उक्त प्राप्ति करने वाले छात्र/छात्रा को सर्वेषम शैक्षणिक भला एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ही घनराशि का वितरण किया जावेगा। तदोपराना घटते हुए छम में वितरण किया जावेगा तथा वह विगत कक्षा में उत्तीर्णी होकर पाठ्यक्रम की अपनी कक्षा में प्रवेश ते लिया हो।

(vii) छात्र/छात्राओं के कुल बैठेज अंक एक समान होने की दशा में सर्वेषम अन्यथी की आयु की वरीयता दी जावेगी, जिसमें सबसे अधिक आयु के छात्र/छात्रा को सबसे पहले घटते हुए कम (बैठेजी कम) में वितरण किया जावेगा।

(g) इसके पश्चात मी पर्याप्त वैदि कई क्रमार्थी कुल बैठेज अंक पर्याप्त एवं एक समान होने की दशा में 'प्रधम आगत प्रधम पात्र' के आधार पर शैक्षणिक भला एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की घनराशि का वितरण किया जावेगा। प्रधम आगत का निर्वाचन छात्र/छात्रा हारा आनलाइन आवेदन फार्म में भरने की लिंपि व समय से किया जावेगा।

(h) छात्र/छात्राओं के कुल बैठेज अंक, आयु एवं अल्फार्डिक कम में एक समान होने की दशा में 'प्रधम आगत प्रधम पात्र' के आधार पर शैक्षणिक भला एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की घनराशि का वितरण किया जावेगा। प्रधम आगत का निर्वाचन छात्र/छात्रा हारा आनलाइन आवेदन फार्म में भरने की लिंपि व समय से किया जावेगा।

**नोट-(i)** धर्मोत्तर धारावृत्ति दोषनाशर्वत उक्त वरीयता श्रेणी, संयुक्त बैठेज अंक, आयु एवं अल्फार्डिक अधिक अथवा 'प्रधम आगत प्रधम पात्र' के आधार पर धारावृत्ति करते समय यह व्याप्त रखा जावेगा कि सम्पूर्ण प्रदेश में लाभान्वित होने वाले छात्रों का वरीयता गानक एक समान रखा जाय।

**नोट-(2)** राष्ट्रीय तूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ द्वारा प्रतीर्वर्ष निर्वाचित लिंपि तक उक्त उम्मत विकरण की हस्ताक्षरित तापटकापी (डीवीडी) निर्देशालय तमाज कल्याण, उपर्युक्त लखनऊ को दो प्रतीर्वर्ष में अग्रिमतेऽपर्य उपलब्ध करायी जावेगी।

**नोट-(3)** राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखनऊ द्वारा उपलब्ध बाट के अनुसुध प्रतीर्वर्ष वरीयता छम के बाहर पर

	<p><b>नोट-(1)</b> दशमात्तर छाज्जूति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्वयन उक्त वरीबता शेषी, प्रशासक/ राजूह के संपुर्ण बेटेज वा अन्य संस्कारेटिक आधार अथवा 'प्रथम आठत उपम जाती' के आधार पर लम्बान्वय करते समय वह व्याप रखा जावेगा कि तम्ही प्रदेश में लम्बान्वय होने वाले छात्रों का वरीबता मानक एक रुपान रखा जाय।</p> <p><b>नोट-(2)</b> गण्डीप तदना विडिन लैन्ड (राज्य इकाई) लखनऊ द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित तक उक्त समस्त विवरण की हस्ताक्षरित साफल्याएँ (डीवीडी) निवेशात्मक तात्पार्य कल्याण उपर्योग लखनऊ को दो प्रतिशों में अभिभैत्यार्थ उपलब्ध करायी जायेगी।</p> <p><b>नोट-(3)</b> राज्यीय सूचना विडिन लैन्ड (राज्य इकाई) लखनऊ द्वारा उपलब्ध बदल के द्वनुरूप प्रतिवर्ष वरीबता कम के आधार पर नवीनीकरण एवं नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं की अतग-अतग सूचित शेषीयार गण (गणपदवार/ चैक्यार) के विवरण की हस्ताक्षरित होन्दे एवं सामर याती, छात्र/छात्राओं के कैक खाती में पनराजि अंतरित किये जाने हेतु निवेशात्मक समाव उपलब्ध उपर्योग उपर्योग लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।</p>	<p>नवीनीकरण एवं नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं की अतग-अतग सूचित शेषीयार मांग (जनपदवार/ बैक्यार) के विवरण की हस्ताक्षरित होन्दे एवं सामर याती, छात्र/छात्राओं के कैक खाती में पनराजि अंतरित किये जाने हेतु निवेशात्मक समाव कल्याण उपलब्ध लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।</p>
<p><b>शासनादेश</b> संख्या-101/2017 /आर-1814/26- -3-2017-4(358) /07 दौ०सी०-III दिनांक 23 चून 2017 (पट्टन लंबोइन) द्वारा संरक्षित</p>	<p><b>शासनादेश</b> संख्या-483/26- 3-2019 दिनांक 30 जून, 2019 द्वारा संरक्षित</p>	<p>नियम-11 (Vii)- प्रायंक वर्ष/ शैक्षिक वर्ष में उक्त एक वर्ष जनवर-सारिणी निर्वत याती जायेगी। निर्वत जनवर-सारिणी के द्वनुरूप छाज्जूति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान नियम-11 (I) से नियम-11(Vii) तक नियांसित वर्णेपता के निवारो के अनुरूप किया जायेगा।</p> <p>नियांसित जनवर-सारिणी के उपरान किसी कल्याणवाला आनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाई जाती है अबता बुध दिनों के लिए आनलाइन आवेदन हेतु छात्रवृत्ति का पोर्टल योगा जाता है तो इस व्यवस्थ के अन्तर्गत जिन छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन किया जावेगा उनको विलिंग्ट श्रेणी मानते हुए वरीयता में सभी नींवे रखते हुए घनराजि की उपलब्धता के आधार पर उक्त निवारो में उत्तिलिंग वरीयता का पालन करते हुए नियांसित वर्णेपता के अनुसार उपर्योगी एवं शुल्क प्रतिपूर्ति का भुगतान किया जायेगा।</p>
<p><b>12</b> यशोकांश अनुसूच कल्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया एवं उत्तरो सम्बन्धित असिस्टेंटों का स्वरक्षाव शासनादेश संख्या-148/2018 /2063/26-3-2</p>	<p>(I) इस योजना में अई छात्रों को सम्बन्धित विज्ञान संस्थान द्वारा निम शर्तों के अधीन निशुल्क प्रवेश दिया जायेगा।</p> <p>(II) राजकीय एवं अनुदानित विज्ञान संस्थानों में अनुसारित पाठ्यक्रम में पात्र एवं सही ढाठा वाले छात्रों को निशुल्क प्रवेश की सुविधा अनुगम्य होगी। छात्र द्वारा संस्था में प्रवेश लेते ही नियमावली में नियांसित पात्रता में आने पर छात्रवृत्ति हेतु भी आनलाइन आवेदन करेता तथा आधार एवं ओलीटीयो० से प्रगाणीकरण के उपरान आवेदन को काइनल समिट करेगा। संस्था द्वारा आवेदन अप्रत्यारोपित करते ही छात्र निशुल्क प्रवेश हेतु अई हो जायेगा तथा उसे नियांसित प्राकृप पर कीशिय कार्ड छात्रवृत्ति पोर्टल से बनाए हो जायेगा। आनलाइन आवेदन अप्रसारित करते समय</p>	<p>नियम-12 (I) इस योजना में अई छात्रों को सम्बन्धित विज्ञान संस्थान द्वारा निम शर्तों के अधीन निशुल्क प्रवेश दिया जायेगा।</p> <p>(II)-राजकीय एवं अनुदानित विज्ञान संस्थानों में अनुसारित पाठ्यक्रम में पात्र एवं सही ढाठा वाले छात्रों को निशुल्क प्रवेश की सुविधा अनुगम्य होगी। छात्र द्वारा संस्था में प्रवेश लेते ही नियमावली में नियांसित पात्रता में आने पर छात्रवृत्ति हेतु भी आनलाइन आवेदन करेता तथा आधार एवं ओलीटीयो० से प्रगाणीकरण के उपरान आवेदन को काइनल समिट करेगा। संस्था द्वारा आवेदन अप्रत्यारोपित करते ही छात्र निशुल्क प्रवेश हेतु अई हो जायेगा तथा उसे नियांसित प्राकृप पर कीशिय कार्ड छात्रवृत्ति पोर्टल से बनाए हो जायेगा। आनलाइन आवेदन अप्रसारित करते समय</p>

<p>018-4(358)/07 टी०सी०-III दिनांक 26 फूल 2018 [सप्तम संस्करण] हाला तंत्रोधित</p> <p>(अ) प्राप्त/संख्या/विकास विभाग द्वारा नियांसित अधिकार विषय तथा आनलाइन प्राप्तवृत्ति आवेदन पत्र (हाई कोर्ट एवं समस्त परिविहार व सलगनको लाईट) जनपद लाईप्राप्तवृत्ति रहीकृति सामग्री को उपलब्ध न कराने पर जल्दा किसी स्तर पर उपाय पार्य जाने पर या फलादाहरू न किये जाने पर तथा छात्र द्वारा आनलाइन प्राप्तवृत्ति आवेदन पत्र में अपूर्ण/बुटिपूर्ण/संपूर्ण विवरण सभी पर लाला निशुल्क बोर्ड की जनसंघर्ष स्था ननामां हो जायेगी।</p> <p>(ब) जिन संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों की पिंगत वर्षों की दशमातार अनुसूचणा बोर्ड/शुल्क प्रतिपूर्ति का भूतान नहीं हुआ है उन संस्थानों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित<sup>1</sup> जनजाति छात्रों का निशुल्क प्रवेश देने के लिये सम्भाल बच्चा नहीं होगे।</p> <p>(च) संख्यान में छात्र को निशुल्क प्रवेश प्रिवेन के पश्चात छात्र व संख्यान के पश्च शुल्क तक करने के सम्बन्ध में सत्त्वन नियांसित प्राप्तप (परिविहार स्थ) पर अनुबन्ध पत्र नियांसित किया जावेगा।</p> <p>(छ) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध बजट के अन्तर्गत एवं नियमानुसारी भी प्रदिव्वा के अनुसार छात्र/छात्रा को घावपृष्ठि/शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदानार्थी विभागानुसार अत्र/छात्रा के बोर्ड बैक सभी ने राज्य मुद्रालय द्विता कोणारक से ई-पेमेंट (e-payment) के तहत PFMS (Public Financial Management System) के मध्यम से नियांसित प्रदिव्वा नुसार प्रतिपूर्ति (reimburse) की जायेगी।</p> <p>(ज) ऐसे संख्यान विनको संख्या प्राप्तिकरी स्तर से अत्यस्तुतक रुख्यान के रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया है, उनमें विहित विभागों के बनासार कुल प्रवेश कमान के साथ ८० प्रतिशत अन्तर्राजक वर्ष के छात्रों को प्रदेश देने वाले संस्थानों में ही अनुसूचित जाति ए अनुसूचित जनजाति के अध्ययनरत छात्रों को इस नियमानुसार प्रदान हो जाएगा।</p>	<p>छात्र को प्राप्ता के सम्बन्ध में पूरी उत्तरदायित्व संख्या का होगा। निशुल्क प्रवेश की सुविधा नियों के लिये संस्थानों में अनुमत्य नहीं होगी।</p> <p>(द) पर्यावरण</p> <p>नियम-12 (i) (ग) संवर्कीय एवं अनुबन्धित विभाग संस्थान में छात्रों को निशुल्क प्रवेश हेतु शीरिप कर्त्तव्य प्राप्तप पर बोर्ड होने के उपरांत विभाग द्वारा छात्र के आवार लिक बैक खाते में शुल्क प्रतिपूर्ति की बनावटी आनलाइन बोर्ड होने पर संबंधित संस्था को छात्र द्वारा ०७ दिन के भीतर शुल्क प्रतिपूर्ति की बनावटी जमा करनी होगी।</p> <p>(e) उधारण</p> <p>(f) गवाहान</p> <p>(g) विवरण</p>
<p>(II) अनुसूचित जाति/अनुसूचित<sup>1</sup> जनजाति दशमातार घावपृष्ठि एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु नवे छात्र/छात्राओं को नियांसित प्राप्तप पर<sup>2</sup> इन्टर्नेट के मध्यम से आनलाइन आवेदन करना होगा। विहित वर्ष में आनलाइन आवेदन करने वाले एवं लैपटॉप मल्टी/शुल्क प्रतिपूर्ति की घनलाति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को नवीनीकरण हेतु संस्था विवरण पूर्ण रूप से उपलब्ध करने पर लैपटॉप मल्टी/शुल्क प्रतिपूर्ति हो।</p>	<p>(II) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमातार शीरिप कर्त्तव्य प्राप्तप एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु नवे छात्र/छात्राओं को नियांसित प्राप्तप पर इन्टर्नेट के मध्यम से आनलाइन आवेदन करना होगा। विहित वर्ष में आनलाइन आवेदन करने वाले एवं लैपटॉप मल्टी/शुल्क प्रतिपूर्ति की घनलाति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को नवीनीकरण हेतु संस्था विवरण पूर्ण रूप से उपलब्ध करने पर लैपटॉप मल्टी/शुल्क प्रतिपूर्ति हो।</p>

	<p>छावडूति/ शुल्क प्रतिपूर्ति को घनती द्वारा करने वाले छाव/छावाओं को नवीनीकरण हेतु सम्पूर्ण विभाग मुन भरने के लक्ष्य पर छावडूति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु नवीन/ सरकारी राज्यालय ही नियोजित प्रायग पर आनलाइन उपलब्ध करानी होगी। छाव/छावाओं को समस्त प्रविधिवाला आनलाइन त्रुटि रिप्ट बत्तकर उत्तम इन्टरफ़ेस लेकर समस्त आवश्यक अभिलेख परिवर्तन-एवं को अनुसार उल्लग्न कर विक्षण सम्पादन ने आवेदन करने हेतु तत्त्वान् लेले जाहीं समय-सारिली ऐ नियोजित अनिम लिंग के अन्दर अनियाप्य रूप से ज्ञान करना होगा, जिसकी पावती नियोजित प्रपत्र परिवर्तन-एवं के अनुसार विक्षण सम्पादन द्वारा अभ्यर्थी को प्रदान हो जाएगी।</p>	<p>नवीन/ सरकारी सूचनाएँ ही नियोजित प्रायग पर आनलाइन उपलब्ध करानी होगी। छाव/छावाओं को गमनता प्रविधिवाला अनलाइन त्रुटि रिप्ट बत्तकर उत्तम इन्टरफ़ेस लेकर गमनता आवश्यक अभिलेख परिवर्तन-एवं के अनुसार तत्त्वान् तत् विक्षण सम्पादन में आवेदन करने हेतु तत्त्वान् लेले जाहीं समय-सारिली ऐ नियोजित अनिम लिंग के अन्दर अनियाप्य रूप से ज्ञान करना होगा, जिसकी पावती नियोजित प्रपत्र परिवर्तन-एवं के अनुसार विक्षण सम्पादन द्वारा अभ्यर्थी को प्रदान हो जाएगी।</p>
	<p><b>(III)</b> अभ्यर्थी द्वारा ज्ञान किये गये आवेदन-पत्र में लक्ष्य प्रमाण पत्र का जिला मूल प्रमाण पत्र से विक्षण सम्पादन को लाइन पर बहित समिति हेतु द्वारा किया जायेगा, विलक्षण द्वारा विक्षण सम्पादन पूरी तरह से उत्तराधी द्वारा होगी। आवेदन-पत्र के साथ उत्तराधी का जिला किये जाने के उत्तराधी जहीं एवं अहै पर्यंग मध्ये आवेदन-पत्री पर छावडूति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु सम्मुति सम्पादन सत्र पर गठित विभाग समिति द्वारा की जायेगी।</p> <p>1-सत्रा अम्बु/विदेश/प्रावर्द्ध/ आवेदन- 2-सत्रा के विवरण अवधारणा - 3-सत्रा के विवरण अनुसारी ही प्रावर्द्ध-</p> <p style="text-align: center;"><b>अध्यक्ष</b></p> <p>सम्पादन के विवरण इन्विटेड वर्ष के प्रावर्द्धक (अनु) जाति का कोई भी प्रावर्द्धक उपलब्ध न होने की दशा में</p> <p style="text-align: center;"><b>कवाच</b></p> <p>उम सम्पादन का जिला विक्षण विभाग द्वारा नामित सामाजिक संगी जा जाए और प्रावर्द्धक (अनु) जाति एवं अन्य विभाग वर्ष का कोई भी प्रावर्द्धक न होने की दशा में</p>	<p><b>(III)</b> अभ्यर्थी द्वारा ज्ञान किये गये आवेदन-पत्र में लक्ष्य प्रमाण पत्र का जिला मूल प्रमाण पत्र से विक्षण सम्पादन सत्र पर गठित विभाग समिति द्वारा किया जायेगा, विलक्षण द्वारा विक्षण सम्पादन पूरी तरह से उत्तराधी द्वारा होगी। आवेदन-पत्र के साथ उत्तराधी अभिलेखों का जिला किये जाने के उत्तराधी सही एवं अहै पर्यंग मध्ये आवेदन-पत्री पर विक्षणिक मता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति हेतु सम्मुति सम्पादन सत्र पर बहित विभाग समिति द्वारा की जायेगी।</p> <p>1-सत्रा अम्बु/विदेश/प्रावर्द्ध/ आवेदन- 2-सत्रा के विवरण अवधारणा - 3-सत्रा के विवरण अनुसारी ही प्रावर्द्ध-</p> <p style="text-align: center;"><b>अध्यक्ष</b></p> <p>सम्पादन के विवरण इन्विटेड वर्ष के प्रावर्द्धक (अनु) जाति एवं इन विभाग वर्ष का कोई भी प्रावर्द्धक न होने की दशा में</p> <p style="text-align: center;"><b>कवाच</b></p> <p>उम सम्पादन का जिला विक्षण विभाग द्वारा नामित सामाजिक संगी जा जाए और प्रावर्द्धक (अनु) जाति एवं अन्य विभाग वर्ष का कोई भी प्रावर्द्धक न होने की दशा में</p>
	<p><b>(IV)</b> उपरोक्त समिति द्वारा सम्मुत छावों को विवरण आनलाइन सम्पादित एवं अप्रसारित करने का उत्तराधीय सम्बन्धित सम्पादन का ही होना। छाव द्वारा ज्ञान आनलाइन फीडेंड आवेदन पत्र के इन्टरफ़ेस समस्त उत्तराधी सम्पादन द्वारा आनलाइन सम्पादित विवरण की हाइकार्ड परिवर्तन-एवं के अनुसार उत्तराधी सम्पादन प्रमाण-पत्र उत्तराधी के इम्प्रेस द्वारा अपनी सम्मुति महिल विभाग उत्तराधी को नियोजित लिंग एवं उपलब्ध करायी जायेगी। जिन छाव/ छावाओं का अटा शुल्कपूर्ति गता या अपूर्ण गता जाता है एवं छाव/ छावाओं की सम्पादन द्वारा सम्मुति करणे दशीति हुई छावडूति हेतु सम्मुति नहीं की जायेगी और अपने सत्र से विज्ञकर कर दिया जायेगा।</p>	<p>प्रथमांश</p>
	<p><b>(V)</b> छावडूति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु</p>	<p><b>(V)</b> विक्षणिक मता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रावर्द्धक जिला जनाव</p>



<p>कारण नहीं है।</p> <p>7- ऐडिक्ट सेल्वेयर छात्र-छात्रा के साथ में घनवारी ड्रगरेग के उपरान्त लव्हानियन छात्र-छात्रा के दाटाइट को सम्बोधित बैबसाइट से छात्रालोड कर उसकी साफ़टकारी डीवीडी, हार्डडिक्स एवं हार्डकारी (कम्प्यूटर आपरेटर, लेज़ालर, पटल तहावक, नाड़ा अधिकारी योजना एवं विल नियन्त्रक द्वारा डस्ट्राईबिट)।</p> <p>(ख) जननदीय एन्ड्रोइडसी झर पट-</p> <p>1- छात्र-छात्राओं द्वारा भी गये आवेदन पत्रों, जननद लारीय उच्चायुक्ति समिति द्वारा स्वीकृत एवं विल ताजा कल्याण अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से लाक किये गये दाटा का विवरण तथा बैनरिकारी फाईल/ट्रायेक्शन फाईल/पैक खाती में अनापित छात्रपृष्ठ/जक्क व तरंपेट दाटा का विवरण तफ्टकारी डीवीडी, हार्डडिक्स में।</p>	<p>(ख) जननदीय एन्ड्रोइडसी झर पट-</p> <p>1- छात्र-छात्राओं द्वारा भी गये आवेदन पत्रों, जननद लारीय उच्चायुक्ति समिति द्वारा स्वीकृत एवं विल ताजा कल्याण अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर से लाक किये गये दाटा का विवरण तथा बैनरिकारी फाईल/ट्रायेक्शन फाईल/पैक खाती में अनापित छात्रपृष्ठ/जक्क व तरंपेट दाटा का विवरण तफ्टकारी डीवीडी, हार्डडिक्स में।</p>
<p>(VII) विल विभाग के सम्बोधित अधिकारी द्वारा विभाग सभ्या की भवनता, औप्ता एवं वार्तालालोड सीटों के साथें जांचदारों की लड्डा आदि का परीक्षण कर उपलब्ध तायारन एवं डिजीटल हस्ताक्षर से लाक किया जावेगा। तायारनान निवेशक, रमात्म कल्याण प्रमाण पत्र में अधिका उनवारी तथा अध्य प्रमाण पत्र में अधिका उनवारी तथा अध्य प्रमाण पत्र घालक के नाम आदि का निलान बोर्ड आप रेन्यू ज्य०३० की बैबसाइट पर उपलब्ध दाटा से साईट बूजना विलान केन्द्र राज्य इकाई लखनऊ के सहयोग से लगाव जावेगा। इसी प्रकार आवेदक के जाति प्रमाण पत्र में अधिका जाति सूचीवाले तथा उनके घालक के नाम का भी निलान राज्य उपलब्ध दाटा से किया जावेगा। छात्र/छात्रा के बोर्ड/विश्वविद्यालय के परीक्षण कमात्र/परीक्षामाल आदि का निलान तन्मयनीक बोर्ड/विश्वविद्यालय की बैबसाइट पर उपलब्ध दाटा अथवा उनके द्वारा एन्ड्रोइडसी को उपलब्ध करायी गयी अधिकारिक दाटा से किया जायेगा। समस्त उनवारों के छात्रों के दाटा में से दुखीकरण दाटा की छटनी करकर उपर अन्य अवधारणा विन्युदी पर परीक्षण करतार गुरु एवं सन्देशाम्बद्ध दाटा सम्बोधित उनवारों की छात्रपृष्ठ स्वीकृति समिति को निर्धारण उपलब्ध कराया जायेगा।</p>	<p>(VI) विल विभाग के विभागाध्यक्ष/राम्भप्रियत अधिकारी द्वारा विष्वविद्यालय/एफिलिएटेंग एंड्रोइडसी की भोड़ल अधिकारी द्वारा विभाग सभ्या की भवनता, वेपाता एवं पार्वात उन्मान सीटों के साथें आवेदकों की लड्डा जाति का परीक्षण कर उन्मानान तथा विल डिजीटल हस्ताक्षर से लाक किया जावेगा। तदोपरान्त निवेशक, रमात्म कल्याण प्रमाण पत्र में अधिका उनवारी तथा अध्य प्रमाण पत्र में अधिका उनवारी तथा अध्य प्रमाण पत्र के नाम आदि का नाम आदि जा मिलान होई आप रेन्यू ज्य०३० की बैबसाइट पर उपलब्ध दाटा से राष्ट्रीय भूजना विलान केन्द्र राज्य इकाई लखनऊ के सहयोग से कराया जावेगा। इसी प्रकार आवेदक के जाति प्रमाण पत्र में अधिका जाति एवं विभाग तथा उनके घालक के नाम का भी मिलान राज्य उपलब्ध परीक्षण बोर्ड/विश्वविद्यालय के परीक्षण बोर्ड आप रेन्यू ज्य०३० की बैबसाइट पर उपलब्ध दाटा से किया जावेगा। नवीनीकरण के छात्रों का बोर्ड/विश्वविद्यालय के अंतर्गत उनके घालक के दाटा में से दुखीकरण दाटा की उन्मान उपलब्ध तथा अन्य अवधारणा विन्युदी पर परीक्षण करतार गुरु एवं सन्देशाम्बद्ध दाटा सम्बोधित उनवारों की भाग्यपूर्ति समिति को निर्धारण उपलब्ध कराया जायेगा।</p>
<p>(VIII) जननद स्तर पर अनुशुलिष्ठ जाति/अनुशुलिष्ठ जनजाति की दशभागतार टैक्सिक भला/शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एवं वितरण हेतु निम्न लाम्हों गठित गठित की जाती है-</p> <p>1-विभागिता - अवध</p> <p>2-गुरु विभाग अधिकारी - उपरान्त</p> <p>3-मानवाधीन समीक्षकों/अध्याधीनी अधिकारी - उपरान्त</p> <p>4-विभाग विभाग मिलान - उपरान्त</p> <p>5-विभाग सूचना विभाग अधिकारी -उपरान्त दायर</p>	<p>(VIII) जननद स्तर पर अनुशुलिष्ठ जाति/अनुशुलिष्ठ जनजाति की दशभागतार टैक्सिक भला/शुल्क प्रतिपूर्ति की स्वीकृति एवं वितरण हेतु निम्न लाम्हों गठित गठित की जाती है-</p> <p>1-विभागिता - अवध</p> <p>2-गुरु विभाग अधिकारी - उपरान्त</p> <p>3-विभाग विभाग मिलान - उपरान्त दायर</p> <p>4-विभाग विभाग विभाग अधिकारी - उपरान्त दायर</p> <p>5-विभाग सूचना विभाग अधिकारी - उपरान्त दायर</p> <p>6-विभाग सूचना विभाग अधिकारी - उपरान्त दायर</p>



	<p>३- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा असंचेक्त/सत्सुन न किये गये सभी डाटों के सम्बुद्ध डाटाओं का उल्लेख मै व्हेसाइट पर इप्से हिंडिट फ़िल्मवर से किया जाएगा।</p> <p>४- यही ड्रफ्टिया जलवट स्तर पर उक डाटा को शुल्क लगने के साथ से मै आपनारी जापानी तथा सम्पूर्ण आर्द्धार्द्ध नियांसित अवधी के अन्तराल पूर्ण की जाएगी।</p> <p>२- जिला समाज कल्याण अधिकारीयों द्वारा आनलाइन सत्सुन एवं लौकिक विवेद गये डाटा के आधार पर नियोगालय द्वारा एक्स्ट्राईक्सी (स्ट्रेट यूनिट) जलवट से विकासित आनलाइन साइटोवर द्वारा माग जनरेट करवी जाएगी जो नियोगालय के लाभित पर लायलब्ध हो जाएगी।</p> <p>३- इह नियमावधी के प्रक्रियानों के अन्तर्द्वारा वज्र छत्र/छात्रा को नीतिशक्ति भल्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रवर्तनी बदल की उपलब्धता के बनुसार छात्र/छात्रा के बजाए बैंक खाते में सीधे राज्य मुद्रालय लिंग कोष/कोषार से ही है-मैनेट के तहत PFMS (Public Financial Management System) ग्रामीण के माध्यम से नियांसित प्रक्रियानुसार अन्तर्द्वारा की जाएगी जिसका उत्तराधिकार नियोगालय है जिला नियन्त्रित नीदाल अधिकारी (दशमांश रीक्षणीय भल्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्तना) का होगा।</p> <p>४- पर्यावरण</p>	<p>२- जलवट</p> <p>३- इह नियमावधी के प्रक्रियानों के अन्तर्द्वारा पत्र छात्र/छात्रा को नीतिशक्ति भल्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रवर्तनी बदल की उपलब्धता के बनुसार छात्र/छात्रा के बजाए बैंक खाते में सीधे राज्य मुद्रालय लिंग कोष/कोषार से ही है-मैनेट के तहत PFMS (Public Financial Management System) ग्रामीण के माध्यम से नियांसित प्रक्रियानुसार अन्तर्द्वारा की जाएगी जिसका उत्तराधिकार नियोगालय है जिला नियन्त्रित नीदाल अधिकारी (दशमांश रीक्षणीय भल्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्तना) का होगा।</p> <p>४- पर्यावरण</p>
	<p>५- जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिवीटल रिमोटर से सत्सुन एवं लौकिक विवेद गये डाटा के आधार पर यदि किसी अपार अन्यारी को छाज्जूल्यि/शुल्क प्रतिपूर्ति की घनतारी का उल्लंघन होता है या किसी पात्र अध्यक्षी का आवेदन पत्र गलत तथ्यों के आधार पर जिला छाज्जूल्यि संवैकृति समिति से निरस्त कराया जाता है तो इसी सम्बूद्ध विम्बारी सम्बैधित जिला समाज कल्याण अधिकारी की हाथी।</p> <p>(IX) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखणऊ के स्तर पर उल्लेखीय सांख्यिकीय विवेदों से प्राप्त छात्र/छात्राओं के डाटा का परीक्षण नियमित विन्दुओं पर किया जाएगा—</p> <p>१- नीतिशक्ति भल्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदनकर्ताओं के हाईस्कूल के अनुक्रमक वर्ष एवं वार्ष का नियान ऊँठ मार्गरेक रिक्षा परिवेश एवं</p>	<p>५- जिला समाज कल्याण अधिकारी के डिवीटल फ़िल्मवर से सत्सुन एवं लौकिक विवेद गये डाटा के आधार पर यदि किसी अपार अन्यारी को छाज्जूल्यि/शुल्क प्रतिपूर्ति की घनतारी का उल्लंघन होता है या किसी पात्र अध्यक्षी का आवेदन पत्र गलत तथ्यों के आधार पर जिला छाज्जूल्यि संवैकृति समिति से निरस्त कराया जाता है तो इसी सम्बूद्ध विम्बारी सम्बैधित जिला समाज कल्याण अधिकारी की हाथी।</p> <p>(IX) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (राज्य इकाई) लखणऊ के स्तर पर उल्लेखीय सांख्यिकीय विवेदों से प्राप्त छात्र/छात्राओं के डाटा का परीक्षण नियमित विन्दुओं पर किया जाएगा—</p> <p>१- नीतिशक्ति भल्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदनकर्ताओं के हाईस्कूल के अनुक्रमक वर्ष एवं वार्ष का नियान ऊँठ मार्गरेक रिक्षा परिवेश एवं</p>

	<p>आवदनकर्ताओं के हाइस्कूल के अनुमतक, वर्ष एवं बोर्ड का मिलान छापा गयायीक रिहा परिषद एवं अन्य परीक्षा बोर्ड की बेसाइट पर उपलब्ध ढाटा से कराया जावेगा।</p> <p>2- छात्र/छात्राओं के जाप प्रमाण पत्र/नियमानुसार पत्र/जाहि प्रमाण पत्रों के जाहि करने का सत्तागम एवं उसमे अंकित विवरण वधा- जाप की धनराशि, प्रमाण-पत्र बालक का नाम, जाहि, निवास जाहि राजस्व परिषद की बेसाइट पर उपलब्ध ढाटा से कराया जावेगा।</p> <p>3- विवरण</p>	<p>अन्य परीक्षा बोर्ड की बेसाइट पर उपलब्ध ढाटा से विश्वविद्यालय लाइव कराया जावेगा।</p> <p>2- छात्र/छात्राओं के जाप प्रमाण पत्र/नियमानुसार पत्र/जाहि प्रमाण पत्रों के जाहि करने का सत्तागम एवं उसमे अंकित विवरण वधा- जाप की धनराशि, प्रमाण-पत्र बालक का नाम, जाहि, निवास जाहि राजस्व परिषद की बेसाइट पर उपलब्ध ढाटा से विश्वविद्यालय लाइव कराया जावेगा।</p> <p>3- विवरण</p>
	<p>(X) अभ्यर्थी को अनुमत्य छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि उत्तर कवरा चाहते हैं तो वह राज्य मुख्यालय लिहा कोशागार से ई-पेमेंट (<b>e-payment</b>) के तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से नियमित प्रक्रियानुसार वित्त नियन्त्रक, नोडल अधिकारी (दायरोंतर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) द्वारा तीव्र अन्वरित की जाएगी। छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का मुख्यालय प्रोविन्स एक्सचैंग किया जायेगा।</p>	<p>(X) अभ्यर्थी को अनुमत्य छात्रवृत्ति की शुल्क प्रतिपूर्ति की सुल धनराशि में से 40 प्रतिशत धनराशि लक्ष्यात्मक रूप में उत्तर काल्पनिक बैंक बचत खाते ने एकमुक्त भागीदार बैंक प्रक्रियालय के माध्यम से तीव्र राज्य मुख्यालय लिहा बैंक/ कोशागार से ई-पेमेंट (<b>e-payment</b>) से लहर PFMS (Public Financial Management System) से नियमित प्रक्रियानुसार वित्त नियन्त्रक, नोडल अधिकारी (दायरोंतर छात्रवृत्ति योजना) द्वारा तीव्र अन्वरित की जाएगी। वदप्रात भुग्यालय छात्रों को अवशोष 40 प्रतिशत धनराशि जी धनराशि मालत समकार द्वारा केन्द्रारा के रूप में सीधे छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में उत्तर प्रक्रिया के तहत मुख्यालय वित्त जाएगा।</p>
	<p>(XI) इस नियमाली के लियायानी के अन्तर्गत पात्र छात्र/छात्र जो छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि छात्र/छात्र के बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय लिहा बैंक/कोशागार से ई-पेमेंट (<b>e-payment</b>) के तहत PFMS (Public Financial Management System) से नियमित प्रक्रियानुसार 40 प्रतिशत लक्ष्यात्मक नियेतालय के वित्त नियन्त्रक, नोडल अधिकारी (दायरोंतर</p>	<p>(XI) इस नियमाली के प्रक्रियानी के अन्तर्गत पात्र छात्र/छात्र को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि छात्र/छात्र के बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय लिहा बैंक/कोशागार से ई-पेमेंट (<b>e-payment</b>) के तहत PFMS (Public Financial Management System) से नियमित प्रक्रियानुसार 40 प्रतिशत लक्ष्यात्मक नियेतालय के वित्त नियन्त्रक, नोडल अधिकारी (दायरोंतर</p>

	<p>Management System) प्रणाली के माध्यम से नियंत्रित प्रक्रियामूलक अवधिकारी वापरी विस्तर उत्तरदायित्व नियोजनात्मक के वित्त नियंत्रक नोडल अधिकारी दिशमूलतर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाएँ कर होंगा। छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में धनराशि इन्टरेस्ट में यदि कोई कठिनाई होती है तो उसका नियंत्रण नियंत्रक समाज कल्याण द्वारा किया जायेगा।</p>	
	<p><b>(XII)</b> छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में राज्य मुद्रात्मक वित्त कोषकार से ई-प्रेस्ट के लिए PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से धनराशि स्थानान्तरण हेतु नियंत्रण सत्र पर एक नोडल अधिकारी नामित होंगा। नियोजनात्मक के वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी PFMS (Public Financial Management System) प्रणाली के माध्यम से छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति वापराशी बनाने के लिए उत्तरदायी होंगे।</p>	<p><b>(XII)</b> छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में राज्य मुद्रात्मक वित्त कोषकार से ई-प्रेस्ट के लिए PFMS (Public Financial Management System) से 40 प्रतिशत राज्यांश की छात्रवृत्ति उत्तरण हेतु नियंत्रण सत्र पर एक नोडल अधिकारी नामित होंगा। नियोजनात्मक के वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी PFMS (Public Financial Management System) से छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में राज्यांशीक भास्ता/शुल्क प्रतिपूर्ति वापराशी 40 प्रतिशत धनराशि उत्तराशी बनाने के लिए उत्तरदायी होंगे। अबशेष 60 प्रतिशत की धनराशि भास्त मत्कार सत्र से छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में विहित प्रक्रियालयीन धनराशि अंतरण की जायेगी।</p>
	<p><b>(XIII)</b> नियोजनात्मक के वित्त नियन्त्रक एवं योजना हेतु नामित नोडल अधिकारी की पासकर एक्साइटेसीड द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। विस्तर उपलब्ध कराये विविध वाहनों की इनामी जारी करने के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। साथान्तरोपनां प्राप्त के बैंकिकारी के डिनर्स विल लेवर कर जाहाज नवर, कोषकार लखनऊ में पाला हेतु प्रस्तुह कर टोकन प्राप्त किया जायेगा। इस ट्रैकरी टोकन नवर को छात्रवृत्ति की विशेषादृष्टि पर जीडीएल करके द्रावनेश्वर एवं फीड करके द्रावनेश्वर फाइल जनरेट की जायेगी जो PFMS सर्वर पर स्वत नथान्तरित हो जायेगी, जिसे PFMS द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात विभाग के आडार विभाग अधिकारी/वित्त नियन्त्रक द्वारा द्रावनेश्वर को अपूर्ण करने के लिए द्रावनेश्वर काइल पुन PFMS को प्राप्त होती है। PFMS द्वारा उत्त द्रावनेश्वर काइल को अपूर्ण करते हुए द्रृजरी लगिन पर उपलब्ध कराई जायेगी। तारशाएं कोषकारी द्वारा द्रावनेश्वर काइल अपूर्ण विवा जायेगा। जिसके उपरान्त छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अन्तरण छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में संचये जायेगा। PFMS साप्टवेर से उत्ताप्तोपरान्त प्रत इनवेलिड बैंकिकारी जनरेट के लागिन एवं रुपों जिसे नियंत्रित समर्थनीय के अन्तर्गत रुप एवं PFMS सर्वर पर अपलोड करने हेतु</p>	<p><b>(XIII)</b> नियोजनात्मक के वित्त नियन्त्रक एवं योजना हेतु नामित नोडल अधिकारी जो पासकर एक्साइटेसीड द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। विस्तर का उपलब्ध करके छात्रवृत्ति के कुल बच के 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि की बैंकिकारी काइल जनरेट की जायेगी। उस बैंकिकारी काइल को PFMS (Public Financial Management System) साप्टवेर पर उपरान्त अधिकारीयों द्वारा उत्तरण PFMS कोड नवर हास्त अप्लोड कर साथान्तर कराया जायेगा। साथान्तरोपनां प्राप्त के बैंकिकारी को अनुसार विल लैपार कर आडार विभाग अधिकारी नियोजनात्मक से टोकन प्राप्त कर बैंक/बैंकार विवाहर नवर लखनऊ में यात्रा हेतु प्रस्तुह किया जायेगा। इस टोकन नवर को छात्रवृत्ति क्षत्रण हेतु प्रैटफॉर्मरसॉफ्ट पर द्रावनेश्वर के लिए जीडीएल किया जायेगा। द्रावनेश्वर काइल जनरेट होने के पश्चात PFMS सर्वर पर स्वतः रक्षान्तरित हो जायेगी। जिसे PFMS द्वारा स्वीकृत होने के लिए विभाग के आडार विभाग अधिकारी/वित्त नियन्त्रक द्वारा द्रावनेश्वर को अपूर्ण करने के लिए द्रावनेश्वर काइल पुन PFMS को प्राप्त होती है। PFMS द्वारा उत्त द्रावनेश्वर काइल को अपूर्ण करते हुए द्रृजरी/द्रृक लगिन पर उपलब्ध कराई जायेगी। तारशाएं कोषकारी/बैंक द्वारा द्रावनेश्वर काइल अपूर्ण किया जायेगा। जिसके उपरान्त छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अन्तरण छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में संचये जायेगा।</p> <p>छात्रवृत्ति को अपरीक्ष केन्द्राल को 60 प्रतिशत धनराशि के बलत्रय की जारीवाही भास्त मत्कार के नियंत्रित बैंकिकारी के अनुसार जीडीएल</p>

		<p>जिता समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा उपर्युक्त डिजिटल सिमेनेचर से सम्पूर्ण एवं लॉक किया जायेगा। जित नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी (योजना) / आहरण वितरण अधिकारी द्वारा <b>PFMS</b> साफ्टवेर पर पुनः अपलोड कर धनराशि अनुसरण करने की प्रक्रिया पूरी की जायेगी।</p>	
		<p><b>(XIV)</b> इन्हाईसी० (तज्य इकाई) द्वारा जित नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी के उपर्योग हेतु छात्रवृत्ति लक्षणदेशर में आपाधकान्त्रानुसार ऐसी बदलाव की जायेगी जिससे टोनो अधिकारियों को संपुर्ण रूप से बैनरिक्षित फाइल ट्रान्सफरम काइल एवं कोयागार के संबंध पर (आजूबी/कोयागार/पीएफएमएस संपर्क वर) दाटा को ट्रान्सफर करने का विकल्प उपलब्ध होगा।</p>	यथावत
		<p><b>(XV)</b> उपरोक्त प्रयोजन हेतु जबाहर महन् लक्षणक विभागागर को नोडल ट्रेजी नामित किया जाता है। जिता विद्यालय निरीक्षक, जिता समाज कल्याण अधिकारी, जित नियन्त्रक, नोडल अधिकारी (योजना) डिजिटल सिमेनेचर उपर्युक्त संस्था से प्राप्त करेंगे।</p>	<p><b>(XV)</b> उपरोक्त प्रयोजन हेतु कोयागार जबाहर भवन तथा भारतीय स्टेंड बैक जाहाज मवन् लक्षणक को नोडल ट्रेजी/बैक नामित किया जाता है। जिता विद्यालय निरीक्षक, जिता समाज कल्याण अधिकारी, जित नियन्त्रक, नोडल अधिकारी (योजना) डिजिटल सिमेनेचर सम्बन्धित अधिकारी संस्था से प्राप्त करेंगे।</p>
		<p><b>(XVI)</b> जित नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी द्वारा संपुर्ण रूप से डिजिटल सिमेनेचर का प्रयोग कर बैनरिक्षित एवं ट्रान्सफरम फाइल लक्षण वर्ती जायेगी। उपरान्त उपरान्त बैनरिक्षित फाइल को संहीन पर अपलोड करने, कोयागार में जित विभाग कर प्रस्तुत करने, ट्रान्सफरम पर अपलोड करने एवं टोकन छात्रवृत्ति एवं शुल्क इनिपृष्ठी की गेटवाइट पर भीड़ करने बैक से अविवरित वापस प्राप्त प्रशंसित तथा लैंडा लैंडा एवं तात्त्वन्यी समाज आवश्यक अभिलेखों के स्थानादाता विकल्प का उत्तरदायित जित नियन्त्रक का होगा।</p>	<p><b>(XVI)</b> जित नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी द्वारा संपुर्ण रूप से डिजिटल सिमेनेचर आ प्रयोग कर केन्द्रिकी एवं ट्रान्सफरम फाइल जनरेट की जायेगी। उपरान्त जनरेटेड बैनरिक्षित फाइल को संहीन पर अपलोड करने, कोयागार में जित विभाग कर इन्हें करने, ट्रान्सफरम प्राप्त करने एवं टोकन शैक्षणिक मतला एवं शुल्क प्राप्तिपूर्ति की वेबसाइट पर भीड़ करने, बैक से अविवरित वापस प्राप्त प्रशंसित वापस प्राप्त करने जैसा जैसा एवं लक्ष्यन्यी समाज आवश्यक अभिलेखों के स्थानादाता विकल्प का उत्तरदायित जित नियन्त्रक का होगा।</p>
13	नुकसान व्यवस्था	<p><b>(i)</b> सख्त में आवश्यकता अवधीन को जारी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक आनंदाहन छात्रवृत्ति आवेदन-इच्छा भरना होगा। अंतिम तिथि के पश्चात भी जारी याते आनंदाहन छात्रवृत्ति आवेदन-इच्छा पर विचार नहीं किया जायेगा।</p> <p><b>(ii)</b> नियंत्रण औं जित नियन्त्रक द्वारा राज्य सूचना विभाग केन्द्र लक्षणक के सहयोग से छात्रवृत्ति की धनराशि की नींग सुनिश्चित (एनरेट) कराकर तथा राष्ट्रीय सूचना सूचना विभाग केन्द्र लक्षणक द्वारा साफ्टवेर के माध्यम से उपलब्ध कराई गई बैनरिक्षित एवं ट्रान्सफरम फाइल द्वारा ही नियांसित तिथि के अन्यर छात्र/छात्रा से बाहर बैक खाते में सीधे राज्य मुलायम स्थित बैक कोयागार से ई-पेमेंट (<b>e-payment</b>) के तहत <b>PFMS (Public Financial Management System)</b> प्रणाली के माध्यम से नियांसित प्रक्रियानुसार धनराशि इन्तरित की जायेगी। राष्ट्रीय सूचना विभाग केन्द्र लक्षणक द्वारा विकसित साफ्टवेर ते सुनिश्चित बैनरिक्षित एवं ट्रान्सफरम फाइल में जित नियन्त्रक या नोडल अधिकारी (योजना) सार से घोर बदलाव नहीं किया जायेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में हाजार द्वारा नियांसित तिथि पर वेबसाइट को राज्य इन्हाईसी० लक्षणक द्वारा लॉक कर दिया जायेगा।</p>	<p>मुकाबल व्यवस्था</p> <p>यथावत</p>

	<p>बैंगोलिशी हव द्राव्यक्षमता फ़ाइल में वित्त नियन्त्रक या नोडल अधिकारी (पोस्ट) साथ गे कोड बदलाव नहीं किया जाएगा। प्रत्यक्ष वित्तीय वर्ष में सासन द्वारा नियंत्रित तिथि पर बजलाइट को राज्य एनबीएसी लखनऊ द्वारा लॉक कर दिया जाएगा।</p>		
	<p>(iii) उत्तरानुसार अन लाइन सुचित मीम के साथ निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट की सीमा तक विषयवाची में वर्तित वर्तीशता डॉ के अनुसार कोशाल की ई-पेमेंट (e-payment) प्रक्रिया के तहत <b>PFMS (Public Financial Management System)</b> प्रणाली के मध्यम से वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी (दशभोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना) द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं के बजट बैंक खातों में नियंत्रित तिथि तक घनताशि अनुरित कर दी जायेगी। कोशाल से ई-पेमेंट (e-payment) के तहत <b>PFMS (Public Financial Management System)</b> प्रणाली के नव्यम से पात्र छात्र/छात्राओं के बजट बैंक खातों ने नियंत्रित प्रक्रियानुसार अनुराप हेतु प्रीपेट घनताशि का अन्तरण न होने की दशा में छात्रवृत्ति हेतु भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय बांग लखनऊ में खोले गये खातों में प्राप्त ग्राह घनताशि जमा होगी। द्राव्यक्षमता फ़ैल/अधिकारी बैंक को वास्तव प्राप्त घनताशि को विभाग द्वारा छासन की अनुमति हेतु उपरांत पुन उन्होंने छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में अन्तरण की कार्यवाही की जायेगी। मून द्राव्यक्षमता फ़ैल होने पर अधिकारी वास्तव प्राप्त घनताशि को राज्य लखनऊ के विसीं हेठ में जमा करने का एक उत्तराधिकार वित्त नियन्त्रक/नोडल अधिकारी (दशभोत्तर छात्रवृत्ति योजना)/अधिकारी प्रतिपूर्ति का होगा। <b>PFMS (Public Financial Management System)</b>/बैंक का उत्तराधिकार होगा कि वे लागौरियों के खातों में अनुरित न होने वाही अनुरित एवं लागौरियों एवं दस्तक खातों का पूरी विवरण अनुरित न होने की तिथि से डिसम्बर 01 माह के अन्दर वित्त नियन्त्रक/नोडल अधिकारी (दशभोत्तर छात्रवृत्ति योजना) तथात कल्याण, निदेशालय, और लखनऊ की उपलब्ध कर देंगे। वित्त नियन्त्रक द्वारा उत्तरानुसार प्राप्त समस्त घनताशि एवं लागौरियों का विवरण लेजर ने जक्षित कर कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की घनताशि के अन्तरण का विवरण वित्त लखनऊ कल्याण अधिकारियों के तानिन पर जनप्रदायक उपलब्ध होगा।</p>	<p>(iii) उत्तरानुसार अनलाइन सुचित मीम के साथ निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट की सीमा तक विषयवाची में वर्तित वर्तीशता डॉ के अनुसार कोशाल बोगार/बैंक से <b>PFMS (Public Financial Management System)</b> प्रणाली के मध्यम से वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी (दशभोत्तर छात्रवृत्ति योजना) द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं के आधार सीडेढ बजट बैंक खातों में नियंत्रित तिथि तक घनताशि अनुरित कर दी जायेगी। कोशाल से <b>PFMS (Public Financial Management System)</b> प्रणाली के मध्यम से पात्र छात्र/छात्राओं के आधार सीडेढ बजट बैंक खातों में वित्त नियन्त्रित अनुरित घनताशि अनुरित कर दी जायेगी। द्राव्यक्षमता फ़ैल/अधिकारी बैंक को वास्तव प्राप्त घनताशि को विभाग द्वारा छासन की अनुमति हेतु उपरांत पुन उन्होंने छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में अन्तरण की कार्यवाही की जायेगी। मून द्राव्यक्षमता फ़ैल होने पर अधिकारी वास्तव प्राप्त घनताशि को राज्य लखनऊ के विसीं हेठ में जमा करने का एक उत्तराधिकार वित्त नियन्त्रक/नोडल अधिकारी (दशभोत्तर छात्रवृत्ति योजना)/अधिकारी प्रतिपूर्ति का होगा। <b>PFMS (Public Financial Management System)</b>/बैंक का उत्तराधिकार होगा कि वे लागौरियों के खातों में अनुरित न होने वाही अनुरित एवं लागौरियों एवं दस्तक खातों का पूरी विवरण अनुरित न होने की तिथि से डिसम्बर 01 माह के अन्दर अधिकारी वास्तव प्राप्त समस्त घनताशि एवं लागौरियों का विवरण लेजर ने जक्षित कर कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। ईकाइयक मात्रा एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की घनताशि के अन्तरण का विवरण वित्त लखनऊ कल्याण अधिकारियों के लागिन पर जनप्रदायक उपलब्ध होगा।</p>	
	<p>(iv) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की घनताशि विभाग/कोशाल द्वारा नियंत्रित तिथि तक पात्र छात्र/छात्राओं के आधार सीडेढ बैंक खातों में सीधे अनुरित कर दी जायेगी।</p>	<p>(iv) ईकाइयक मात्रा एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की घनताशि विभाग/कोशाल द्वारा नियंत्रित तिथि तक पात्र छात्र/छात्राओं के आधार सीडेढ बैंक खातों में सीधे अनुरित कर दी जायेगी।</p>	
	<p>(v) अनुसंधान भला 01 अप्रैल अध्ययन</p>	<p>(v) ईकाइयक भला 01 अप्रैल अध्ययन विभाग के नहीं, जो भी बाद में</p>	

		<p>नामकरण के बहीन जो भी छाद में हो से इत्याहुति पाए के उल्लंघन में उस महीने तक विसमें परीक्षाये पूरी होती है। दैये होंगे। इसके बाद विशेषज्ञ किसी महीने के 20 तारीख के बाद नामकरण कराता है तो तभी नामकरण के महीने के बाद आपने उसे महीने से दी जायेगी।</p>	<p>हो से नात सत्कार द्वारा जारी नियमावली मार्च, 2021 के अनुसार इत्याहुति वर्ष हेतु नियमित दर पर देव होंगे।</p>
		<p>(vi) नामकरण की गर्भी छावृति के नवीनीकरण के समझे में यदि यात्रवक्तम जारी रहता है तो इत्याहुति उस महीने के अंते महीने से दी जायेगी, जिस महीने तक उस तथा मुख्यतान की गयी थी।</p>	विशेषिता
14	आत्मवृत्ति की जबर्दस्ती व नवीनीकरण	<p>(i) छात्र/छात्रा जो एक बार भी नवीनीकरण उल्लंघन किया जाने के उल्लंघन से लेकर पाठ्यक्रम की सम्पत्ति तक दैये होनी चाही रहती है कि छात्र/छात्रा का आठवां बच्चा रहे। यह इत्याहुति वर्षानुसार नवीनीकृत होगी, परन्तु उसे यह है कि एक ऐसा पाठ्यक्रम के संक्षेप में जो अनेक वर्षों तक साल सालता रहता है छात्र/छात्रा हर वर्ष विश्वविद्यालय अधिक सम्भाल रहा तो गर्भी परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उच्चतर कक्षा में प्रवृत्त हो। समूह-2, 3 एवं 4 में किसी भी स्थिति में पाठ्यक्रम की उपर्युक्ति तो जटिल की इत्याहुति एवं युवा प्रीतियाँ देख नहीं होगी।</p>	<p>(i) छात्र/छात्र को एक बार भी नवीनीकरण उल्लंघन किये जाने के बरण से लेकर पाठ्यक्रम की सम्पत्ति तक दैये होनी चाही रहते कि छात्र/छात्रा का आठवां बच्चा रहे। यह इत्याहुति वर्षानुसार नवीनीकृत होगी, परन्तु यह है कि एक ऐसे पाठ्यक्रम के सम्भव्य में जो अनेक वर्षों तक सालता रहता रहता है, छात्र/छात्रा हर वर्ष विश्वविद्यालय अधिक सम्भाल रहा तो गर्भी परीक्षा में उत्तीर्ण/ प्रोग्राम होकर उच्चतर कक्षा में पूँजिता रहे।</p>
		<p>(ii) किसी भी समूह में छात्र के विशेष परीक्षा में उनके उल्लंघन का नवीनीकरण नहीं हो सकता। सचेतन छात्र को तब तक अपना रहने तक तक स्थाय यहने करना होगा, यथा तब वह अग्री उच्चतर कक्षा में प्राप्ताना नहीं हो जाए है।</p>	विधाया
		<p>(iii) यदि छात्र उत्तरस्वरूप उत्तरों के काल्पनिक परीक्षा में उन्नते ने असमर्थ रहता है तो विशेष प्रश्न-उत्तर/उत्तरात्मक सम्भव के प्रमुख की अनुष्टुटि के लिए परीक्षा प्रयोग प्रस्तुत करने पर उत्तर उसके सिवाय के प्रमुख होता यह इत्याहुति करने पर कि यदि छात्र परीक्षा में उत्तर तो यह कर्तीय हो जाता, इत्याहुति उत्तर इत्याहुति वर्ष के लिए नवीनीकृत ही जायेगी।</p>	प्रधायत
		<p>(iv) यदि विश्वविद्यालय/सम्भाल के विशेषज्ञों के अनुत्तर एक छात्र को अनेक उच्चतर कक्षा में प्रोग्राम कर दिया जाता है, तो यह यदि निचली उत्तरों ने द्वारा उत्तरों द्वारा नियमित करने में कोई सम्भव परेक्षा द्वारा परीक्षा देना अवशिष्ट हो तो यदि वह विशेषज्ञ उत्तरों के इत्याहुति के लिए पात्र हो तो यह उत्तर कक्षा में इत्याहुति पाने का इच्छार होगा, जिस कक्षा में उसे प्रोग्राम किया गया है।</p>	विधाया
		<p>(v) नवीनीकरण के प्रत्येक छात्र को विशेषज्ञ द्वारा दिया गया परीक्षण क्रमानुसार जल्दी जारीकर्त्तव्य होगा।</p>	प्रधायत
15	इत्याहुति के लिये बच्चा रहने	<p>(i) इत्याहुति प्रभारी की सतोप्रबन्धक</p>	विधायत

	<p>प्रगति एवं जावदण पर निर्भर है। बड़ि किसी समय संस्थान प्रमुख द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि कोई अधिकारी सरद अपने आवश्यक अधिकारी को कारण सतीषउगतका प्रगति करने ने उत्तरफल रहा है अधिकारी उसे दूर्ज्यवहार जैसे-इडलाल करने या उत्तर भाग लेने, रक्षानिला प्राइवेटरियो की अनुचिती के बाहर उपरियोगी में अनिवार्यता अदि का दायी पापा गया है तो छात्रवृत्ति संस्थानका करने वाला प्राधिकारी या तो छात्रवृत्ति सदृढ़ कर भड़का है अधिकारी को लकड़ा है या ऐसी अवधि जो वह उपचित समझे, तक के लिए आगे का भूततान संक रहका है।</p>	कर्ता	
	<p><b>अनिवार्यताये पापे जाने पर FIR दर्ज करना, छात्रों/ शिक्षण संस्थानों को काली सूची में डालना तथा मानवता निरक्षा करना।</b></p> <p>(ii) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति यावनाल्लग्नी छोड़ो, शिक्षण संस्थानों के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अन्य संलिङ्ग व्यक्तियों के विशेष जावोपालत नियन्त्रित प्रानिवार्यताये पापे जाने पर उपचित छात्रों/शिक्षण संस्थानों के संचालकों/प्राचानावर्यों/शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारियों आदि के विळद नियन्त्रित नुसारत भारतों ने प्रबल तृप्ति नियन्त्रित दर्ज करायी जायगी एवं गवर्नर और नगराचारी की घट्टी घटनाओं के विळिकारी के माध्यम से काली सूची की तथा ऐसे छात्रों एवं शिक्षण संस्थानों को काली सूची में दर्ज करने व शिक्षण संस्थानों की मानवता एवं सम्बद्धता नामांक लिये जाने की जांचावाई शक्ति/नियंत्रणात्मक द्वारा की जावेगी।</p> <p>1— माल्टर डाटा बेस में शिक्षण संस्थान द्वारा गलत सुनना अल्प सम्भिलित होने पर।</p> <p>2—शिक्षण संस्थान/विद्यालय में छात्र/छात्रा के अव्यवसरण न याए जाने पर।</p> <p>3—शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के विळी उन्य शिक्षण संस्थान/विद्यालय में अध्ययनकरता होने द्वारे भी अपनी सदा से छात्र की शैक्षणिक कला/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन नामांकित एवं जारीकरने पर।</p> <p>4—छात्र/छात्रा द्वारा रघ्य/नाना-दिला अध्यक्ष अभिभावक की वास्तविक आव उपचार कर्ती बाब के बाहर एवं छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने पर।</p> <p>5—छात्र/छात्रा द्वारा भूता धूमा धूमणा पत्र प्रस्तुत कर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने पर।</p> <p>6—छात्र/छात्रा द्वारा एक ही ईकाइक दर्द में किसी वाटायकम/शिक्षण संस्थान में अधिकारी कर्ती छात्र/शिक्षण संस्थान द्वारा ईकाइक कला/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने एवं शिक्षण संस्थान द्वारा कर्ती आवेदन नामांकित व नामांकित करने पर।</p> <p>7—छिल समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय/शिक्षा विभाग या उन्य किसी व्यक्ति/विभाग द्वारा कूटरक्षण/हसानी कर छात्रों की बड़ी हुई संख्या दर्शाकर ईकाइक कला/शुल्क प्रतिपूर्ति की घनताची ऐसे छात्रों/अधिकारी के बैंक खातों में अनुरित कराने अवधारणा उन्नरित करने का प्रयास करने पर।</p> <p>8—जिल समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय/शिक्षा विभाग या उन्य किसी व्यक्ति/विभाग द्वारा कूटरक्षण/हसानी कर छात्रों की बड़ी हुई संख्या दर्शाकर ईकाइक कला/शुल्क प्रतिपूर्ति की घनताची ऐसे छात्रों/अधिकारी के बैंक खातों में अनुरित कराने अवधारणा उन्नरित करने का प्रयास करने पर।</p> <p>9—जिल मणिलट/नियंत्रण/शासन के प्राप्त जाब में नमीर अनिवार्यताये लाए जाने पर।</p> <p>10—ईकाइक कला एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की घनताची आवेदन बोठ देने के उपरोक्त घनताची शपत न करने पर।</p>	अनिवार्यताये पापे जाने पर FIR दर्ज करना, छात्रों/ शिक्षण संस्थानों को काली सूची में डालना तथा मानवता निरक्षा करना।	<p>(ii) शैक्षणिक भूता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाल्लग्नी नियन्त्रित अनिवार्यताये पापे जाने पर उपचित छात्रों/शिक्षण संस्थानों के संचालकों/प्राचानावर्यों/शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारियों/अन्य विभागों के उन्यवालीय अधिकारियों/दर्जवालीयों एवं अन्य संलिङ्ग व्यक्तियों के विळद जावोपालत नियन्त्रित भारतों में प्रबल तृप्ति नियन्त्रित दियोर्ह दर्ज कराते हुए विभागीय कार्यवाही की जायगी एवं गवर्न की गयी घनताची ली द्वारी ३ प्रतिशत साधारण बाल के दर से मू-उक्तस्य की माति विलायिलायी की महायम से कलवी जायगी तथा ऐसे छात्रों एवं शिक्षण संस्थानों को काली सूची में दर्ज करने व शिक्षण संस्थानों की मानवता एवं सम्बद्धता नामांक लिये जाने की जांचावाई शक्ति/नियंत्रणात्मक द्वारा की जावेगी।</p> <p>1— माल्टर डाटा बेस में शिक्षण संस्थान द्वारा गलत सुनना अल्प सम्भिलित होने पर।</p> <p>2—शिक्षण संस्थान/विद्यालय में छात्र/छात्रा के अव्यवसरण न याए जाने पर।</p> <p>3—शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र/छात्रा के विळी उन्य शिक्षण संस्थान/विद्यालय में अध्ययनकरता होने द्वारे भी अपनी सदा से छात्र की शैक्षणिक कला/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन नामांकित एवं जारीकरने पर।</p> <p>4—छात्र/छात्रा द्वारा स्वप/नाना-दिला अध्यक्ष अभिभावक की वास्तविक आव उपचार कर्ती बाब के बाहर पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने पर।</p> <p>5—छात्र/छात्रा द्वारा भूता धूमा धूमणा पत्र प्रस्तुत कर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने पर।</p> <p>6—छात्र/छात्रा द्वारा एक ही ईकाइक दर्द में किसी वाटायकम/शिक्षण संस्थान में ईकाइक प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करने एवं शिक्षण संस्थान द्वारा कर्ती आवेदन नामांकित व नामांकित करने पर।</p> <p>7—जिल समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय/शिक्षा विभाग या उन्य किसी व्यक्ति/विभाग द्वारा कूटरक्षण/हसानी कर छात्रों की बड़ी हुई संख्या दर्शाकर ईकाइक कला/शुल्क प्रतिपूर्ति की घनताची ऐसे छात्रों/अधिकारी के बैंक खातों में अनुरित कराने अवधारणा उन्नरित करने का प्रयास करने पर।</p> <p>8—जिल समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय/शिक्षा विभाग या उन्य किसी व्यक्ति/विभाग द्वारा कूटरक्षण/हसानी कर छात्रों की बड़ी हुई संख्या दर्शाकर ईकाइक कला/शुल्क प्रतिपूर्ति की घनताची ऐसे छात्रों/अधिकारी के बैंक खातों में अनुरित कराने अवधारणा उन्नरित करने का प्रयास करने पर।</p> <p>9—जिल मणिलट/नियंत्रण/शासन के प्राप्त जाब में नमीर अनिवार्यताये लाए जाने पर।</p> <p>10—ईकाइक कला एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की घनताची आवेदन बोठ देने के उपरोक्त घनताची शपत न करने पर।</p>

		<p>एवं हिक्साग सर्वानन छता कली आवेदन समर्पित व अद्यतनीत जारी पर।</p> <p>८-जिला समाज कल्याण बोर्डकी कार्यालय/रिक्षा दिवाल या अब किसी ग्रामी/ग्राम द्वारा कृष्णाधारा/हेसकोरी कर छात्रों की बड़ी हुई संख्या द्वारा कर छात्रवृत्ति/शुल्क द्वारा पूर्ण की जनराशि ऐसे छात्रों/व्यवितावों के बीच खातों में उन्नति जारी अथवा बनारसि कराने का प्रयत्न करने वर।</p> <p>९-जिला मजिस्ट्रेट/निदेशक/जालन के हाथा जाव में गम्भीर अनियामितावाद पाये जाने पर।</p>	
	<b>कालानदेश</b> <b>संख्या-101/2017</b> <b>/ज्ञर-1614/26</b> <b>-3-2017-4(356)</b> <b>/07 दीपली-III</b> <b>दिनांक 23 जून,</b> <b>2017 (पट्टम</b> <b>संशोधन) हावा</b> <b>संशोधन</b>	<p><b>(iv)</b> छात्र द्वारा यदि अध्यवन वर्ष के दौरान यह अव्यवहार जिसके लिए वह छात्रवृत्ति दी जानी है/दी गयी है उन्नेव दिए जाता है तो छात्र को छात्रवृत्ति (उन्नेव भता व शुल्क) की जनराशि प्रदान नहीं की जायेगी/प्राप्त करनी होगी। परि छात्र दोनों सेक्सेटर की विकासी अथवा वार्षिक विकासी में सभी विषयों में उन्नतिपूर्ण रहता है या परीक्षा/विषयों में उन्नतिपूर्ण इतने कराता है किन्तु सभी विषयों न शुल्क प्राप्त करता है तो रीक्षणीय भता/शुल्क द्वारा पूर्णपूर्ण की सुविधा अनुमत्य नहीं होगी। परि जनराशि भुगतान की गयी है तो छात्र/सल्ला को जनराशि वापस करनी होगी।</p>	<p><b>(iii)</b> छात्र द्वारा यदि अध्यवन वर्ष के दौरान यह अध्यवन जिसके लिए वह आत्मवृत्ति दी जानी है/दी गयी है उन्नेव दिए जाता है तो छात्र को छात्रवृत्ति (उन्नेव भता व शुल्क) की जनराशि प्रदान नहीं की जायेगी/वापस करनी होगी। परि छात्र दोनों सेक्सेटर की विकासी अथवा वार्षिक विकासी में सभी विषयों में उन्नतिपूर्ण रहता है या परीक्षा/विषयों में उन्नतिपूर्ण इतने कराता है किन्तु सभी विषयों न शुल्क प्राप्त करता है तो रीक्षणीय भता/शुल्क द्वारा पूर्णपूर्ण की सुविधा अनुमत्य नहीं होगी। परि जनराशि भुगतान की गयी है तो छात्र/सल्ला को जनराशि वापस करनी होगी।</p>
	<b>16 (i)</b> <b>छत्र/छात्रों के</b> <b>दायित्व</b>	<b>सामान्य जानकारी हासिल करना :-</b> १- फ्रिन्ट किये गडे नमूना आवेदन वर पर अपने रिकार्ड के जनुसार सूचना सही-सही भर लें तकि आनलाइन फार्म भले तकष सखलता रहे। २- आनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां अपैजी भाषा के कॉम्प्लिक लेटर्स में तथा संख्यात्मक प्रविष्टियां भी अपैजी अंक पढ़ति में अक्षित की जायी है। ३- प्रविष्टियां भरने में सेलल कैरेक्टर वर्थ- #, \$, %, ^, &, *, (), -, = हुआदि का प्रयोग नाक्ष नहीं होगा।	प्रधानत
	<b>(ii)</b> <b>आनलाइन आवेदन</b> <b>हेतु रजिस्ट्रेशन</b> <b>करना-</b>	१- प्रथम चरण ने छात्र/छात्रों को नियोजित वेबसाइट <a href="https://scholarship.up.gov.in">http://scholarship.up.gov.in</a> के माध्यम से आनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।	१- प्रथम चरण में छात्र/छात्र को नियोजित वेबसाइट <a href="https://scholarship.up.gov.in">https://scholarship.up.gov.in</a> के माध्यम से आनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
		२- रजिस्ट्रेशन में भागी गयी सापूर्ण प्रविष्टियों वेबसाइट पर नियोजित प्राप्तप में सही-सही भरे अन्यथा आवेदन नियत हो जावेगा।	प्रधानत
		३- रजिस्ट्रेशन के उत्तरान्त आवेदक का एक रजिस्ट्रेशन नम्बर स्वतः जेनरेट होगा एवं रक्षान पर रजिस्ट्रेशन रित्य फ्रिन्ट करने का फिल्म होगा।	वायाका
		४- रजिस्ट्रेशन में भरे गए समस्त प्रविष्टियों का फ्रिन्ट फिल्म से अपना रजिस्ट्रेशन रित्य फ्रिन्ट कर ले।	वायाका
	<b>(iii)</b> <b>आनलाइन आवेदन</b> <b>करना-</b>	१- जफलतानुरूप रजिस्ट्रेशन फले के उत्तरान्त आवेदक को छात्रवृत्ति के लिए आनलाइन आवेदन करना आनंदावद है।	प्रधानत
		२- इसके लिए नियोजित वेबसाइट	२- इसके लिए नियोजित वेबसाइट

	<p><a href="http://scholarship.up.nic.in">http://scholarship.up.nic.in</a> पर जाकर अनलाइन आवेदन पर क्लिक करे। क्लिक करने के उपरान्त स्क्रीन पर निर्दिष्ट जालम में अपना रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्म तिथि एवं हाईस्कूल का अनुक्रमक एवं पासवर्ड भरे।</p>	<p><a href="https://scholarship.up.gov.in">https://scholarship.up.gov.in</a> पर जाकर आगलाइन आवेदन पर क्लिक करे, क्लिक करने के उपरान्त स्क्रीन पर निर्दिष्ट जालम में अपना रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्म तिथि एवं हाईस्कूल का अनुक्रमक एवं पासवर्ड भरे।</p>	
	<p><b>3-</b> इसके बाद स्क्रीन पर दिये गये छोड़ को भरकर Submit बटन पर क्लिक करे। प्रतीक्षिया रही होने पर लॉडिंग पर आनलाइन आवेदन का प्रारूप सुन जायेगा।</p>		प्राप्ति
	<p><b>4-</b> इस ड्राफ्ट में कठोर के हिले में कुछ नृचनाम पर वर्त प्रदर्शित होगी जो अवधिक हाजा आनलाइन रजिस्ट्रेशन के तम्ब तरी गयी थीं इस प्रारूप में अवधिक हाजा योगित कालम में सूचनाएं सही-सही भरी जायें।</p>		प्राप्ति
	<p><b>5-</b> जिस कालम के समाने स्टेप (*) प्रदर्शित हो रहा है उस कालम में सूचना भरकर अनियन्त्रित होगा।</p>		प्राप्ति
	<p><b>6-</b> ऊपर-ऊपर आवेदन कार्ड में अपने नाम के बैक ताके का ही विवरण भरेगा जो उसके नाम-पिल/अभियाकर तीव्र संस्करण में छीके में खोला गया हो। किसी अन्य व्यक्ति के नाम का ऐसा छोड़ भीड़ करने पर आवेदन पत्र निपस्त माना जायेगा।</p>	<p>6-प्राप्त-छोड़ को हाईस्कूल प्रकाश-पत्र में अंकित नाम एवं जन्म तिथि ही अनुरूप ही अधार कार्ड बनाया जायेगा इ तदनुसार आवेदन पत्र में स्वयं के त्रिभार लिक कॉक खाते का ही विवरण भरा जायेगा। उत्तर/आक्रम के अधार तीड़े छोड़ खाते में ही प्रकरण का अंतरण होगा।</p>	
	<p><b>7-</b> इन प्रकार आवेदन में समस्त प्रतीक्षिया पूरी होने के उपरान्त Submit बटन पर क्लिक करे। इसके उपरान्त अपने में ही अवधिक का एक प्रिन्ट-आउट निकाले जिसके लिये लॉडीन पर दिये गये बटन ? पर क्लिक करे। प्रिन्ट किये गये आवेदन को भाँति भाँति जाते ही बढ़ि समस्त प्रतीक्षिय सही ही तो पुन होम-पेज पर अपने 'फोटो अपलोड करें' पर क्लिक करे, और स्क्रीन पर प्रदर्शित अपना रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्म-तिथि एवं हाईस्कूल का अनुक्रमक टाइप करे।</p>		प्राप्ति
	<p><b>8-</b> इसके बदल स्क्रीन पर 'फोटो अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध होगा। फोटो अपलोड करने के लिये बहले अपनी 20 KB की एक फोटो जिसके नीचे अवधिक के इन्टरफ़ेस ही स्क्रीन करके कम्प्यूटर पर रख ले। ढाली गयी फोटो हस्ताक्षर सहित ही स्क्रीन होनी आवश्यक है। अपलोड की गयी फोटो JPEG तथा JPG Format में होनी चाहिये तथा फोटो साइज 20 KB से अधिक की नहीं होनी चाहिये।</p>		प्राप्ति
	<p><b>9-</b> फोटो अपलोड करने की प्रक्रिया में स्क्रीन पर दिये गये Browse Option से अपने फोटो को Select करे एवं उसको पास अपलोड वाले विकल्प पर क्लिक करे। तत्पश्चात अपना फोटो दोइ विकल्प पर क्लिक करे जिसमें कि अपलोड किया गया फोटो स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। यदि फोटो सही ही तो Lock and Final Save बटन पर क्लिक कर।</p>		प्राप्ति
	<p><b>10-</b> Final and Save Lock करना अनिवार्य होगा, अन्यथा पार्स अपर्ण</p>		प्राप्ति

		माना जावेगा एवं स्वतं निरस्त हो जायेगा।	
शासनादेश संख्या-101/2021 7/वार्ष-1614/2 6-3-2017-4(358 )/07 <b>टीमी०-III</b> दिनांक 23 जून, 2017 (वर्ष) संस्थान) द्वारा संशोधित	11-जापानी एवं शुल्क भ्रियूरी इंदु आनलाइन आवेदन निर्धारित लिखि तक प्रवेशादार <a href="https://scholarship.up.nic.in">https://scholarship.up.nic.in</a> के माध्यम से ही भर जायेगा। किसी भूत्या नाम्यम से भरे गये आवेदन वर्त मान्य नहीं होगे। अभ्यर्थी हासा आनलाइन मात्र गवां प्रावेदन पत्र निर्धारित लिखि के प्रवाहात एन०आई०सी० हासा तक किया जायेगा। एन०आई०सी० द्वारा छाटा ताक किये जाने हो उपरांत किसी भी दश में किसी स्तर पर वैरिएटीव नहीं होगा। आनलाइन छाटा में केंद्राडार किये जाने पत्र आई०टी० एक के बहासा सम्बन्धित के विकल्प नियमानुसार कावेशी की जायेगी।	11-रेखापिक भाला एवं शुल्क प्रतिवृत्ति द्वारा आनलाइन आवेदन निर्धारित लिखि तक प्रवेशादार <a href="https://scholarship.up.gov.in">https://scholarship.up.gov.in</a> के माध्यम से ही भर जायेगा। किसी भूत्या नाम्यम से भरे गये आवेदन पत्र गवां नहीं होगे। अभ्यर्थी हासा आनलाइन वर्त गवां आवेदन एवं निर्धारित लिखि के प्रवाहात एन०आई०सी० द्वारा छाटा तक किया जायेगा। एन०आई०सी० हासा द्वारा छाटा तक किये जाने हो उपरांत किसी भी दश में किसी स्तर पर परिवर्तीव नहीं होगा। आनलाइन छाटा में चंडाडार किये जाने पत्र आई०टी० एक के बहासा सम्बन्धित के विकल्प नियमानुसार कावेशी की जायेगी।	
<b>(iv) आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त करना</b>	इसके बाद हाँन पेज पर जाकर दिये गये लिखाय से अपने भरे गये आवेदन का प्रिन्ट-आउट निकाल ले एवं इस प्रिन्ट-आउट को समलै अन्य वाचित डाक्यूमेंट जैसे- आप प्राप्त वर्त, जाति प्रमाण वर्त, पहचान पत्र की लघुप्राप्ति प्रतिलिपिया संलग्न करने हुये अपने आवेदनता लिखान संख्या में सम्बन्धित अधिकारी के घात जाकरके उसकी रसीद प्राप्त कर ले। आवेदन पत्र आनलाइन Submit करने के उपरान्त 07 कार्य दिवस के अन्दर चंडाडार में आवेदन वर्त की हाँड़लाई जाना करना आवश्यक है।	इसके बाद हाँन पेज पर जाकर दिये गये लिखाय से अपने भरे गये आवेदन का प्रिन्ट-आउट निकाल ले एवं उस प्रिन्ट-आउट को तमाली अन्य वाचित डाक्यूमेंट जैसे- आप प्राप्त वर्त, जाति प्रमाण वर्त, पहचान पत्र की लघुप्राप्ति प्रतिलिपिया संलग्न करने हुये अपने आवेदनता लिखान संख्या में सम्बन्धित अधिकारी के घात जाकरके उसकी रसीद प्राप्त कर ले। आवेदन पत्र आनलाइन Submit करने के उपरान्त समय-सारिएं में निर्धारित खारी दिवस के अन्दर संबद्धता में आवेदन पत्र की हाँड़लाई जाना करना आवश्यक है।	
<b>(v) आवेदन पत्र जाम की रसीद प्राप्त करना-</b>	1- सम्बन्धित हासा दी जाने वाली प्राप्ति स्लीट आवेदन वर्त के प्रिन्ट-आउट ले साथ ही प्रिन्ट होगी। सम्बन्धित हासा जामी रसीद पर संख्या की गुहर एवं हस्ताक्षर कर भाव/छात्र को प्रदान ही जायेगी।		संख्याता
	2- निर्धारित प्रवेशादार पर आवेदन अपने जामा किये गए जाम की वर्तमान स्थिति को जानकारी प्राप्त कर सकता है जिसके लिये प्रवेशादार पर दिये गए "आवेदन की स्थिति जाने" को विकल्प करना होगा एवं स्वीकृत पर अपना राजिस्ट्रेशन संख्या भरना होता।		रथधारा
<b>(vi)</b> छात्र/छात्रा के सोशल नम्बर पर SMS प्रदान करना-	छात्र/छात्रा के लेबेल नम्बर पर SMS की सुनिक भी निम्नलिखित स्तरों पर प्रदान कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी:- 1- आवेदन पत्र आनलाइन Submit करने पर। 2- प्रिलिप संख्यान द्वारा संपर्कित/अप्रसरित/निरस्त करने पर। 3- फ़ीशिप कार्ड जनरेट होने पर (फ़ोटो शासीय एवं शासीय साक्षाता भ्रष्ट संख्या हैं)। 4- छात्रवृत्ति स्वीकृति संनिधि द्वारा स्वीकृता करने पर। 5- अध्यार लिंक बैक चार्ट में घनराशि प्रेषण करने पर।	छात्र/छात्रा के सोशल नम्बर पर SMS की सुनिक भी निम्नलिखित स्तरों पर प्रदान कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी:- 1- आवेदन पत्र आनलाइन Submit करने पर। 2- प्रिलिप संख्यान द्वारा संपर्कित/अप्रसरित/निरस्त करने पर। 3- फ़ीशिप कार्ड जनरेट होने पर (फ़ोटो शासीय एवं शासीय साक्षाता भ्रष्ट संख्या हैं)। 4- छात्रवृत्ति स्वीकृति संनिधि के अनुसोदनोंवाला जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छाटा ताक/स्वीकृत/निरस्त करने पर। 5- अध्यार लिंक बैक चार्ट में घनराशि प्रेषण करने पर।	
<b>(vii)</b> छात्र/छात्रा के सोशल नम्बर आवेदन पत्र में अंकित करना शासनादेश	प्रत्येक छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र में लही जापत कर्ते नम्बर अंकित करना होता। कर्ती अध्यार नम्बर आवेदन वर्त में अंकित करने पर रिक्षण सम्भा द्वारा आवेदन को अधिकारित नहीं किया जायेगा। यदि कर्ती/गतत अध्यार नम्बर का प्रयोग छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन	प्रत्येक छात्र/छात्रा को हाईकूल इमार-पत्र पर अंकित नम्बर एवं जाम लिखि के अनुत्तर उपर काढ बनवाना होगा। छात्रवृत्ति के आनलाइन आवेदन पत्र का अध्यार नम्बर से जासांखितीय प्रमाणीकरण एवं अध्यार लिंक मोबाइल नम्बर पर प्राप्त जोड़ी०सी० से आवेदन पूर्ण करने हेतु प्रमाणीकरण आवश्यक होगा।	

रुच्या-148/2018 /2083/26-3-2 018-4(358)/07 टी0सी0-III दिनांक 26 जून, 2018 (संक्रम संशोधन) द्वारा संशोधित	इति म अंकित किया जाता है तथा शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन पत्र को उपलब्धित किया जाता है तो इस अनिवार्यता के लिए शिक्षण संस्था के छात्र द्वारा उत्तराधिकारी होते हैं। इस दशा में छात्र का इच्छान/आवेदन पत्र नियमत कर दिया जावेगा। उसका काम्य के विषयान्वयन एवं आवेदन नम्रत के संबंधन हेतु बाबतीय विशेष पहचान प्राप्तिकरण (UIDAI) तो अनुबन्ध किया जायेगा।		
16 (i) शिक्षण संस्थान के बाबत	(i)- शिक्षण संस्था का छात्रपुस्ति हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करना होगा।		(i)- शिक्षण संस्था का छात्रपुस्ति हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करना होगा। प्रत्येक शिक्षण संस्था के लिए इच्छा-अलग नोडल अधिकारी नामित किया जावेगा। नामित नोडल अधिकारी वा नियोजित हस्ताक्षर द्वारा शिक्षण नाम्य किया जायेगा।
	(ii)- शिक्षण संस्था को जिला समूल कल्याण अधिकारी से नियारित अवधि में लागित आइपीओ एवं पासवर्ड द्वारा करना होगा।		प्रधानमंत्री
	(iii)- शिक्षण संस्था को नोडल अधिकारी ने नामित एवं शिक्षण संस्थान में संचालित प्राप्तिकर्ता का समूर्ध विषय प्रैवलहर <a href="http://scholarship.up.nic.in">http://scholarship.up.nic.in</a> पर आपडेट करना होगा।		(iii)- शिक्षण संस्था को नोडल अधिकारी हो जानविता एवं शिक्षण संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों का समूर्ध विषय प्रैवलहर <a href="https://scholarship.up.gov.in">https://scholarship.up.gov.in</a> पर ड्रपडेट करना होगा।
	(iv)- शिक्षण संस्था को अवसाइट या मालिर द्वारा में संचालित प्राप्तिकर्ता से सम्बंधित विषयों वा अपडेट करना होगा।		प्रधानमंत्री
	(v)- संस्थान कंडल उक्त वेबसाइट पर आनलाइन प्रेषित आवेदन पत्र के प्रिन्ट-आउट की फोटोकार्य वालाकर संलग्नियों के साथ रखीकर करेगा। संस्था उन्हा किसी प्रवर्त या आवेदन रखीकर नहीं करेगा।		प्रधानमंत्री
	(vi)- संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि पात्र छात्र/छात्रा की द्वारा आवेदन पत्र का प्रिन्ट-आउट समूल आवश्यक उल्लग्नियों के साथ जमा किया गया है।		प्रधानमंत्री
	(vii)- आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ परिचिट-‘ग’ के अनुसार ललंगुक नामी किया गया है, सेक कर लिया जाय।		प्रधानमंत्री
	(viii)- आवेदन पत्र के साथ रसीद का प्राप्तय में प्रिन्टेड प्रफ़ेशन प्राप्त होगा। उसी प्रभावी रसीद पर जमा करने वाला अधिकारी/कर्मचारी इस्तेहार कर उपनी संस्था की कुरु लगाकर आवेदक को रसीद दे देंगा। आवेदन पत्र के साथ जिसने अभिलेखों की स्वामालित कराया प्रति आवेदक ने प्रस्तुत छोड़ है उसे संस्थान द्वारा । ४ ) किया जायेगा।		प्रधानमंत्री
	(ix)- शिक्षण संस्था छोड़ अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के प्रिन्ट-आउट पर संरक्षित कोटि को संतुष्टीपूर्ण करना होगा।		प्रधानमंत्री
	(x)- संस्थान उपरोक्त अभिलेखों के प्राप्ति के उपरान्त आप्र/छात्रा के आनलाइन आवेदन की प्रविटियो का मिलन अनिवार्य रूप से कर लेंगे।		प्रधानमंत्री
	(xi)- अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन एवं आनलाइन प्रेषित करने के बाद उन्हें जारी की जाए जावेगा। उसका कार्य-दिवस के अन्दर संस्थान में आवेदन पत्र का प्रिन्ट-आउट जमा किया		(xi)- अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन एवं आनलाइन प्रेषित करने के बाद उन्हें जारी की जाए जावेगा। उसका कार्य-दिवस के अन्दर संस्थान में आवेदन पत्र का प्रिन्ट-आउट जमा किया जायेगा।

		<b>जापेगा।</b>	
		(xii)- अगलाइन आवेदन पत्र करने के लिये शासन द्वारा नियोजित तिथि के बाद ए कार्य-दिवस के ब्रॉडर ही अभ्यर्थी को अपनी आवेदन पत्र संख्याम् में जमा करना होगा। तापमात्रा ए कार्य-दिवस के ब्रॉडर ही प्रत्येक दिन से शिष्य सम्पादन को अभ्यर्थियों का छाटा सत्यापित करना होगा।	(xii)- उसकाइन आवेदन पत्र मन्त्री के लिये जासन द्वारा जारी समय-सांकेतिकी में नियोजित समयावधि का अन्दर ही अभ्यर्थी को अपना आवेदन पत्र संख्याम् में जमा करना होगा एवं रिकार्ड संख्याम् को अभ्यर्थियों का छाटा प्राप्त सत्यापित करना होगा।
		(xiii)- अगलाइन आवेदन द्वारा पाठ्य शासन द्वारा नियोजित तिथि से बालबाहु <a href="http://scholarship.up.nic.in">http://scholarship.up.nic.in</a> पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों के द्वारा जमा किए गए आवेदन पत्र एवं संलग्नकों के आधार पर प्रत्येकियों वे मिलान का कार्य तात्पर होंगे। किसी भी दशा में अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एक सत्य जमा होने का इच्छाकार नहीं करें, जिसने अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र प्राप्त होता होगा उन्हें वीजापुर/मिलान करने लगें।	(xiii)- अगलाइन आवेदन द्वारा जासन द्वारा नियोजित तिथि से बालबाहु <a href="https://scholarship.up.gov.in">https://scholarship.up.gov.in</a> पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों के द्वारा जारी किए गए आवेदन पत्र एवं संलग्नकों के आधार पर प्रत्येकियों वे मिलान का कार्य जारी रहेंगे। किसी भी दशा में अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र एक सत्य जमा होने का इच्छाकार नहीं करें जिसने अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र प्राप्त होता होगा उन्हें वीजापुर/मिलान करते रहें।
		(xiv)- शिक्षण संस्था छात्र/छात्र द्वारा जमा किए गए आवेदन पत्र की हार्डकॉफी के साथ संलग्न बैंक पात्रतुक की छाया प्रति से अभ्यर्थी के बैंक खाते का विवरण घटा-नाम याता संख्या इ बैंकिंगएफएमा कोड का मिलान अनिवार्य रूप से कर दें।	(xiv)- शिक्षण संस्था छात्र/छात्र द्वारा जमा किए गए आवेदन पत्र की हार्डकॉफी के साथ संलग्न सभी चारे अवेदन पत्रों का अगलाइन रुक्खायन इव Submit का इन वित्तीय कर्तव्य रूप से सत्यापित आवेदन पत्रों का अपकारित (Forward) कर दें।
		(xv)- अभ्यर्थियों के अगलाइन भरे गये जारी शाम की प्रतीक्षियों का मिलान करने के उपरान्त सभी चारे गये आवेदन पत्रों का अगलाइन रुक्खायन इव Submit का इन वित्तीय कर्तव्य रूप से सत्यापित आवेदन पत्रों का अपकारित (Forward) कर दें।	(xv)- अभ्यर्थियों के अगलाइन भरे गये जारी की प्रतीक्षियों का मिलान करने के उपरान्त सभी चारे गये आवेदन पत्रों का अगलाइन सत्यापन इव Submit का इन वित्तीय करें तथा सत्यापित आवेदन पत्रों को नियोजित सूचना अंकित कर अप्रसारित (Forward) कर दें।
		(xvi)- जिन छात्र/छात्राओं का छाटा त्रुटियाँ/अमूर्ति/वलत होंगा, उनका छाटा संख्याम् द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा, उनको अपने स्तर से reject कर देंगे। जासन द्वारा नियोजित तिथि तक शिक्षण संस्थान के तामिन इव उपलब्ध सम्पूर्ण छाटा पर निर्णीय तिथि उपलब्धता का विलेक्षण कर दिया जाएगा। किसी भी दशा में संख्याम् होना छाटा लम्पित नहीं रखा जाएगा।	(xvi)- जिन छात्र/छात्राओं का छाटा त्रुटियाँ/अमूर्ति/वलत तथा नियमावधि की प्राक्किळनों के अनुसार अपावृणु होगा, उनका छाटा संख्याम् द्वारा भ्रष्टिकरा नहीं किया जाएगा, सभी उसको अपने स्तर से reject कर देंगे। शासन द्वारा नियोजित तिथि तक शिक्षण संख्याम् के लिये इव उपलब्ध सम्पूर्ण छाटा पर निर्णीय लेकर अप्रसारित वा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। किसी भी दशा में संख्याम् होना छाटा किसी भी छाव का छाटा लम्पित नहीं रखा जाएगा।
		(xvii)- संख्याम् होने पर आवेदक के गोपालत नाम पर SMS होता सूचना प्रेषित जी जाएगी।	उधारत
		(xviii)- संख्याम् का यह दावित होगा कि शासन द्वारा नियोजित अनिम तिथि से छह दिन से अधिक तक कर दें कि उसके तभी यह उपलब्ध होता होता अगलाइन आवेदन पत्र भर दिये गये हैं।	उधारत
		(xix)- तभी यहाँ जो योजना के विविधों एवं शासन द्वारा पाने मन्त्रे द्वारा नियोजित गयी अनिम तिथि की जागतारी संख्याम् सभी क्रमांकों में उपलब्ध सूचना-संचार वायरों द्वारा Public address System, Faculty members द्वारा एवं शिक्षण होता उपलब्ध कराव गये हैं विविध प्रादि के माध्यम	उधारत

	<p>के अन्तर्गत कारोगी।</p> <p>(xx)-दोहा के साथसे हमें आविष्का नम्रता प्रदान नहीं किया जायेगा। इसपरिणे सम्बन्ध पर प्राप्त आवेदन पत्रों का लगातार सातवाहन करते रहे एवं एवं समस्त आवेदन पत्रों को अनिम तिथि से पूर्ण अधिकारियों करने अथवा विजेता करने का निर्णय लेकर आनलाइन करवायाही पूर्ण कर लें।</p>		कथाका
	<p>(xxi)- छात्र/छात्रा को आनलाइन आवेदन करने की तुष्टिया आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित शोधक लखान स्तरात् द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी।</p>		पथाका
	<p>(xxii)- नोट्स अधिकारी वा विभाग स्तरा के प्राचार्य/प्राचार्यार्थ द्वारा निर्दीक्षित प्रक्रियानुसार छात्र के विवरण को सब आनलाइन राखप्रिय व अप्राप्यक्षित किया जायगा।</p>		पथाका
	<p>(xxiii)- जिन अधिकारियों के विवरण का मिलान सत्याकारे आवेदनों/उम्मीदों से नहीं होता है अथवा त्रुटीपूर्ण पात्र जाता है, उनकी सम्बन्धित गही वी जारी अपेक्षा विजेता कर दिया जायेगा।</p>		कथाका
	<p>(xxiv)- विभाग संस्थान द्वारा पत्र छात्र/छात्रा का द्वारा आनलाइन सत्यापित एवं अप्राप्यक्षित करने के बाद आनलाइन सत्यापित विवरण की हावेकाली छात्रों द्वारा उन आनलाइन कीड़ों आवेदन पत्र के प्रिन्ट-आउट समस्त सत्याकारों सहित (परिशिष्ट-७) के अनुसार सत्यापन प्रमाण पत्र सम्बन्धी द्वारा अपनी सम्मुच्चित सहित दिला समाता कर्त्तव्याग अधिकारी का निपारित तिथि तक उपलब्ध कराना होगा।</p>		पथाका
	<p>(xxv)- नईट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई लखनऊ के द्वारा विकसित Search students Detail से छात्रों के हाईकूल के इन्ड्रोक्सो के आवार एवं सत्यापन हेतु आवश्यकता वी वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गिकता से प्रत्येक छात्र का सत्यापन करने के लियान्त सभी पात्र वयों छात्र वर्ग ही द्वारा सत्यापन द्वारा सत्यापित एवं अप्राप्यक्षित किया जायेगा।</p>		कथाका
	<p>(xxvi)- विभाग संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि एक वर्ष से अधिक ज़बरदस्ती पाठ्यक्रमों में आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रवृक्षित हेतु पात्र व्यवहारकरत छात्र अपने एक नवीनीकरण का वी कार्य करे एवं विभाग संस्थान उनके नवीनीकरण का वी कार्य सत्यापित रख अप्राप्यक्षित कराना। नवे प्राप्त पाठ्यक्रम के किसी एक वर्ष में असाक्ष छात्र जो बाद में एक्सीडेंटली किया हो, जो छात्रकर्ता के लिए में उनका आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।</p>		पथाका
	<p>(xxvii)- कई वर्ष की इच्छा वाले विभागों में पात्र छात्र किसी भी वर्ष में एक्सीडेंटली जो आनलाइन आवेदन करने वाला हो तो उसे नए प्राप्त के लिए में उनका आवेदन भरना होगा।</p>		पथाका

		(xxviii)- शिक्षण संस्थान द्वारा नवीनीकरण हेतु अन्त छांतो के नवीनीकरण न कराये जाने के सम्बन्ध में प्रत्येक छात्रावास स्पष्ट कारण स्कोलरशिप पॉर्टफोलियो पर आनंदाहन अधित किया जायेगा बधा-छाड़ परीक्षा में असफल हुआ या शिक्षण संस्थान छांडक चल गया अदि।		उद्धारण
	शासनादेश संख्या-222/2019 /4136/26-3-2 019-4(356)/07 टीएसी-III दिनांक 14 अक्टूबर 2019 (नवन संशोधन) द्वारा संशोधित	(xxix)- सभ्या द्वारा छात्र के आवास नवाचरण एवं ७५ प्रतिशत उपरिधित का नियमान्वयन करने के लियावान नामक नामक नामक होने के लियावान होने के लियावान एवं आनंदाहन अधित किया जायेगा।		सभ्या द्वारा छात्र के ७५ प्रतिशत उपरिधित एवं गत वर्ष में प्राप्त अंकों/उत्तीर्ण/प्रोन्ट होने का वर्णनार्थ रूप से अंकन/सालाखन करने के लियावान आवेदन एवं आनंदाहन अधित किया जायेगा। नीतिक रूप से लक्षणों के लियावान होने के लियावान की गणकोंट्रिक उपरिधित को इत्येक नाम संस्थान द्वारा आज्ञावृत्ति पोर्टफोलियो पर दिये गये लिंक के नाम्यम से अपलोड भी करना होगा।
	विला चन्द्राजी कल्याण अधिकारी के दावित	(i)- शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदित सूची तथा लक्षणों के आवेदन पत्र की हार्डकार्डी रूपान्तर सालानको सहित प्राप्त करना।		(i)- शिक्षण संस्थानों द्वारा मार्ग से नवीनीकरण अधित की सूची, छांतो के आवेदन पत्र की हार्डकार्डी एवं समस्त नामकों को पीडीएफ़ फाइल की साझे कार्डी के लिये संस्थानों ने प्राप्त कर रखायार/संक्षेपावार 10 दिनों तक सुनिश्चित रखना।
		(ii)- यह सुनिश्चित करना कि सभी शिक्षण संस्थानों का द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों का विवरण तत्परित तथा विजिटली लाक किया गया है।		उद्धारण
		(iii)- शिक्षणिकारी द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों का विवरण तत्परित तथा विजिटली लाक किया गया है।		(iii)- शिक्षणिकारी/सम्बन्धित विश्वविद्यालयों तथा एफिलियेटिंग होस्टों के नोडल विकारियों द्वारा सभी शिक्षण संस्थानों का विवरण तत्परित तथा विजिटली लाक कर दिया गया है।
		(iv)- अध्यर्थी के आवास पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा नियास प्रमाण पत्र का नियन्त्रण राजस्व परिषद् वी बैंकसाइट से रेजिस्ट्रेशन एवं स्ट्रीकिंग से छुट्टे करना/करना।		उद्धारण
		(v)- अध्यर्थी के नाम के बैंक खातों एवं बैंक खातों के अंतर्राष्ट्रीय फोटो (IFSC) का रेजिस्ट्रेशन नियास आनंदाहन द्वारा नामक संस्थान से प्राप्त करना।		उद्धारण
		(vi)- अध्यर्थी के आवेदन पत्र की हार्डकार्डी आवश्यकता पड़ने पर नामकों सहित आज्ञावृत्ति स्वीकृति तमिति के सम्बन्ध सुनिश्चित करना।		उद्धारण
		(vii)- सभी एकली से डिजिटल तिलेक्टर (Digital Signature) प्राप्त कर अध्यर्थी के द्वारा की नामकों आवेदन पत्र की अवश्यकता नामक संस्थान आनंदाहन द्वारा नामक उपलब्ध करना।		उद्धारण
		(viii)- आनंदाहन द्वारा पॉर्टफोलियो की मानोटारिंग हेतु आवृत्ति/जिलहिकारी/मुख्य विकास अधिकारी वी अध्यक्षा में विकासिकारी तथा शिक्षण संस्थानों के सभी गणित बैंक कराते हैं। परं किसी रोकथान द्वारा नियासित लिये लाक द्वारा का अप्राप्यता नहीं इसके से रक्षा है अथवा उसके द्वारा छांतो के आवेदन पत्रों की हार्डकार्डी नहीं उपलब्ध करायी जा रही है तो उक्त संस्थान के प्रधार्ण/प्रधानाचार्यों ने बैंक ने पुनरावाहन नियासित अवधि के द्वन्द्र सभी आवश्यक कार्यवाही पूरी करना सुनिश्चित करेगा।		उद्धारण
		(ix)- आज्ञावृत्ति स्वीकृति तमिति की बैंक		उद्धारण

		प्रावश्यकतानुसार आकृत करना एवं कार्यमूल तैयार कर जारी करना। निर्दिष्ट समाजसेवी में जटि लिसी रिक्षण सम्पदा द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो उसके बिल्डिंग वित्तीयकारी के सम्पद से कठोर कार्यवाही करने का उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी का ही होता।		
	सासनादेश संख्या-101/2017 /आर-1614/26 -3-2017-4(356) /07 टीजीसी-III दिनांक 23 जून 2017 (अट्टम संसोधन) द्वारा उत्तोषित	(X)- ऐसा खाते में घनराशि के बनारपा का reconciliation होता। यह कर्ते वर्ती विलीय वर्ष में जिला निवायक/ सम्परीकारियों/आहरण वित्तव्य अधिकारी, मुख्यमन्त्री द्वारा पूर्ण किया जायेगा।		पथरात
		(xi)- जनपद सार पर आकृति के उनुभवण व इयंवेशन हेतु उद्दित समिति को ऐसके आवश्यकतानुसार आकृत करना।		पथरात
		(xii)- उक्त समिति की बैठक का कार्यवृत्त केज़ने का उत्तरदायित्व जिला समाज कल्याण अधिकारी जो द्वारा।		पथरात
	सासनादेश संख्या-222/2019 /4138/26-3-2 019-4(356)/07 टीजीसी-III दिनांक 14 बक्तुबर, 2019 (नवन संसोधन) द्वारा संशोधित	(xiii)- जनपद सार पर जिला समाज कल्याण अधिकारी के सब-सभ्य आकृति योजना का कार्य देख रहे सम्मिलित पटत सहायक के डिजिटल सिमोवर से संपूर्ण रूप से मास्टर डाटा एवं जन डाटा को लाक रखने वाली जीवनवाही की जायेगी।		पथरात
16	सम्बन्धित विभा विभागों का दायित्व	(i) आगलाइन डाटा अपलोड की मानीटरिंग हेतु बनारप में आवाजित बैठकों में रिक्षण सम्पदों के प्राचारण/प्रशान्तवाचार के बाब्त उचित रहकर कार्यवाही सम्पादनीय निर्धारित जातान। इससे द्वारा निर्दिष्ट सम्पदाधि में जटि लिसी रिक्षण सम्पदा द्वारा कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो उसके बिल्डिंग कार्यवाही की जास्ती करना।	सम्बन्धित विभागों का दायित्व	पथरात
		(ii) रिक्षण अधिकारी/सम्बन्धित विभविदाली तथा एफिलिएटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारियों द्वारा मास्टर डाटाबेस में रिक्षण सम्पदों की जानकारी जैसा तिथि, वर्गीकरण, सीटी की संख्या एवं उसके साथ प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं की पालनायिक संख्या आदि का सालापन जन डिजीटली सिमोवर से लाक किया जाना।		(ii) रिक्षण अधिकारी/सम्बन्धित विभविदाली तथा एफिलिएटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारियों द्वारा मास्टर डाटाबेस में रिक्षण सम्पदों की जानकारी जैसा तिथि, वर्गीकरण, सीटी की संख्या एवं उसके साथ प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं की पालनायिक संख्या आदि का सालापन कर डिजीटली सिमोवर से लाक किया जायेगा।
		(iii) रिक्षण अधिकारी द्वारा सत्यापनप्राप्त विभाग सम्पदा के विवरण जीवनवाही निर्धारित सम्पदाधि के अन्तर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारी का प्रतित किया जावेगा।		(iii) रिक्षण अधिकारी/सम्बन्धित विभविदाली तथा एफिलिएटिंग एजेंसी के नोडल अधिकारियों द्वारा सत्यापनप्राप्त रिक्षण संख्या के विवरण की हाईलाईन निर्धारित सम्पदाधि के अन्तर्गत जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रतित किया जायेगा।
		(iv) रिक्षण सम्पदा द्वारा विसिन आड़ी के स्वप में आगलाइन जरिए जिवे गढ़ जाली के आवारप पर सबसित रिक्षण सम्पदों की बिल्डिंग जाल जरना तथा अनियमितता पाये जाने पर सबसित रिक्षण सम्पदा की मान्यता निरस करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करना।		पथरात

	शिक्षा विभागों के विभागाधीन का दायित्व		<p>१-विषयविदालय/ ऐकलिपेटिंग एवंसी हारा विद्यालय संस्थाओं के मस्टर छाता छीन सीट आदि लैंक/ सरकारी के उपराज पाठ्यक्रमों के सम्बन्धित शिक्षा विभाग के विभागाधीन हारा परीक्षण/ सत्रामन के उपराज डिजिटल इलाहार ते लौक करने हुए सल्लुा दिया जायेगा। सल्लुति के उपराज ही मुगालान की कार्यवाही की जायेगी।</p> <p>२-मान्यता द्वारा पठ्यक्रमों की संतापिता जनने वाले वास्तविक एवं शासकोंप्रेरणा प्राप्त विद्यालय संस्थानों की नियुक्त बोर्ड बोर्डर के उन्नर न होकर नव राज्यालयालय संस्थान हैं, उनमें अन्या मास्टर डाया फोर्स, सीट आदि सभा संसाधन/लैंक जनने के उपराज शिक्षा संस्थान कल्याण अधिकारी द्वारा संबोधित/लौक किया जायेगा।</p> <p>३-भारतीय पुनर्जीव परिषद, नई दिल्ली हारा मान्यता द्वारा नियुक्त के विकास संस्थानों में संबोधित पाठ्यक्रमों आदि का डाया मास्टरला मिल रहीय पुनर्जीव विषयविदालय, उपराज के साक्षात् एवं विभागाधीन विद्यालय संस्थानों की मुगालान की कार्यवाही की जायेगी।</p>
	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के दायित्व	(i) वास्तव द्वारा निर्दिष्ट प्राप्त एवं प्रिडिया हो अनुसार अनलाइन लाइसेंस दिए रखना।	प्रधानमंत्री
	शासनादेश संख्या-222/2019/4138/26-3-2-019-4(358)/07 दीर्घी-III दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 (नियम संशोधन) द्वारा संशोधित	(ii) जिल्हां संस्थानों के उपर्योगहो सम्बन्ध जिला समाज कल्याण अधिकारीयों को उनके लायिन एवं मध्यम से संस्थानों के लिए लायिन अधिकारीय एवं पालवड उपराज राजने हेतु सुधार द्वारा करना।	प्रधानमंत्री
		(iii) जिला सूचना विभाग अधिकारीय उक्त लायिन अधिकारीय एवं पालवड जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करावांग तो सम्बन्धित जिल्हां संस्थानों को उपलब्ध करावांग।	(iii) राष्ट्रीय सूचना विभाग केन्द्र राज्य उक्त उपराज कल्याण समाज कल्याण द्वारा लाइन अधिकारीय एवं पालवड जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करावांग।
		(iv) जिला समाज कल्याण अधिकारीयों एवं स्वामीदीव शिक्षा अधिकारीयों को लायिन अधिकारीय, पालवड एवं डिजीटल लिसेंस एनोडाइजीय या अन्य अधिकृत संस्था के लियां तो उपलब्ध करावाना।	प्रधानमंत्री
		(v) जायिदान की अधिम सिंह सम्पत्ति होने के 15 दिनों के अन्दर नवीनीकरण हेतु अंड छातों से सांख्य लिसेंस छातों की जानकारी स्कॉलरशिप पाठ्यक्रम एवं अनलाइन प्रवालित रखना।	प्रधानमंत्री
		(vi) राज्य स्तर पर आश, जाही, आधार नम्बर, बोर्ड रोल नम्बर व यह परीक्षाकाल आदि के लाइव यैक करने की व्यवस्था उस्ता तथा रक्कूटी में नियोक्त, समाज कल्याण विभाग की आवश्यक तहवाल प्रदान करना।	प्रधानमंत्री
		(vii) अनलाइन आयोग लाने से लेकर अनरोडी अन्तरण तक में आगे याती समस्त तकनीकी समस्याओं का विचारण कराना।	प्रधानमंत्री
		(viii) पीएसडैम्प्यूटर के अधार सिंक ईक छातों तक अन्वैक छातों का सत्यामन जायि की कार्यवाही नियारित रूप से पूर्ण करना।	प्रधानमंत्री
	विषयविदालय/ परीक्षा नियंत्रक अधिकारी के उपराजदायित्व	(i) सभी विषयविदालयों के कुल लंबिय दायामालार छात्रवृत्ति एवं तुलक प्रोत्तर्वति कार्ड हेतु नोडल अधिकारी नामित करना।	(i) लंबे विषयविदालयों के कुल लंबिय दायामालार रेकॉर्ड भत्ता एवं तुलक प्रतिपूति कार्ड हेतु नोडल अधिकारी नामित करना।
		(ii) नोडल अधिकारी सम्बन्धित अधिकृत संस्था से आवश्यक औपचारिकतावे पूर्ण कर डिजिटल लिसेंस प्राप्त करना।	प्रधानमंत्री

		<b>(iii)</b> नोडल अधिकारी डिपिलेज सिमोफर हर शहर डाटा में सब्स के नम्बरिंग प्रियोन का सत्यापन कर डाटा लक्ख करें।		यथापात्र
		<b>(iv)</b> सभी विश्वविद्यालयों एवं परीक्षा प्रशिक्षणीय द्वारा परीक्षामूलक को XML Format वर परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के अन्दर छात्रवृक्षी की वैवाहिक पर अपलोड किया जायेगा।		व्यापार
		<b>(v)</b> छात्रवृक्षी की वैबसइट पर अपलोड किये गये परीक्षामूलक को विश्वविद्यालय/परीक्षा प्रशिक्षणीय द्वारा नामित अधिकारी के डिपिलेज सिमोफर से लौह भी किया जायेगा।		व्यापात
		<b>(vi)</b> विश्वविद्यालय/परीक्षा प्रशिक्षणीय द्वारा नामित अधिकारी के डिपिलेज सिमोफर से लौह डाटा से विश्वविद्यालयों द्वारा भरे गए प्राप्तांक का मिलान स्थूलनीय से सब्स राष्ट्रीय सूचना डिफान केन्द्र राज्य इकाई लखनऊ द्वारा किया जायेगा।		यथापात्र
		<b>(vii)</b> विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्तेक उत्तर को परीक्षण कुनैक रिपोर्ट किया जायेगा तथा नवीनीकरण के इवेंक उत्तर के दिये विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाया एकीकरण क्रमांक भरना अनिवार्य होगा।		व्यापात
		<b>(viii)</b> विश्वविद्यालयों से लम्बद्वारा प्राप्त अधिकारी की चूंच एवं एकल सीट में स्थूलनीय आदि के समय उपर्योग हेतु सर्वोपरि सूचना डिफान केन्द्र राज्य इकाई लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।		यथापात्र
		<b>(ix)</b> जिन विश्वविद्यालयों/लिक्षण सम्बन्धी के विलम्ब अग्रिमतात्त्वी के प्रमाणित होने पर उनको कहाँ सूची में डालने की कार्यवही की जाती है ऐसे विश्वविद्यालयों की सम्बद्धता/मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही प्राप्तेक विश्वविद्यालय/मान्यता प्रदाना संलग्न द्वारा एक नियिकत सम्पर्क सीमा के अन्तर्गत पूर्ण की जायेगी।		यथापात्र
17	जनपद स्तर पर अनुब्रवण।	<b>(i)</b> छात्रवृक्षी वैवाहिक से उन्नुब्रवण व पर्यावरण किये जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् समिति गठित की जाती है— (1) वित्तविकासी— उत्तर (2) सूच्य डिफान अधिकारी— उत्तर (3) संप्रीत राज्य विकासी—सदस्य (4) जनपद में स्थित राज्य विश्वविद्यालयों के वित्तविकासी—सदस्य (5) जनपद ने रिक्त गांग मैदानकल कालोग के प्रबाधी, वहि कोइ हो—सदस्य (6) जनपद में स्थित राज्य विश्वविद्यालय के प्रबाधी पदि कोइ हो— सदस्य (7) जनपद में स्थित किसी एक राजकीय पर्यावरणीयिक के प्रबाधी यदि कोइ हो—सदस्य	जनपद स्तर पर अनुब्रवण।	व्यापात

	<p>[i] जिला विधालय निरीक्षक - सदस्य [ii] जिला सूचना विभाग अधिकारी (NIC)- सदस्य (10) जिला समाज कल्याण अधिकारी-सदस्य/संघीय</p>		
	<p><b>(ii)</b> उक्त समिति अनुशासन भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के मास्टर बटा में सरखाड़ी एवं पाठ्यपठ्मों तथा जनके शुल्क जरूरतों पर शुल्क नियोग का स्थिरोक्त ने सरखाड़ी करायेगी तथा व्यवसायिक, तकनीकी एवं विकासी अदि हे किसी भी पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष ने प्रयोगित छात्रों को जनविद्यालय/कालेज ने इसी नमामन तथा पाठ्यपठ्म के प्रतिक्रिया में परीक्षा में लापित परीक्षार्थियों की तरह एवं परीक्षापात्र आदि जा सरखापन करायी। उक्तक ती उन्मुक्ती से समिति जी बैठक तीन मही के नियंत्रित अन्तराल पर की जायेगी तब कृष्ण कालेजकी जी प्रपति रिवर्ट निवेशक, समाज कल्याण की उपलब्ध करायी जायेगी।</p>	व्यापत	
	<p><b>(iii)</b> उक्त समिति निन्दालिखित गमलों में ग्रा-डीलिला साधापन करायेगी –</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>१- पाठ्यपठ्म कुल अनुमादित सीटों के सापेक्ष विस्तीर्णी भी पाठ्यपठ्म में ३० प्रतिशत से अधिक अनुभूमित लाति/अनुभूमित लक्षणों के छात्रों को प्रवेश लेने वाली निजी कक्ष की स्वत्त्वाव०</li> <li>२- जिन निजी कक्षों की सरखाड़ी की विभिन्न पाठ्यपठ्मों के अन्तर्गत कुल शुल्क प्रतिपूर्ति की भाग एवं करारू करवे या उससे जमिक हो।</li> <li>३- उक्त के अनियंत्रित समिति स्थिरोक्त से इस आवार पर अवधा शिक्षावर्ती प्राप्त होने पर किसी भी रोकीक रखता की जाय अधिक साधापन करा सकती।</li> </ul>	व्यापत	
	<p><b>(iv)</b> जिन प्रयोरिटी के आवेदन पत्र नियमों के अन्तर्गत न होने के कारण अस्वीकृत होते हैं ऐसे अस्वीकृत किये गये आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी स्थानीयता द्वारा अस्वीकृति के कारणों की जानकारी एनआईएस० के नव्यम से जानलाइन प्रदर्शिती जी जायेगी तथा छात्र के मोबाइल नम्बर पर एसएमएस० द्वारा सुविह लिया जायेगा। शुल्क प्रति के 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित छात्र जिलाधिकारी को अपील कर सकता। जिलाधिकारी उस अपील पर लकारण लियित आदेश जारी करता। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश अनियंत्रित होता। पारित आदेश के अन्तर्गत जनई अन्धीकृतों को अवधान के लिये आवश्यक शुल्क त्वय यहन करता होगा। बाद कोई अन्धीकृत जिलाधिकारी के साक्ष की जायी अपील में अहं यापा जाता है तो उसे आगले वित्तीय वर्ष के बचत से शासन की जनुर्ति प्राप्त कर नियंत्रित प्रक्रिया के अनुसार अन्धीकृतों के आवार लिक बैक चाहे में बुलतान किया जायेगा।</p>	व्यापत	
	<p><b>(v)</b> छात्र/छात्राओं के बैंक खातों में बाल्याली एवं शुल्क प्रतिपूर्ति घनरही के अन्तराल उपरान्त प्रत्येक वित्तीय वर्ष से जिलाधिकारी द्वारा प्राप्तवाल पाठ्यपठ्मों में अध्यापनरत कम से कम ५ प्रतिशत छात्र/छात्राओं में घनरही वित्तीय की शीतिक रखायेन/जात्र सुनियित जरूरी जायेगी। छात्र/छात्राओं के रेस्ट्रेसली व्याप</p>	व्यापत	





	<p>राज्य सुधाकलय सिपत कलागार तो ही-पेमेंट (e-payment) वे तहत PFMS (Public Financial Management System) प्रमाली को माहसून ते नियारित प्रक्रियावृत्तावाच/प्राप्त के बदल देका खातों मे सीधे अन्वरित ही जावेगी। जिसका उत्तराधिकार वित्त नियारक नोडल अधिकारी (दशमोलास प्राप्तवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वालाना) का होगा।</p> <p>10- छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों मे धनलाही बनारास मे यदि कोई कठिनाइ उपर्यन्त होती है तो उसका निचकरण निर्देशक द्वारा किया जायेगा।</p> <p>11- अब प्रदेशी मे अध्ययनकर्ता नवीनीकरण वाले एवं नवे छात्र/छात्राओं को छावृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ही धनराशी विवरण इनु चरण की प्रक्रिया वरीयता करने नियारित PFMS प्रमाली मे धनराशी के बनारास की प्रक्रिया फैल द्वारावृत्ति एवं अन्वरित प्रदेशी के नियोग लेने मे अध्ययनकर्ता छात्र/छात्राओं हेतु नियोरित नियम व प्रक्रिया के अनुसार ही रहेंगे।</p>		
	<p>(iii) प्रदेश के बाहर सिपत सक्षमता, उनमे लघालित पालवकर्मे तथा छावृत्ति हेतु याच छात्रों का बदल विवरण लेना किया जायेगा। अनुसूचा भला एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक तिता समाज बन्धवान अधिकारी के डिजिटल तिनेचर से आगलाइन सक्षमता एवं लाल किये गये विवरण तथा छावृत्ति हेतु प्रतिपूर्ति विवरण सम्बन्धी विवरण की सूची की हाठेकाही एवं साफलकारी (ट्रैकिं) /हार्डडिक्स मे नियमावली के नियम-12 (v) मे दर्शी अवधाननुसार 10 एवं तक सुखेत सभी जावेगी।</p>	<p>(ii) प्रदेश के बाहर सिपत सक्षमता, उनमे सचलित पालवकर्मो का याच छावृत्ति हेतु याच छात्रों का अलग विवरण तेजर किया जायेगा। रीप्राइम भला एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु प्रत्येक वित्त लगाज कल्याण अधिकारी के डिजिटल तिनेचर से आगलाइन सक्षमता एवं लाल किये गये विवरण तथा लेखानीक भला एवं शुल्क प्रतिपूर्ति विवरण सम्बन्धी विवरण की सूची की हाठेकाही एवं सापेक्षकारी (ट्रैकिं) / हार्डडिक्स मे नियमावली के नियम-12 (v) मे दर्शी अवधाननुसार उनके द्वारा 10 एवं तक सुखेत सभी जायेगी।</p>	
19	संशोधन का अधिकार	(i) इस नियमावली के ड्राफ्टिंगों मे विधायक संशोधन उनमे एवं दियी थी राटिनाइ का विवरण उनमे की जावेगी ना। मुख्यमंत्री नी मे नियम नाही।	विधायक
20	न्यायालय परिषेक	किती थी विवाद की स्थिति मे न्यायालय परिषेक नाही उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तर द्वारा होगा।	उच्चालय
20 (i)	सारनादेश नंख्या-101/2017 /आर-1814/26-3-2017-4(358)/07 टी0सी-III दिनांक 23 जून, 2017 [क्रम संशोधन] द्वारा संशोधित	<p>नियम-20 (i) (क) मो</p> <p>उच्चालय/उच्च न्यायालय/मा।</p> <p>राज्यपाल/मा। मुख्यमंत्री/</p> <p>मा। मंत्रो समाज कल्याण/शुल्क लेयर/</p> <p>मा। राष्ट्रीय अनुमूलित जाति अधिकार के एसे इकानो पा रामन सार या विवरण हो।</p> <p>नियमावलीत समिति गठित की जाती है-</p> <p>1- शुल्क समिय समाज कल्याण-विभाग</p> <p>2-शुल्क जचिय, जित उच्चवा नमित प्रतिपूर्ति- सदस्य</p> <p>3- नियोगक समाज कल्याण गोप्य-सदस्य</p> <p>4-नियोगानप द्वारा नमित अधिकारी-सदस्य/ समिय।</p> <p>5- छात्रसंस्था अधिकारी नोडल (मुख्यमंत्री)-</p>	विलोपित

		<p><b>सदाचार</b></p> <p>नियमावली में अकित प्राक्षिप्तों/सर्वों को दृष्टि करने वाले छाजों वाले प्रवास पर उपर सचिति विवाह करेगी एवं छाज्युति वा शुल्क प्रतिष्ठाने द्वारे अध्यवाच न देने के सब्द वा तत्कारण तिथिवर्ग आदेश प्राप्त करेगी। इनसहित मुगाजान किये जाने वेतु लिखे गए निषेध के उपरान्त न०० मर्मी और लं अनुसारनप्राप्त शासन द्वारा बालू वित्तीय वर्ष के बजट से प्रसरणित व्यय को अनुपाति शासन वाली जावेगी। समिति की ईडक अध्यक्षकर्तनुसार होगी।</p>	
20 (ii)	<b>शासनादेश</b> <b>संख्या-148/2018</b> <b>/2023/26-3-2</b> <b>018-4(358)/07</b> <b>टी0सी0-III</b> <b>विनांक 26 जून,</b> <b>2018 (समाज</b> <b>संशोधन) द्वारा</b> <b>संशोधित</b>	<p><b>20- (ii) (क)</b> निदेशालय समाज कल्याण/राज्य स्तर पर छाजों की शिक्षावालों पर सुनवाई हेतु छाज्युति अधिकारी नोटर मुख्यालय को स्टेट शासन रिफरल आजीसर नमित किया जाता है।</p> <p>(ख)- मण्डल स्तर पर छाजों की शिक्षावालों पर सुनवाई हेतु मण्डलीय एवं निदेशक का मण्डलीय शेयरन्स रिफरल आजीसर नमित किया जाता है।</p> <p>(ग)- जनपद स्तर पर छाजों की शिक्षावालों पर सुनवाई हेतु जिला जनजात कल्याण अधिकारी को जनपर्दीय शेयरन्स रिफरल आजीसर नमित किया जाता है।</p>	<p><b>20- (ii) (क)</b> निदेशालय समाज कल्याण/ राज्य स्तर पर छाजों की शिक्षावालों पर सुनवाई हेतु योजनाविकारी छाज्युति सुधारालय (समुक्त निदेशक वर्धया एवं निदेशक स्तर का अधिकारी) को स्टेट एकास रिफरल आजीसर नमित किया जाता है।</p> <p>(ख)- मण्डल स्तर पर छाजों की शिक्षावालों पर सुनवाई हेतु मण्डलीय एवं निदेशक का मण्डलीय शेयरन्स रिफरल आजीसर नमित किया जाता है।</p> <p>(ग)- जनपद स्तर पर छाजों की शिक्षावालों पर सुनवाई हेतु जिला जनजात कल्याण अधिकारी को जनपर्दीय शेयरन्स रिफरल आजीसर नमित किया जाता है।</p>


2- उक्त संशोधित उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोल्लास छाज्युति योजना नियमावली वर्ष 2021-22 से लागू होगी।

  
 (का) राकेश कुमार सरदाना  
 प्रमुख सचिव

#### पृष्ठा- 108 /2021/2499 (1) /26-3-2021 तददिनोक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछडा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/मा० शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, लखनऊ।
- 4- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- निदेशक, कौशलगार, उ०प्र० लखनऊ।
- 7- निदेशक, पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- निदेशक, ए०आ०आ०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 10-समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 11-गार्ड फाईल।

आज्ञा से  
  
 (राकेश कुमार सरदाना)  
 उप सचिव।

  
 21/09/2021

उत्तर प्रदेश शासन  
समाज कल्याण अनुभाग-3  
संख्या-222/2019/4138/26-3-2019-4(358)/07टी0सी0-111  
लखनऊ: दिनांक:- 14 अक्टूबर 2019

### कार्यालय-जाप

समाज कल्याण अनुभाग-3, 30प्र० शासन के शासनादेश संख्या-84/2016/आर-755/26-3-2016-4(358)/07 टी.सी.-11, दिनांक-14.04.2017 द्वारा प्रख्यापित “उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 (यथा संशोधन)-2016” पर सम्यक्विचारोपरांत तात्कालिक प्रभाव से उक्त नियमावली के कतिपय प्रस्तरों में संशोधन/नवीन नियम को जोड़ते हुये सुसंगत नियमावली का (नवम संशोधन)-2019 निम्नवत् किया जाता है:-

वर्तमान नियम	संशोधित नियम
<p>6-(।) (ब) ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से संबद्ध शैक्षणिक संस्थानों के उन्हीं छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय होगी, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से नामांकित किया गया हो अथवा जिन्होंने मैनेजमेन्ट कोटा के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर विवरण आनलाइन अंकित करने के बाद विश्वविद्यालय के माध्यम से प्राप्त किया हो।</p>	<p>विलोपित</p>
	<p>6-(xxi)(क) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा</p>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadेश.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

	<p>मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय जिनको NAAC (National Assessment &amp; Accreditation Council-and Autonomous Institution of the University Grant Commission) ने मूल्यांकन के उपरांत B या उससे ऊपर की ग्रेडिंग लेवल प्रदान की गयी है, में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।</p> <p>(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार) द्वारा प्रदत्त मान्यता प्राप्त निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों में संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों जिन्हें NBA (National Board of Accreditation) से ग्रेडिंग लेवल प्रदान की गयी है, में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।</p>
	<p>6-(xxii) निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों में संचालित ऐसे मान्यता प्राप्त प्रोफेशनल पाठ्यक्रम जिनमें प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता स्नातक है, के अन्तर्गत स्नातक पाठ्यक्रम में न्यूनतम 55 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंक पाने वाले, किसी भी प्रवेश प्रक्रिया से प्रवेशित (मैनेजमेन्ट कोट एवं स्पाट प्रवेश प्रक्रिया को छोड़कर) /छात्र/छात्रायें छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह होंगे।</p>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

	<p><b>16(1)(xxix)-शिक्षण संस्थान के दायित्व-संस्था द्वारा छात्र के आधार नम्बर एवं 75 प्रतिशत उपस्थिति का अनिवार्य रूप से सत्यापन करने के उपरांत ही आवेदन पत्र आनलाइन अग्रसारित किया जायेगा।</b></p>
	<p><b>16 (1)(xiii)-जिला समाज कल्याण अधिकारी के दायित्व-जनपद स्तर पर जिला समाज कल्याण अधिकारी के साथ- साथ छात्रवृत्ति योजना का कार्य देख रहे सम्बन्धित पटल सहायक के डिजिटल सिग्नेचर से संयुक्त रूप से मास्टर डाटा एवं अन्य डाटा को लाक करने आदि की कार्यवाही की जायेगी।</b></p>
<b><u>16(1)(ii) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के दायित्व</u></b>	<p><b>16 (1) (ii) शिक्षण संस्थाओं के उपयोगार्थ समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उनके लागिन के माध्यम से संस्थाओं के लिये लागिन आईडी० एवं पासवर्ड उपलब्ध कराने हेतु सुविधा प्रदान करना।</b></p>
<b>16 (1)(iii)जिला सूचना विज्ञान अधिकारी उक्त लागिन आईडी० एवं पासवर्ड जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे जो सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं को उपलब्ध करायेंगे।</b>	<b>विलोपित</b>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उक्त संशोधन वर्ष 2020-21 से लागू होंगे एवं उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली-2012 (यथा संशोधन)-2016 एवं तदोपरांत अन्य संशोधित नियमावली/शासनादेश के शेष प्राविधान पूर्वत प्रभावी रहेंगे।

सुधा श्रीवास्तव  
विशेष सचिव

पृ0सं0-222/2019/4138(1)26-3-2019 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, ३०प्र०, इलाहाबाद।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/मार्गशिक्षा/उच्चशिक्षा/तकनीकी शिक्षा/ व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, ३०प्र०शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, ३०प्र०।
- 4- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति विकास, ३०प्र० लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त संशोधित नियमावली को सम्बन्धित जनपदों को ई-मेल के माध्यम से तत्काल प्रेषित कराते हुये आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- 5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, ३०प्र०, लखनऊ।
- 6- निदेशक, कोषागार, ३०प्र०लखनऊ।
- 7- निदेशक, पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, ३०प्र०लखनऊ।
- 8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 9- निदेशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 10- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, ३०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
सतीश कुमार  
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।